खण्ड-247, अंक-5
शुक्रवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1885
(13 मार्च, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 247 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४२५–४२८
प्रश्नोत्तर	४२८–४५९
प्रश्नों की कार्यसूची से प्रश्न हटाने पर आपत्ति	४५९–४६१
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	४६१
लखनऊ में सस्ते गल्ले की दूकानों पर गेहूं का कोटा कम किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	४६१
पुलिस अनुदान पर विवाद करने हेतु साहित्य की मांग (जारी) ..	४६१–४६४
१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ३०––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत)	४६४–४९०
इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विवादार्थ समय निर्धारण	४९०–४९१
पुलिस अनुदान पर विवाद करने हेतु साहित्य की मांग	४९२–५०३
१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १४––पुलिस (जारी)	५०३–५०९
नृत्यियां	५१०–५१४

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १३ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री भवनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३०५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुरपाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारख डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
वंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहन लाल गुप्त, श्री

बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनार्थसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनार्थसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआसरे पांडेय, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर

लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट---गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १३ मार्च, १९६४

तारांकित प्रश्न

*१–२—श्री द्विजेन्द्र नारायण (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

दीक्षा विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन वृद्धि

*३—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

क्या सरकार राजकीय दीक्षा विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के वेतन में वृद्धि करने की कृपा करेगी जब कि उन लोगों को कई वर्ष से वेतन में वृद्धि नहीं मिली है ?

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

यह अध्यापक निर्धारित वेतन क्रम में कार्य करते हैं । उस वेतन क्रम के अन्तर्गत की वृद्धियां इनको समयानुसार मिलती रहती हैं । इनके वेतन क्रम की वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

चकबन्दी

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त स्थानों में चकबन्दी कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा और चालू वर्ष में और कौन-कौन जिले इस योजना में शामिल होंगे ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अनुमान है कि प्रदेश के समस्त चकबन्दी योग्य क्षेत्रों में चकबन्दी कार्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के भीतर समाप्त हो जायगा ।

इस वर्ष चकबन्दी योजना में नये जिले शामिल करने के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में चकबन्दी का कार्य हो रहा है और वे बड़े जिले हैं और स्टाफ कम है जिसके कारण चकबन्दी में विलम्ब हो रहा है तो क्या उनके क्षेत्रफल को देखते हुये स्टाफ में कुछ और बढ़ोत्तरी करेंगे ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

बजट पास हो जाय तब हम देखेंगे, कुछ कर सकते हैं तो करेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई ऐसी तालिका है कि प्रत्येक जिले में ऐसे कितने स्थान हैं जहां पर चकबन्दी नहीं होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

एक तो मिर्जापुर का कुछ हिस्सा है, झांसी का कुछ हिस्सा है, देहरादून का है, पहाड़ी इलाका है, यहां तो सरेदस्त मालूम होता है कि नहीं होगी ।

नोट—तारांकित प्रश्न ३ श्री नाथूराम शिक्षक ने पूछा ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि चकबन्दी होने से अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन में सहायता मिलेगी चकबन्दी को अधिक व्यापक और विशाल बना कर सारे सूबे में शीघ्रातिशीघ्र कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कोशिश तो हो रही है ।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी आजमगढ़ के क्षेत्रफल को देखते हुये और यह दृष्टि में रखते हुये कि चकबन्दी में देर होने में पैदावार घट जाती है वहां स्टाफ को डबल करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह तो हम जवाब दे चुके हैं माननीय रामसुन्दर जी को ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चकबन्दी के कार्य में जो लगे हुये कर्मचारी हैं उनके खत्म होने पर सरकार के पास कोई योजना है कि उन्हें काम मिल जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अभी तो इसमें बहुत वक्त लगेगा ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चकबन्दी का काम बहराइच जिले की कैसरगंज में चल रहा है, वह कब तक खत्म हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जब समाप्त होगा, हो जायगा । अभी मैं कोई डेट फिक्स नहीं कर सकता ।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गाजियाबाद में मास्टर प्लान शुरू हो जाने से वहां चकबन्दी नहीं हुई है तो वहां चकबन्दी करायेंगे या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नये जिलों के शामिल करने की योजना कब तक विचाराधीन रहेगी और कितने जिले शामिल किये जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अभी मैं नहीं कह सकता । हम सोचेंगे और जितने शामिल कर सकते हैं, करेंगे ।

बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में छात्रों को सहायता

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६३ में प्रदेश के किन-किन जिलों में कितनी-कितनी धनराशि बाढ़-पीड़ित क्षेत्र के छात्रों की सहायता के लिये दी गई है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के छात्रों की सहायता के लिये राज्य सरकार ने १९६३ ई० में निम्नलिखित धनराशि की विभिन्न जिलों के लिये स्वीकृति प्रदान की :—

	रु०
१—मुजफ्फरनगर	५,०००
२—मेरठ	१०,०००
३—बुलन्दशहर	१०,०००
४—अलीगढ़	५,०००
५—मथुरा	१०,०००
६—आगरा	६,०००
७—मैनपुरी	८,०००
८—एटा	५,०००
९—बदायूं	५,०००
१०—मुरादाबाद	२,०००
११—बलिया	२,०००
१२—गोरखपुर	५,०००
१३—बस्ती	४,०००
१४—आजमगढ़	३,०००
१५—देवरिया	५,०००
१६—उन्नाव	२,०००
१७—गोंडा	३,०००
१८—बहराइच	३,०००
१९—बाराबंकी	२,०००
२०—खीरी	१,०००
२१—सीतापुर	२,०००
२२—हरदोई	२,०००
योग ..	१,००,०००
	(एक लाख रु०)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि धनराशि देने का सरकार के पास क्या आधार होता है और किन-किन आधारों पर यह सहायता दी जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

नुकसान का लिहाज किया जाता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जिन जिलों को सहायता दी गई है उनमें और जिलों की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन आजमगढ़ जिले में जो ३ हजार रुपये की सहायता दी गई है वह वहां की संख्या, क्षेत्रफल और कालेजों और स्कूलों की संख्या को देखते हुये बहुत कम है और मैं समझता हूं कि ऐसे कई जिलें हैं जो इस सहायता को बहुत कम प्राप्त कर सके हैं तो विस्तृत रूप से आबादी और नुकसान के लिहाज से सहायता देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

हमने तो यही किया है। मैं तो सौतेले बाप का-सा बर्ताव नहीं करता।

श्री राजनारायणसिंह (जिला वाराणसी)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें मुख्य मंत्री फंड से जो सहायता दी गई है, वह भी शामिल है? यदि हां, तो वाराणसी में किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से कोई धनराशि दी गई है? यदि हां, तो कितनी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जहां तक मेरा खयाल है वह धन शामिल नहीं है।

श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, बहुत से स्कूलों में यह हुआ है कि जो धन छात्रों को मिलना चाहिये था अध्यापकों ने मकान तथा दूसरे कामों में खर्च कर दिया है। मैं मुहम्मदाबाद के स्कूल का नाम बताना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष---

सिर्फ सवाल इतना है कि जो धनराशि दी गई है उसका आधार क्या है और किसने गलत इस्तेमाल कर दिया, इसकी सूचना नहीं मिलेगी।

श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर में जो ५ हजार रुपये की धनराशि दी गई है उसका बटवारा किस के माध्यम से हुआ है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वह तो डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल से कराते हैं और वे हेड आफ दि इन्स्टीट्यूशन के जरिये से कराते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)---

यह देखते हुये कि जौनपुर में अक्सर बाढ़ आती है और केराकत वगैरह का इलाका पानी में डूब जाता है और बहुत से गांव बाढ़ से प्रभावित रहते हैं तो क्या कारण है कि मन्त्री जी ने जौनपुर के क्षेत्र में सहायता नहीं की?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जौनपुर से दुश्मनी नहीं की है। जो रिपोर्ट आई उसके अधार पर हमने दिया है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब गोमती की बाढ़ शुरू होती है तो जौनपुर से पहले सुल्तानपुर पर असर पड़ता है तो उस क्षेत्र को सहायता न देने का क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

पहले तो खीरी में असर पड़ता है। फिर सीतापुर में पड़ता है और फिर लखनऊ में पड़ता है। वहां कम नुकसान था इसलिये नहीं दी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर) —

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में जो ६३ में ५ हजार रुपये का अनुदान दिया गया वह विश्वविद्यालय में ही बांट दिया गया और बड़े-बड़े इलाके जो वहां थे जैसे महाराजगंज कालेज और हायर सेकेन्डरी स्कूल के छात्रों को एक पैसा भी नहीं मिल पाया ? क्या मन्त्री जी इसकी जांच करके सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

हम जांच कर लेंगे और आपको बता देंगे।

लेखपालों से कब्जा इन्दराज का अख्तियार लेना

*६—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) —

क्या माल मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने लेखपालों द्वारा कब्जा लिखे जाने तथा सुपरवाइजर कानूनगो द्वारा वर्ग ९ लिखे जाने के अधिकार को हटा लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में बनी कमेटी की रपट की मुख्य-मुख्य सलाहों को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री —

लेखपालों द्वारा कब्जा लिखे जाने का अधिकार तो हटा लिया गया है, किन्तु सुपरवाइजर कानूनगो द्वारा वर्ग ९ में इन्दराज का अधिकार अक्षुण्य है। समिति की रिपोर्ट की प्रति† सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

*७—श्री चन्द्रबलीसिंह —

क्या माल मन्त्री बतायेंगे कि उक्त माल विभाग के अधिकारियों के उक्त अधिकार छीनने के लिए १ जनवरी, १९६२ से २३ जनवरी, १९६४ के बीच में किन-किन जन सभाओं, जन सम्मेलनों के प्रस्ताव तथा अखबारों के बयान सरकार को मिले ? क्या उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा होगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री —

जी नहीं।

*८—श्री चन्द्रबलीसिंह —

क्या माल मन्त्री जी कब्जे के लिये लेखपालों द्वारा रपट के बाद तहसीलदार को कब्जा लिखने की बात समाप्त करके उसके स्थान पर कब्जा वाले व्यक्ति को अपने हक को बताते हुये निवेदन करने पर जांच बाद कब्जा लिखने का अधिकार तहसीलदार को देने का विचार कर रहे हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री —

जी नहीं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर) —

कानूनगो को वर्ग ९ लिखने का अधिकार देने से जिस बात को हमने लेखपाल का अधिकार लेकर रोकना चाहा था क्या वह बात अब भी चल रही है ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री हुकुमसिंह विसेन —

कानूनगो लेखपाल से कुछ बेहतर है। इसी सदन में माननीय रामचन्द्र विकलजी ने एक प्रस्ताव पेश किया था कि लेखपालों को रिमार्क्स का कालम लिखने से रोका जाय। तो एक कमेटी मुकर्रर की गई जिसने मौजूदा प्रैक्टिस ठीक समझी।

श्री कल्पनाथसिंह —

क्या मन्त्री जी इस पर फिर से विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

खूब विचार किया है और हम समझते हैं कि कानूनगो ठीक करेगा लेखपाल खुफिया लिखता था और दूसरे फरीक को पता नहीं चलता था और मियाद निकल जाने पर असली काबिज हेल्पलैस हो जाता था। कानूनगो दोनों फरीकों को बुलावेगा। और अगर वह गलती करता है तो अपनी चारजोई अदालत में करले।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद) —

इस नियम के लागू होने के पहले ही पटवारी ने तमाम कागजात को लीपपोत कर बराबर कर दिया है। तो सरकार इसके लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

उनके लिये चारा था कि वे अदालत में रैमेडी सीक करते।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई) —

अब कब्जे के इन्दराज की क्या जरूरत बाकी रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

बहुत से लोग सब-लैटिंग करते हैं जो ऐक्ट में मना है। इल्लीगल सब-लैटिंग को इससे चैक किया जा सकता है।

श्री जे० पी० मिश्र —

मैं इल्लीगल सब-लैटिंग के मुताल्लिक यह जानना चाहता हूं कि ८० फीसदी इन्दराज लेखपाल और कानूनगो द्वारा गलत हो सकते हैं, १० फीसदी ही सही हो सकते हैं, तो १० फीसदी को दरगुजर करने के लिये आप विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

हरदोई की बात होगी, हर जगह ऐसी बात नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह —

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कानूनगो के खिलाफ भी वही शिकायतें हैं जो लेखपाल के खिलाफ थीं और उसका उदाहरण यह है कि लेखपाल जो कब्जा दर्ज करता था, उसकी नकल पी० ए० १० फार्म पर कानूनगो और सम्बन्धित व्यक्ति को देता था लेकिन उसके बावजूद भी खाना कैफियत के इन्दराज की अहमियत सरकार ने समझी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कानूनगो द्वारा वर्ग ९ का इन्दराज दर्ज करने का अख्तियार रखने से काश्तकार का किस प्रकार से भला होगा ? क्या इससे छोटी घूस की जगह बड़ी घूस की गुंजाइश नहीं हो जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

थोड़े दिन यह तजुरबा कर लेने दीजिये। अब आपने प्रश्न उठाया है। बाद में इसको सोच लेंगे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) —

कुछ दिन पहले मेरे इलाके के सम्बन्ध में माननीय माल मन्त्री जी ने जवाब दिया था कि वहां ४२ प्रतिशत इन्दराज गलत हैं। क्या माननीय मन्त्री जी मेहरबानी करके मेरे साथ चलने को तैयार हैं जिससे उनको ५० प्रतिशत गलतियां बता सकूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन —

जब आप चाहेंगे तब चला चलूंगा।

*९—श्री बृजराजसिंह (जिला हमीरपुर) —

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०-११—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी) —

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

नैनीताल कलेक्ट्रेट से अवकाश प्राप्त श्री गोपालदत्त काण्डपाल की पेन्शन

*१२—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित) —

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि नैनीताल कलेक्ट्रेट के अवकाश प्राप्त कर्मचारी, श्री गोपालदत्त कांडपाल जिन्होंने कि जून, १९५६ में अवकाश ग्रहण किया था, उन्हें अब तक पेंशन क्यों नहीं दी गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

श्री कांडपाल ने अपने पेन्शन प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है।

*१३—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित) —

क्या सरकार बतायेगी कि इनको पेंशन कब से मिलना प्रारम्भ होगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

उनको पेंशन मिलना तभी संभव होगा जब वे पेंशन प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करके जिला-धीश, नैनीताल को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजें तथा उनकी सेवा पंजी उच्च न्यायालय से वापस प्राप्त हो जावे।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उन्होंने पेंशन के कागजात पर दस्तखत करने से इसलिये इंकार कर दिया कि दिनांक १ अप्रैल, १९४७ से नये रिवाइज्ड ग्रेड में उनका फिक्सेशन नहीं किया गया था?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

जो कुछ भी वजह हो लेकिन इंकार किया।

नोट—तारांकित प्रश्न १२-१३ श्री हरीशकुमार गंगवार ने पूछे।

श्री हरीशकुमार गंगवार —

सन् १९५६ में वे रिटायर हुये और उन्होंने कागजात पर दस्तखत करने से कब इंकार किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

उसके बाद इंकार किया होगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार —

८ साल हो गये। क्या कारण है अभी तक हस्ताक्षर नहीं किये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन लिया गया था। एडीशनल डी० एम० ने टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर रिमान्ड कर दिया। उसने सिविल सूट दायर कर दिया ९ हजार रुपयों का और सिविल सूट में सारे कागजात चले गये। जब वह खारिज हो गया तो उसने हाई कोर्ट में अपील कर दी और कागजात वहां चले गये। जब तक वहां से कागजात न आ जायं, तब तक हम क्या कर सकते हैं। और फिर वह दस्तखत भी नहीं करता।

श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर) —

यह देखते हुये कि पेंशन मिलने में अक्सर ४–५ साल लग जाते हैं। क्या सरकार किसी आदमी के रिटायर होने के ६ महीने पहले कागजात तैयार करा देगी जिससे रिटायर होने के एक साल के अन्दर पेंशन मिल जाया करे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

जो होशियार आदमी होते हैं वे पहले अपना इन्तजाम कर लेते हैं तब रिटायर होते हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार —

इस बीच में कोई इन्टरिम पेंशन उनको दी गयी या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

अब मुकदमा चल रहा है, हम क्या करें ?

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी) —

क्या माननीय मन्त्री जी रिटायर होने से पहले अपनी पेंशन का इन्तजाम कर लेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

पेंशन मंजूर कर दें, मैं इन्तजाम कर लूंगा।

*१४–१६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय —

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७–१८—श्री लखपतराम शर्मा —

[हटा दिये गये।]

*१९—श्री लखपतराम शर्मा —

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

शिकोहाबाद से सी० एस० टी० की प्लेटें गायब होने की शिकायत

*२०—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिकोहाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्टोर से सैकड़ों मन सी० एस० टी० की प्लेटें गायब हो गयी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जगनप्रसाद रावत) —

स्टोर से किसी प्रकार की प्लेटें गायब नहीं हुई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कमलासिंह यादव —

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने रुपये की ये प्लेटें थीं और वे किस प्रकार से गायब हुईं ?

श्री अध्यक्ष—

आपने सुना नहीं, वे गायब ही नहीं हुईं।

श्री कमलासिंह यादव —

तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

(उत्तर के लिये मन्त्री को नहीं पुकारा गया)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी —

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी के द्वारा इसकी शिकायत उन्हें मिली है या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत —

अभी तक तो कोई शिकायत है नहीं लेकिन माननीय त्रिपाठी जी इस सम्बन्ध में कोई सूचना देंगे तो मैं उनका बड़ा आभारी हूंगा और जरूर जांच कराऊंगा।

रामपुर जिले में मालगुजारी

*२१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्टेट रामपुर में मुस्ताजिरी प्रथा के मुताबिक जो लगान किसानों का था वही लगान स्टेट विलीन होने के बाद सरकार किसानों से वसूल कर रही है जो आस-पास के जिलों, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, नैनीताल के मुकाबिले में दुगुना, तिगुना तथा चौगुना तक है ? यदि हां, तो सरकार ने इसे आसपास के जिलों के रेट के बराबर लगान हों इसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की है, तो क्या इसे करने का विचार करेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री —

काश्तकारों से जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा २४५ से २४७-क तक के प्राविधानों के अनुसार मालगुजारी वसूल की जा रही है। सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उनकी मालगुजारी समीपवर्ती जिलों के काश्तकारों की मालगुजारी से दुसुनी, तिगुनी और चौगुनी है।

श्री ऊदल ---

क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे कि स्टेट विलीन होने के पहले जो ठेकेदार प्रथा थी उसके मुताबिक जो शिफती रेट पर लोगों से लगान लिया जाता था उसके मुताबिक कागज था उसी कागज को मान कर सरकार ने लगान वसूल करना शुरू कर दिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन ---

कायदा यह है मौजूदा, कि जहां रेंट रेट ज्यादा हैं, वहां ढाई गुना से ज्यादा मालगुजारी नहीं हो सकती है। रामपुर के लिये हमने यह कर दिया है कि जहां सवाया रखा जाय, ढाई गुना न लिया जाय। काश्तकार खुद दरख्वास्त दे कर अबेट करवा सकते हैं लेकिन कानून होते हुये भी सरकार ने आदेश जारी किये हैं। ९०० गांवों में कार्यवाही हो चुकी है, डेढ़ सौ गांव बाकी हैं। वह भी हो जायेंगे।

श्री भीखाभाल (जिला उज्जैन)---

राजस्व मन्त्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि रामपुर जिले में रेंट रेट ज्यादा है क्या वह इस किस्म की कोई कार्यवाही करेंगे कि रेंट रेट कम किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन ---

बिना खर्च के वैसे ही कम हो जाय वही काम करेंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार ---

क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि वहां के रेट्स बरेली के रेट्स से चौगुने और पंचगुने हैं, इसलिये सवाया करने से काश्तकार को विशेष फायदा नहीं पहुंचता, तो क्या सरकार उसी प्रकार की व्यवस्था वहां भी लागू करेगी जो कि पड़ोस के जिलों में है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन ---

यह ज्ञात तो नहीं है कि चार गुना है।

चौधरी अब्दुल हसीब खां---

रामपुर में जो तरीका मुस्ताजिरी राजस्व था उसको मान लिया है क्या सरकार उस पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन ---

हमने जो कर दिया है वह सेटिस्फैक्टरी है। उससे काम चल जायगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार ---

मेरी सूचना को सही मान कर कि वहां पर प्रति कच्चा बीघा चार, साढ़े चार रुपया लगान पड़ता है और पड़ोस के जिलों में खास कर एक रुपया बीघा लगान है, उसे लेवल तक लाने का आदेश जारी करेंगे और उसकी जांच करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इसको वे स्वीकार नहीं करते।

श्री हरीशकुमार गंगवार ---

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करवायेंगे कि वहां के रेट्स पड़ोस के जिलों से बहुत ज्यादा हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

ऐसा होने की वजह से मैंने सवाया रखा है।

श्री कल्याणराय (जिला रामपुर) —

अब और जिलों में छ: रुपये फी एकड़ से ज्यादा लगान नहीं है तो वहां १७–१८ रुपये क्यों है? रामपुर का जो हिस्सा मुरादाबाद से मिला है उसका लगान मुरादाबाद के बराबर कर दें, नैनीताल से मिले हुये हिस्से को नैनीताल के बराबर कर दें, बरेली से मिले हुये हिस्से का बरेली के बराबर कर दें। क्योंकि इतने दिन हो गये, कागज को चलते-चलते, १२–१४ साल हो गये, सन् १९५२ से तो मैं ही बराबर कह रहा हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसका तो जवाब दे दिया है कि यह सूचना नहीं है कि चोगुना पंचगुना है लेकिन यह जरूर है कि कुछ रेट ज्यादा हैं इस वजह से बजाय २०० परसेंट के सवा गुना हमने रखा है कि इतना ज्यादा हो मालगुजारी कम कर दी जाय। इसी तरह से ९०१ गांवों की कम कर दी है और १५० के ऊपर कार्यवाही हो रही है, वह भी जल्दी ही हो जायगा।

श्री ऊदल—

जो ९०१ गांवों का वह जिक्र कर रहे हैं वहां भी अभी उसी पुराने रेट के हिसाब से जैसा कि माननीय कल्याण राय जी ने कहा १८ रुपये एकड़ के हिसाब से वसूली हो रही है, क्या माननीय मन्त्री जी को इसकी सूचना है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

८९ हजार मालगुजारी हमने कम कर दी है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो उत्तर में कहा गया है कि इसकी सूचना नहीं है कि ३ गुना या ४ गुना है और जिसके लिये बार-बार पूछा गया, या तो यह कहें कि तीन गुना, चार गुना नहीं है, निश्चित रूप से यह बतायें या उसकी जांच करायें अगर कहीं तीन गुना, चार गुना है तो उसको कम कराने की कृपा करें?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अगर भाई चन्द्रजीत जी को इस बात से सन्तोष हो तो मैं यह कह दूं कि मैं इसकी जांच करा लूंगा कि तीन गुना, चार गुना है या नहीं है।

*२२–२३—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

[२५ मार्च, १९६४ के लिये प्रश्न ४८–४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२४–२५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

[३ अप्रैल, १९६४ के लिए स्थगित किये गये।]

*२६—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*२७–२९—श्री मेघनाथ सिंह शिशोदिया—

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

गाजीपुर जिले में मालगुजारी में छूट

*३०—श्री कमलासिंह यादव—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में तहसीलवार पिछली बार ओलों से नुकसान के सम्बन्ध में मालगुजारी में क्या छूट तथा अन्य सहायता दी गयी है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५१० पर)

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ओले से किन-किन फसलों का कितना-कितना नुकसान हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुझे अफसोस है कि उसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय मन्त्री जी ने, जो क्षति की सूचना क्षेत्रफल में दी है वह उन किसानों की है, जिनकी आठ आने से अधिक क्षति हुई है या उनकी की है कि जिनकी आठ आने से कम क्षति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उसमें तो क्षति का रकबा दिया है। उसमें सभी आ जाते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि जो क्षति सरकार ने दिखायी है वह बहुत कम आंकी गई है और मौके पर बहुत ज्यादा क्षति हुई है सैदपुर तहसील में खासतौर से मालगुजारी की छूट जो है उसमें भी ५० प्रतिशत वसूली कर ली गई है, स्थगित नहीं की गयी है तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और पूरा प्रबन्ध करेगी कि सही आंकड़े आ सकें और लगान के बारे में भी सही कार्यवाही हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

क्षति अन्डर एस्टीमेट की गई, ऐसी सूचना मेरी नहीं है लेकिन मालगुजारी अगर वसूल की जा रही है जो छोड़ दी गई हो तो उसकी जांच करा लेंगे।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं जानना चाहूंगा कि जो गांव ओले से पीड़ित थे उन गांवों में पाले का असर है या नहीं है और अगर है तो अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार क्या माननीय मन्त्री जी उस इलाके में रबी का असेसमेन्ट जब तक नहीं हो जाता तब तक खरीफ का भी लगान मुल्तवी करेंगे और कोई कोअर्सिव मेयड न इस्तेमाल हो इसका आश्वासन देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वह तो आर्डर जारी है, उस पर जरूर अमल होगा। ५० फीसदी से ज्यादा दोनों में नुकसान हुआ है तो मालगुजारी स्थगित रहेगी।

श्री कमलासिंह यादव---

माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि अहेतुक सहायता के रूप में जो ग्रान्ट दी गई है वह किन-किन बातों के लिये दी गई है और विद्यार्थियों को कोई सहायता दी गई है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

उसके लिये तो १ हजार रुपया दिया है और वह सूची जो दी है उसमें यह सब दिया है।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां पर ओला पड़ने से किसानों की खरीफ की फसल बरबाद हो चुकी है वहां पर मजदूर उनकी फसल काटकर अपना गुजारा किया करते थे, वही एकमात्र उनके जीवन का आधार था तो उन मजदूरों के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

उनके बारे में सम्भवतः हमने कुछ नहीं किया है।

*३१-३३---श्री जसराम सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

सुनार छात्रों की फीस

*३४---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्ण नियन्त्रण योजना के कारण पीड़ित सुनारों के पढ़ने वाले बालकों की फीस माफी करने हेतु कोई योजना भारत सरकार द्वारा प्रादेशिक सरकार को अभी हाल ही में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

भारत सरकार से इस वर्ष के लिये कोई ऐसी योजना प्राप्त नहीं हुई।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या शिक्षा मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या गत वर्ष उनको इस प्रकार की योजना भारत सरकार से मिली थी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

गतवर्ष ऐसी कोई योजना नहीं मिली।

गांव सभा के कागजातों का निरीक्षण अधिकार

*३५---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब से गांव समाज गांव सभा में ही निहित हो गई क्या तहसीलदार व हाकिम परगना को गांव सभा के कागजातों का निरीक्षण करने का अधिकार है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सरकार के मत में उनको यह अधिकार प्राप्त है ।

*३६—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिला कानपुर के अन्तर्गत तहसील घाटमपुर के किसी प्रधान को हाल ही में उपरोक्त अधिकारियों ने गांव सभा के कागजातों का निरीक्षण करने का आदेश दिया? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसा कोई आदेश तहसील में उपलब्ध नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

यह देखा जाता है कि गांव सभा के जो कागजात हैं उनका निरीक्षण कानूनगो करता था। उसका मन्त्री अब तक लेखपाल रहता था, तो जितनी गड़बड़ी होती रही वह लेखपाल की वजह से हो रही थी। तो क्या सरकार इसकी छान-बीन करेगी और यह व्यवस्था करेगी कि प्रधान को कानूनगो गलत तरीके से जो परेशान करते हैं, वह न कर सकें ताकि हिसाब-किताब ठीक तरह से रखा जा सके और कोई गड़बड़ी हिसाब-किताब में न रहे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

एस० डी० ओ० को अधिकार है कि वह निरीक्षण करे। वह अपने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के जरिये भी करा सकता है। सस्पेंड भी कर सकता है और अनुशासन की कार्यवाही भी कर सकता है।

*३७–३९—राजा विक्रमशाह (जिला शाहजहांपुर)—

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४०–४२—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

उन्नाव जिले में सई नदी का क्षतिग्रस्त पुल

*४३—श्री भीखालाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में अजगैन-हसनगंज सड़क व लखनऊ-मोहान सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने अन्तर्गत ले लिया है लेकिन मोहान के निकट लगभग तीन फर्लांग का हिस्सा बाकी पड़ा है जिसको विभाग ने नहीं लिया है क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग इस भाग को अपने अधीन लेने पर विचार करेगा ताकि दोनों सड़कें एक दूसरे से मिलाई जा सकें?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां, इन दोनों सड़कों को इस विभाग ने ले लिया है। प्रश्नगत टुकड़े को जिसकी लम्बाई ४ फर्लांग है सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ले लेने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*४४—श्री भीखालाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक ६ अगस्त १९६२ को अपने पत्र द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि उपरोक्त तीन फर्लांग के हिस्से में सई नदी का पुल भी है जो गत १९६० व १९६१ की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया है और यदि उसकी मरम्मत न की गई तो पुल के टूट जाने की सम्भावना है? यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जिस सड़क पर यह पुल पड़ता है वह जिला परिषद्, उन्नाव के अन्तर्गत है। चूंकि इस टुकड़े को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अभी नहीं लिया है इसलिये प्रश्नगत पुल की मरम्मत का उत्तरदायित्व परिषद् का है।

*४५—श्री भीखालाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में औरास के निकट सई नदी पर जो पुल बन रहा है वह कब बनना शुरू हुआ और ठेकेदार को कितने समय के अन्दर पुल बनाकर तैयार करने का आदेश दिया गया है और अब तक की प्रगति को देखते हुए पुल के कब तक बन कर तैयार होने की आशा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुल का निर्माण १३-११-६१ को आरम्भ हुआ था। ठेकेदार को पुल निर्माण के लिये एक साल का समय दिया गया था परन्तु यह अवधि इस कार्य के लिये कम सिद्ध हुई। कार्य प्रगति में है और अब यह पुल ३०-६-६४ तक बन कर पूर्ण हो जायगा।

श्री भीखालाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, उन्नाव ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस टुकड़े को लेने के लिये कब लिखा था और यह प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह प्रश्न १।।, २ साल से विचाराधीन है।

श्री भीखालाल—

क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि इस हिस्से पर जो सई नदी का पुल है १९६०-६१, की बाढ़ से उसका एक हिस्सा टूट गया था अगर उसकी फौरी मरम्मत नहीं की गई और दूसरी बाढ़ आई तो उसको वह बरदाश्त नहीं कर सकेगा। उसकी मरम्मत में अब अगर ५० हजार खर्च होगा तो बाद में ५ लाख खर्च होगा तो क्या मन्त्री जी इसका जल्दी फैसला करके अगली बरसात आने से पहले इसकी मरम्मत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

आशा है इस ४ फर्लांग टुकड़े के लिये फैसला जल्दी हो जायगा। इसके साथ-साथ पुल का निर्माण भी उसके साथ ही हो जायगा।

श्री जे० पी० मिश्र—

क्या सरकार को मालूम है कि इस पुल के ऊपर ठेकेदार, ओवरसियर और इंजीनियर मिलकर स्लीपर रखकर ५ रुपया फी ट्रक और १ रुपया फी गाड़ी सन् १९६१ से अब तक ले रहे हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है। जिला परिषद् के पास हो सकती है जो इस सड़क और पुल को चलाते हैं।

*४६—श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

[१८ मार्च, १९६४ के लिये प्रश्न ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४७-४९---श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)---

[३ अप्रैल १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले के माल विभाग में परिगणित जातीय कर्मचारी

*५०--श्री मातप्रसाद (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में सन् १९६३ ई० और जनवरी, १९६४ ई० में कलेक्शन विभाग में कुल कितने अमीन, क्लर्क और चपरासी रखे गये उनमें परिगणित जाति की संख्या कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में सन् १९६३ में व जनवरी, १९६४ में कलेक्शन विभाग में रक्खे गये अमीन, क्लर्क व चपरासियों की संख्या तथा उनमें परिगणित जाति के लोगों की संख्या संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५११ पर)

*५१--श्री मातप्रसाद (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३ ई० में जौनपुर जिले के कलेक्शन विभाग द्वारा जो अमीन, क्लर्क, चपरासी रखे गये उनमें से गवर्नमेंट आर्डर के अनुसार कितनी जगहें इम्प्लायमेंट एक्सचेंज को नोटीफाइ की गईं और उनके द्वारा भेजी गई लिस्ट से कितने व्यक्ति रखे गये ? यदि इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा नाम नहीं मंगाये गये, तो इसका पालन जौनपुर के कलेक्शन विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त नियुक्तियों के सम्बन्ध में न करने पर उनके विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

सन् १९६३ में जौनपुर जिले के कलेक्शन विभाग द्वारा जो अमीन, क्लर्क व चपरासी रखे गये उनमें से ८१ अमीन व ८१ चपरासी की जगहें सेवायोजन कार्यालय को नोटीफाइ की गयीं। सेवायोजन कार्यालय द्वारा भेजे हुये व्यक्तियों की सूची में से केवल १० व्यक्ति उपस्थित हुये जिनमें से ४ व्यक्ति परिगणित जाति के थे। उनमें से एक उपयुक्त व्यक्ति परिगणित जाति का नियुक्त किया गया। अन्य व्यक्ति जो पहले कार्य कर चुके थे और सेवायोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड थे नियुक्त किये गये। नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकारी आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया गया। इस कारण किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर जिले में मालगुजारी की वसूली

*५२---श्री कमलासिंह यादव---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में इस वर्ष तहसीलवार ओला के कारण कितनी फसल का नुकसान हुआ है, तथा सरकार ने कितनी लगान में छूट तथा सहायता किन-किन गांवों के किसानों को दी है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

गाजीपुर जिले में नवम्बर, १९६३ में ओले से हुई क्षति एवं सहायता का तहसीलवार विवरण संलग्न तालिका में प्रस्तुत है। सहायता का ग्रामवार विवरण एकत्र किया जा रहा है लगान आदि में छूट नियमानुसार दी जायेगी।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५१२ पर)

*५३—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रबी की फसल गत शीतलहरी के कारण गाजीपुर जिले में खराब हो गई है जिससे बीज तक किसानों को मिलने की आशा नहीं है तो इस संबंध में गाजीपुर जिले में फसल में कितना नुकसान हुआ है और सरकार इस संबंध में किसानों के इमदाद में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी हां। शीतलहरी के कारण फसलों को क्षति अवश्य पहुंची है किन्तु क्षति की मात्रा इतनी अधिक नहीं हैं कि बीज भी न मिल सकेगा। वास्तविक क्षति का विवरण विस्तृत पड़ताल के बाद ही ज्ञात हो सकेगा जो कि जारी है।

अनुमानतः क्षति निम्न प्रकार है—

मटर	.. .. ..	१६ से ३७	नये पैसे
अरहर	.. .. ..	१६ से ३७	नये पैसे
मसूर	.. .. ..	१५ से ३७	नये पैसे
आलू	.. .. ..	२० से ३०	नये पैसे
कन्द	.. .. ..	२० से ३०	नये पैसे
लतरी	.. .. ..	२० से २५	नये पैसे
चना	.. .. ..	२० से २५	नये पैसे
मिर्चा	.. .. ..	२० से २५	नये पैसे

प्रभावित क्षेत्रों में बीस हजार रुपये की तकावी बाटी जा रही है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रबी की फसल में जो नुकसान हुआ है उसमें कितने रुपये की छूट दी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उसका एक्यूरेट एसेसमेन्ट किया जा रहा है।

श्री कमलासिंह यादव—

इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सरकार पूर्ण रूप से कब तक दे सकेगी।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अफसर दौड़ रहे हैं। जब तय होकर रेवेन्यू बोर्ड से होकर आ जायगा तो हो जायेगा।

श्री कमलासिंह यादव—

तो इन प्रश्नों को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप फिर प्रश्न कर लीजियेगा।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जो आंकड़े आये हैं वे गलत हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वे गलत नहीं, रफ हैं।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

जो माननीय मंत्री जी ने स्टेटमेन्ट दिया था उस पर सदन में एतराज हुआ था और फिर आपने आश्वासन दिया था कि हम दुबारा जांच करा लेंगे। तो क्या प्रश्नों का उत्तर उसी आधार पर है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दुबारा जांच करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

दुबारा जांच हो रही है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---

मंत्री जी ने कहा है कि ५० नये पैसे से ज्यादा के नुकसान पर छूट दी जायगी। तो ये रफ आंकड़े छूट देने का आधार होंगे या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

एक्यूरेट आंकड़े आधार होंगे, रफ नहीं।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---

मंत्री जी ने सदन में रफ आंकड़े पेश किये हैं। क्या यह उचित है ?

श्री अध्यक्ष---

जिस समय वे प्रस्तुत हुए थे, मंत्री जी ने कहा था कि यह रफ आंकड़े हैं, फाइनल बाद में आयेंगे।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन के सामने रफ आंकड़े प्रस्तुत किये नहीं जा सकते।

श्री अध्यक्ष---

एक तो गलत आंकड़े होते हैं, एक होते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से जो रफ आइडिया आया है उसे वह पेश कर रहे हैं।

श्री गेंदासिंह---

जो रफ आंकड़े मंत्री जी ने बताये हैं २० या ३० फीसदी एक्यूरेट आंकड़े इससे ज्यादा ५०-५१ फीसदी भी हो सकते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

ज्यादा भी हो सकते है, कम भी हो सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---

क्या मंत्री जी को पता है कि रफ आंकड़ों का फल यह हुआ है कि जिलों में अधिकारीगण कोअर्सिव मेथड एडाप्ट करके वसूली कर रहे हैं ? तो जब तक सही आंकड़े न प्राप्त हों, मंत्री जी वसूली स्थगित करने के आदेश देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

ऐसी सूचना मुझे नहीं है कि जबरदस्ती कोअर्सिव मेथड से वसूल कर रहे हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह---

जो ३० फीसदी के आंकड़े सरकारी अधिकारियों ने भेजे हैं वह ५० फीसदी से आज भी कम नहीं है और जांच इसकी होनी चाहिये कि क्या वह ५० से सौ फीसदी तो नहीं है, इसका क्या वह आश्वासन देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

एक्युरेट असेसमेन्ट के माने यह है कि जो ऐक्चुअल हो उसको एप्राक्सिमेटली असेस किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, मैं समझता हूं प्रश्न यह है कि जो रिपोर्ट आयी है रफ...

एक सदस्य—

वह झूठी है ।

श्री अध्यक्ष—

झूठी नहीं कही जा सकती । वह माननीय सदस्यों की निगाह में अण्डर एस्टीमेट है, इस वजह से हो सकता है कि वहां पर वसूली सख्ती से हो रही हो तो जब तक फायनलाइज न हो जाय उस वक्त तक के लिये कोई तरीका वह निकालेंगे ? यह मतलब है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

१५ अप्रैल को ड्यू होगा, उसके पहले वसूली हो नहीं सकती ।

श्री कमलासिंह यादव—

उस एरिया में जहां पर ओले से क्षति हुई है और फिर रबी की फसल को नुकसान हुआ है और ३७ नये पैसे क्षति गलत तरीके पर दिखलाई गयी है और मंत्री जी के एनकरेजमेन्ट पर गलत एस्टीमेट दिया है तो क्या मंत्री जी जांच कराकर सही-सही एस्टीमेट करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं तो आदेश भेज चुका हूं । मैं खुद देखूंगा जाकर के ।

श्री जे० पी० मिश्र—

जिन जिलों में रिपोर्ट रफ और सही एकसां होगी तो उनका लगान माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वह तो कायदे में आ ही जायेंगे ।

श्री रामअवध—

माननीय मंत्री जी जो हाल ही में गोरखपुर से बहराइच दौरे पर गये हैं तो अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर उन जिलों की क्षति पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अरहर , चना, मटर में नुकसान हुआ है ।

श्री रामभजन (जिला खीरी)—

यह ५० फीसदी की छूट का आधार खातों के ऊपर किया है या खेतों के ऊपर ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

होल्डिंगवाइज जो रूल है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

इस संबंध में कोई कानफिडेंशियल आर्डर्स कलक्टर्स को ऐसे हुए हैं कि नुकसान कम दिखाया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी नहीं, बिलकुल गलत है। बल्कि सही दिखाने के लिये हैं।

श्री कल्पनाथसिंह---

क्या मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में अब तक जो लगान की वसूलयाबी की जा रही है उसे जब तक आंकड़े एकत्रित न हो जायं, पूरा असेसमेन्ट न किया जाय तब तक मुल्तवी किया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वह तो हम आर्डर दे चुके हैं।

श्री सारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)---

इस बात को देखते हुए कि हानि के अनुमान में अक्सर यहां मतभेद हुआ करता है। तो इस बात का सरकार क्या प्रयास करेगी कि इस पाले से हुई क्षति की जानकारी अलग-अलग जिलों से वहां के ग्राम प्रधानों तथा ब्लाक डेवलपमेन्ट कमेटियों से भी कराई जाय ताकि उनकी रिपोर्ट और जो सरकार के पास जो आंकड़े आते हैं इन दोनों में समन्वय हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

अब इलाकों के बारे में तो यहां न जाने कितनी बार शिकायतें सुनने को मिली हैं, फिर हम ऐसी एजेन्सी की तरफ क्यों जायं।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)---

कई जिलों में अभी तक आर्डर नहीं पहुंचे हैं और लगान सख्ती के साथ वसूल हो रहा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

फरवरी में भेज दिया गया है, सब जगह पहुंचा होगा।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अरहर की फसल में जो नुकसान हुआ है, उसमें यह छूट कितने परसेंट होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

अगर असली बात कही जायेगी तो माननीय सदस्य नाराज हो जायंगे। अरहर की फसल तो रबी की फसल है, उसमें आप क्यों जाते हैं, वैसे हम उसमें भी लिबरल एक्शन लेंगे।

श्री कमलासिंह यादव---

नुकसान का सही पता लगाने के लिये यह जरूरी है कि प्लाट टुप्लाट जाकर देखा जाय, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो क्या सरकार ऐसे करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मालगुजारी प्लाट वाइज एसिस्ट नहीं होती है, वह होल्डिंग वाइज होती है और उसी से हम पाबन्द हैं। अब अगर उसके लिये हम रूल में परिवर्तन करते हैं, तो सालों लग जायेंगे, वह हम कर नहीं सकते।

श्री रामग्रधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

जिला बहराइच की कैसरगंज की मुझे जानकारी है, वहां बाढ़ के समय तथा इधर पाले से दोनों फसलें नष्ट हो गयीं वहां पर क्या माननीय मंत्री जी पूरी मालगुजारी माफ करने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कैसरगंज और भिनगा मेरी कान्सटीट्यूएन्सी है, मैं जानता हूं वहां की स्थिति। जो कायदे के अनुसार होगा, वह किया जायेगा।

*५४–५६—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५७–५८—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*५९—श्री राजदेव (जिला देवरिया)—

[हटा दिया गया।]

मैनपुरी जिले में मालगुजारी वसूली

*६०—श्री गणेश चन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार को पता है कि जिलाधीश मैनपुरी व सरकार के पास अभी हाल ही में इस आशय के सैकड़ों प्रार्थना-पत्र काश्तकारों की तरफ से आये हैं, कि मैनपुरी जिले के बाढ़ क्षेत्र की मालगुजारी वसूली के लिये रुपया वसूल न होने पर संबंधित कर्मचारी काश्तकारों की लाठियों से मार पीट कर रहे हैं, और मुर्गा बना रहे हैं, जिसके कारण बहुत से लोग जख्मी हो गये हैं और अस्पताल में पड़े हैं?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी नहीं। ऐसे कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

*६१—श्री गणेशचन्द्र काछी—

यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर सरकार ने क्या किया है?

श्री रामकुमार शास्त्री—

प्रश्न नहीं उठता।

*६२—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के बाढ़ क्षेत्र में पाला पड़ने के कारण किसानों की खड़ी फसलें जल कर नष्ट हो गयी हैं? ऐसी सूरत में क्या सरकार विचार करने की कृपा करेगी कि बाढ़ क्षेत्र की मालगुजारी की वसूली रोक दी जावे और रबी १३७१ फसली में वसूली की जावे?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इस संबंध में सरकार ने सभी जिलाधीशों को सामान्य आदेश जारी कर दिये हैं कि ऐसी जोतों की बकाया मालगुजारी की वसूली, जिनमें प्राकृतिक विपत्तियों के कारण पिछली खरीफ फसल में रुपये में ५० नये पैसे या अधिक की हानि हुई थी, अगली रबी फसल की मालगुजारी की मांग देय होने तक स्थगित कर दी जाय यदि उसमें हाल के पाला व शीत के कारण हानि रुपये में ५० नये पैसे या अधिक अनुमानित हो।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

किस खेत में कितना नुकसान होता है उसकी जानकारी लेखपाल देता है। तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके पास इसके अलावा और कोई ऐसा तरीका है जिससे उस विषय में सही जानकारी प्राप्त हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

लेखपाल के अलावा, तहसीलदार और एस० डी० ओ० भी दौड़ रहे हैं।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार विचार करेगी कि जिन काश्तकारों की रबी और खरीफ की फसल ५० फीसदी से ज्यादा नष्ट हुई है उनकी मालगुजारी बिलकुल माफ कर दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वह तो कायदे के अनुसार किया ही जायगा।

श्री ऊदल—

लगान में छूट देने की पुरानी सड़ी हुई मैनुअल में कुछ परिवर्तन करने की क्या मंत्री जी सोच रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सरेदस्त नहीं।

श्री कैलाश—

क्या सरकार रबी और खरीफ की मालगुजारी न वसूल करने के आदेश देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैंने आदेश दे दिये हैं कि खबरदार १ पैसा न वसूला जाय।

श्री बंशीलाल—

जहां ५० फीसदी से ज्यादा हानि हुई है और जिसके एस्टीमेट अभी नहीं बने हैं, क्या सरकार वहां की वसूली रोकने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जहां ५० फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ है वहां रोक दी है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

बहुत सी जमीन ऐसी है जो जोतने बोने पर भी जमी नहीं है, सूखी पड़ी है, तो क्या मंत्री जी अपने जांच कर्ताओं से इनकी भी जांच कराने की कृपा करेंगे कि किस गांव में कितनी जमीन बिना उगी हुई पड़ी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह तो बहुत बड़ा सवाल है, हम देखेंगे।

श्री जे० पी० मिश्र—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि कमिश्नर साहब और डी० एम० हरदोई ने सिंचित क्षेत्र का नुकसान ५० फीसदी से ऊपर दिखलाया है और उसी जगह सिंचाई के इंजीनियर्स ने २ आने और ४ आने दिखाया है और पिछली मीटिंग में एग्रीकल्चर अफसर की रिपोर्ट १२ आने की हुई है, तो इसका फैसला मंत्री जी कैसे करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं कलेक्टर की रिपोर्ट मानूंगा ।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

क्या सरकार तकावी और कोआपरेटिव के कर्जों आदि की भी वसूली पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं मालगुजारी और तकावी की ही बात कर सकता हूं ।

*६३–६४—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

माल विभाग, फैजाबाद में हरिजन कर्मचारी

*६५—श्री सुखरामदास (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस समय जिला फैजाबाद कलेक्टरी (रेवेन्यू) विभाग में कुल कितने उच्च अधिकारी तथा तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और इनमें से कितने हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना संलग्न सूची में है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५१३ पर)

*६६—श्री सुखरामदास (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उक्त कर्मचारियों में से कितने स्थायी और कितने अस्थायी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना संलग्न सूची में है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५१३ पर)

महसों–महुली सड़क

*६७—श्री काशीनाथबहादुर पाल (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कच्ची सड़क महसों से महुली तक पक्की होने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो काम हो रहा है, वह कब तक समाप्त हो जायेगा ।

श्री जगनप्रसाद रावत—

१९६५ के अन्त तक बन जाने की आशा है ।

*६८—श्री काशीनाथबहादुर पाल (अनुपस्थित)—

उक्त सड़क को बस्ती से मिलाने वाली जो महसों से बस्ती तक पक्की सड़क है उसमें भी एक मील जो बहुत ही खराब हो गयी है, क्या उसे भी बनवाने का सरकार प्रबन्ध कर रही है ?

*६९—यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

चूंकि यह सड़क अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नहीं ली है, इसलिये इसका बनवाना संभव नहीं है।

*७०—कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*७१-७३—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद) —

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

शिक्षा संस्थाओं में लिपिकों का वेतन

*७४—श्री रघुनाथसिंह (अनुपस्थित) —

दिनांक २० दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न ८३ के उत्तर में जो बताया गया है कि असरकारी हायर सेकेन्डरी और इन्टर कालेजों के लिपिक वर्ग का १९४७ में निर्धारित वेतन-क्रम सरकारी स्कूलों के लिपिकों के लगभग बराबर है तो क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि जब सरकारी इन्टर कालेजों के प्रधान लिपिक का वेतन-क्रम ७५-५-१२०—दक्षता रोक—८—२०० रुपया है, और उस के नीचे का सरकारी लिपिक वर्ग का वेतन-क्रम ६०—४—१००—दक्षता रोक—५—१५० रुपया है, तो ऐसी असरकारी शिक्षा संस्थाओं के प्रधान लिपिक का वेतन क्रम ७५—५—१२० और उसके नीचे के लिपिक वेतन-क्रम ६०—४—८० रु०—३० रो०—४—१०० रुपया क्यों है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

प्रश्न में उल्लिखित राजकीय (सरकारी) विद्यालयों के प्रधान लिपिक तथा अन्य लिपिकों के वेतन क्रम सही नहीं हैं। उनके सही वेतन क्रम निम्नलिखित हैं :

(१) इन्टर कालेजों के प्रधान लिपिक }
(२) हाई स्कूलों के प्रधान लिपिक } रु० ८०—५—१००—६—१३०

(३) अन्य लिपिक .. .. रु० ६०—३—९०—४—११०

उपर्युक्त वेतन क्रम, गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधान लिपिक तथा अन्य लिपिकों के वेतन-क्रम के लगभग बराबर हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(१) इन्टर कालेजों के प्रधान लिपिक .. रु० ७५—५—१२०

(२) अन्य लिपिक .. .. रु० ६०—४—८०—दो रो०—४—१००
(हाई स्कूल तथा इन्टर कालेज)।

*७५—श्री ऊदल—

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*७६-७७—श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर) तथा श्री कल्पनाथसिंह —

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*७८-७९—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*८०-८२—श्री भीखालाल —

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*८३—श्री दीपनारायणसिंह तथा श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) —

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

पाला पीड़ितों को सहायता

१—श्री मन्नालाल (जिला खीरी) —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९६४ में प्रदेश में शीतलहर में रक्षा हेतु सरकार द्वारा जनता को क्या क्या सहायता प्रदान की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

शीत व पाले से पीड़ितों की सहायता के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :—

(१) ऐसे जोतों में जहां पहले पिछले खरीफ की भी फसल में ५० नये पैसे या अधिक क्षति किसी दैवी आपदा के कारण हुई थी तथा रबी की भी फसल ५० नये पैसे या अधिक पाले के कारण नष्ट हो गई है, मालगुजारी की वसूली रोक देने के आदेश दिये जा चुके हैं। इस प्रकार के जोतों में तकावी की वसूली भी रोक देने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

(२) चौबीस अत्यधिक पीड़ित जिलों में चकबन्दी शुल्क की भी वसूली ३० सितम्बर, १९६४ तक स्थगित कर दी गई हैं।

(३) प्रभावित क्षेत्रों में पहले से चल रही ३०४६ सस्ते गल्ले की दुकानों के अतिरिक्त १७६६ दुकानें और खोली गईं।

(४) तुषार पीड़ितों की सहायतार्थ चार जिलों में टेस्ट वर्क चलाये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(५) अहेतुक सहायता एवं तकावी का वितरण भी आवश्यतानुसार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त अन्तिम सहायता प्रस्ताव आ जाने पर नियमानुसार मालगुजारी में छूट भी दी जावेगी।

पाठ्य पुस्तकों में दक्षिणी साहित्य

२—श्री चन्द्रबलीसिंह —

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की पाठ्य-पुस्तकों में दक्षिण भारत के कवियों तथा साहित्य सृजकों की कविताओं, कहानियों, निबन्धों के अनुवाद, साहित्यकारों, संतों, राजनायकों के जीवनचरित्र रखे जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं की हिन्दी पाठ्य पुस्तकों तथा हायर सेकेन्डरी कक्षाओं की हिन्दी तथा अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों में दक्षिण भारत के कवियों तथा साहित्य सृजकों की रचनायें तथा प्रमुख राजनायकों तथा राजनीतिज्ञों के जीवन चरित्र सम्बन्धी पाठ सम्मिलित हैं। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर बक्षिण की एकता की दृष्टि से उक्त कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान अध्यापकों का वेतन तथा अध्यापन समय

४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान के अध्यापकों की कमी का ध्यान करते हुये बी० एस-सी० अध्यापकों का वेतन-क्रम बढ़ाने पर वे शीघ्र विचार करेंगे जिससे विज्ञान अध्यापकों की कमी की पूर्ति की जा सके ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश काल की एक रूपता लाने एवं अध्यापन के दिन बढ़ाने की योजना पर वे शीघ्र विचार करेंगे कि अध्यापन-कार्य में तीव्रगति हो सके ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, प्रश्न विचाराधीन है।

६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

जूनियर हाई स्कूल

७—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के प्रत्येक जिले में कहां कहां राजकीय जूनियर हाई स्कूल खोले गये हैं और प्रत्येक पर भवन-निर्माण के लिये कितना-कितना रुपया व्यय किया जायेगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—

चालू वित्तीय वर्ष (१९६३-६४) में निम्नलिखित जिलों के निम्नलिखित स्थानों में इक्कीस राजकीय जूनियर हाई स्कूल खोले गये हैं :

बालकों के—

(१) बड़ौत (मेरठ)
(२) गोवर्धन (मथुरा)
(३) बिसालपुर (पीलीभीत)
(४) मड़ियाहूं (जौनपुर)
(५) मोहम्मदाबाद गोहना (आजमगढ़)
(६) शिवकुटी (इलाहाबाद)
(७) अमेठी (सुल्तानपुर)
(८) ओयल (खीरी)

वालिकाओं के :—

(१) पीपरगांव (फर्रुखाबाद)
(२) बिलासपुर (रामपुर)
(३) पैदल पट्टी पैदल सियूं (पौड़ी-गढ़वाल)
(४) सरकारी अजीज (मुरादाबाद)
(५) बलदेव टाउन (मथुरा)
(६) लालगढ़ी (एटा)
(७) मस्किनवा (गोन्डा)
(८) चित बड़ा गांव (बलिया)
(९) करोरा (बुलन्दशहर)
(१०) कोलना (मिर्जापुर)
(११) पिन्डी (देवरिया)
(१२) सहार (इटावा)
(१३) बिन्दकी (फतेहपुर)

प्रत्येक विद्यालय के भवन निर्माण पर ९०,००० रु० (नब्बे हजार रुपये) का अनुमानित व्यय होगा।

डिग्री कालेजों को अनुदान

८—श्री रामसुन्दर पांडेय —

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन डिग्री कालेजों को आवर्त्तक अनुदान चालू वित्तीय वर्ष में कितना कितना रुपया दिया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश —

सूचना †संलग्न है।

९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[हटा दिया गया।]

झांसी जिले के कुछ गांवों में लगान वसूली रोकना

१०—श्री ऊदल —

क्या सरकार दिनांक ७ दिसम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २३–२४–२५ के के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेगी कि—

(क) क्या यह सही है कि लड़ाई, सन् १९४५ में समाप्त हो गयी थी और उक्त गांवों के लोग लड़ाई समाप्त होने के बाद ही सन् १९४६ में अपने अपने गांव आकर आबाद हो गये ;

(ख) क्या सन् १९३९ और १९४५ के बीच के काल में इन सभी गांवों के मकान, अस्त तथा वीरान हो गये थे और गांव के निवासी जब आये तो अपने अपने मकान दुरुस्त किये, नये बनाये, खेतों को ठीक किया तथा पेड़ लगाये ? यदि हां, तो क्या इन सबका मुआवजा दिया गा ;

(ग) क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मध्य प्रदेश के कितने ग्राम बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में आये और उनके मुआवजे में तथा यहां के किसानों के मुआवजे में अन्तर नहीं है। यदि अन्तर है तो मध्य प्रदेश के रेट से मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ?

---

†छापी नहीं गई।

[श्री ऊदल]

(घ) क्या सरकार इन किसानों के मामलों को आरबीट्रेशन के पास भेज चुकी ? यदि हां, तो उसका क्या निर्णय हुआ ?

(ङ) क्या सरकार प्रश्न संख्या २४ के उत्तर के सन्दर्भ में बतायेगी कि पुनर्वासित करने के लिये कितनी जमीन और कितना रुपया सरकार ने रक्खा है और जिलाधीश को जो आदेश पहले दिये जा चुके हैं उसमें कितने किसानों को पुनर्वासित कहां कहां पर किया गया है ? क्या यह सही है कि ३५ सौ परिवारों में सिर्फ ३७५ परिवार ही बसाये गये हैं ?

(च) क्या यह सही है कि नवम्बर, १९४८ में जब नोटिफिकेशन हो गया था तो प्रदेश की सरकार ने किस अधिकार से लगान की वसूली की और उनका नाम सरकारी कागज में लिखवाया ?

श्री हुकुम सिंह विसेन —

(क) कुछ लोग अवैधानिक रूप से बस गये और उनको हटाने का कार्य भारत सरकार वैधानिक रूप से कर रही है।

(ख) कुछ लोगों ने अवैध रूप से ऐसा किया। उनके जो नये मकान बने उनका मुआवजा दिया गया।

(ग) प्रश्न के पहले भाग की सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है किन्तु जिले की रिपोर्ट के आधार पर लगभग ३० हजार एकड़ भूमि मध्य प्रदेश में हस्तगत की गई थी। मुआवजे की दर में अन्तर है परन्तु नियम के अनुसार मुआवजा भारत सरकार ने निर्धारित किया है। वैधानिक रूप से प्रदेशीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अतएव जो दर भारत सरकार ने स्वीकार की उसके आधार पर लोगों को मुआवजा दिया गया।

(घ) अधिकतर लोगों के मामले मध्यस्तता के हेतु भेज दिये गये हैं और जो शेष बचे हैं वे भी शीघ्र ही भेज दिये जायेंगे। निर्णय अभी नहीं हुआ।

(ङ) झांसी तहसील के ग्राम खैलार रूंद, दिगारा रूंद, गढ़मऊ सिजवाहा रूंद, डंगरिया रूंद, बलौरा रूंद, बघौरा रूंद, कोटी रूंद, सिमराहा रूंद, डंगरवाहा रूंद, नोहरा, बिजौली, मथुरापुरा, रसीना, टांकोरी व रौनोजा स्थानों की ११,६२५ एकड़ भूमि पर इन लोगों के बसाने हेतु जिलाधीश महोदय को आदेश दिये जा चुके हैं। प्रभावित परिवारों की संख्या २,६०० है। अब तक ८६८ परिवारों को पुनर्वासित किया जा चुका है। शेष परिवार अभी तक अपनी भूमि इत्यादि का अवैधरूप से उपभोग कर रहे हैं। उन्हें हटाने व पुनर्वासित कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। भारत सरकार ने पुनर्वासन हेतु ३,५०,००० रु० की धनराशि प्रदेश सरकार को दी है। इसी रकम से पुनर्वासन का कार्य किया जा रहा है।

(च) लगान की वसूली इत्यादि अनधिकृत थी। अतएव जैसा कि पहले बताया जा चुका है भूमि के हस्तगत की तिथि के बाद जो लगान वसूल किया गया था उसकी वापसी के आदेश दिये गये थे।

११—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

१२-१३—श्री हरिराम—

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये]।

कमिश्नर, गोरखपुर की अदालत में जमींदारी सम्बन्धी मुकदमे

१४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या राजस्व मन्त्री जांच कराकर एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मन्डल के कमिश्नर की अदालत से जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की धारा १७६ के अन्तर्गत जनवरी, सन् १९६३ से २५ जनवरी, सन् १९६४ तक कितने मुकदमे दाखिल हुये तथा उनमें से कितने रिमान्ड किये गये और कितने पर फैसले उपरोक्त अदालत से हुये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न में उल्लिखित अवधि के भीतर दाखिल हुई अपीलों की संख्या ४६२ थी। रिमान्ड व फैसल की गई अपीलों की संख्या क्रमशः ३०९ व ५८ थी।

१५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सालों में कितने दिन कमिश्नर न अदालत की तथा प्रति दिन कितने मुकदमे दफा १७६ के फैसल या रिमाण्ड हुए ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कुल ५९ दिन अदालत की, जिनमें प्रति दिन औसतन एक व ५.२४ अपीलें क्रमशः फैसल व रिमाण्ड की गई।

१६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या यह सत्य है कि कमिश्नर, गोरखपुर मण्डल ने कुल दफा १७६ के मुकदमे उपरोक्त सालों में अपने ही अदालत में रख लिये तथा अतिरिक्त कमिश्नर की अदालत से भी मंगवाकर फैसले किये ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न में उल्लिखित पूरी अवधि में तो नहीं, किन्तु जुलाई, १९६३ से अवश्य ही कमिश्नर गोरखपुर ने धारा १७६ की सभी अपीलें अपने न्यायालय में रख लीं और अतिरिक्त कमिश्नर के न्यायालय से भी इस प्रकार की अपीलें मंगवाकर उनका फैसला किया। ऐसा उन्होंने न्यायालय के रूप में किया जिसके विषय में मत व्यक्त करना उचित नहीं होगा।

ज्ञानपुर तहसील में भूमिधरी के अधिकार

१७—श्री हरिगैनराम—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के ज्ञानपुर तहसील में सन् १९६१ से सन् १९६३ तक के बीच में कितने व्यक्तियों का सीरदारी से दस गुना जमा किया गया और किन-किन व्यक्तियों को दस गुना की सनद दी गयी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

ज्ञानपुर तहसील में १-१-१९६१ से ३१-१२-१९६३ तक कुल १,४६७ व्यक्तियों ने सीरदारी का दसगुना जमा किया जिनमें से ४४७ व्यक्तियों को भूमिधरी की सनद दी गयी।

१८—श्री हरिगैनराम—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन व्यक्तियों को भूमिधरी का अधिकार मिला या नहीं और क्या उन व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह बिसेन--

जिन ४४७ व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र दिये जा चुके उन्हें भूमिधरी का अधिकार प्राप्त हो चुका है। शेष १,०२० व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा सका क्योंकि फार्मों की कमी हो गई थी। प्रमाण-पत्र देते ही उन्हें भूमिधरी के अधिकार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा १३७ के अनुसार उसी तारीख से प्राप्त समझे जायेंगे जिस तारीख से उन्होंने रुपया जमा किया।

१९--श्री हरिश्चन्द्र राम--

क्या यह सही है कि भूमिधरी प्रमाण-पत्र तहसील कार्यालय में नहीं है? यदि हां, तो कब से?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

भूमिधरी प्रमाण-पत्र अब प्रत्येक जिले में पहुंच चुके हैं।

२०-२१--श्री हरिश्चन्द्र राम--

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

२२-श्री रघुनाथसिंह--

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

गुलावटी-डासना सड़क की भूमि का लगान

२३--श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया--

क्या माल मन्त्री को पता है कि सन् १९४७ में बनी हुई गुलावटी धौलाना-डासना रटेन (जिला मेरठ) कच्ची सड़क जो पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा बनायी गयी थी उसमें आयी हुई किसानों की भूमि का लगान अभी तक सरकारी कागजों में से काटा नहीं गया है और किसान लोग अब तक उस का पूर्ण लगान देते हैं?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

यह कच्ची सड़क पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा नहीं बनी बल्कि स्वयं किसानों द्वारा श्रमदान से कहीं से सीधी और कहीं से चौड़ी की गई थी। ऐसा करने में किसानों की जो अतिरिक्त भूमि रास्ते में सम्मिलित हो गई वह काश्तकारों ने खुशी से अपनी सुविधा के लिये दी थी। वह भूमि अभी तक उन्हीं काश्तकारों के खातों में दर्ज चली आ रही है जिसके कारण उसका लगान काश्तकारों के खातों से नहीं काटा गया है।

२४--श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया--

क्या मन्त्री जी व्यवस्था करेंगे कि कागजों की जांच कराके वह लगान फौरन कम कर दिया जाय और तब से अब तक वसूल किया गया अनुचित लगान किसानों को वापिस कर दिया जाय या आगे देय लगान में मुजरा कर लिया जाय? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

कागजातों की जांच करवा कर लगान कम करवाने तथा अब तक वसूले गये अधिक लगान को किसानों को वापिस करने अथवा उसे उनके भविष्य में देय लगान में मुजरा करवाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर के ओवरसियरों के विरुद्ध शिकायतें

२५—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती) तथा श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार (१३ सितम्बर, १९६३) के तारांकित प्रश्न ९ के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि जो शिकायत जांच के बाद सही निकली और ओवरसियर पर जो जुर्माना किया गया तो ठेकेदार की क्षतिपूर्ति की गयी या नहीं ? यदि नहीं की गयी तो क्यों और जो दो सौ रुपये वसूल होंगे, वे किसे दिये गये या दिये जायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

ठेकेदार से जो-जो काम कराया गया था उन सबके लिये भुगतान उन्हें करा दिया गया। अतएव ओवरसियर से जो २०० रुपये की वसूली की जा रही है उन रुपयों को ठेकेदार को देने का प्रश्न नहीं उठता है।

यह रुपया ओवरसियर से वसूल कर कार्य के तखमीने में ले लिया गया ।

२६-२७—श्री बंशीलाल—

[३ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

सगड़ी तहसील में बेदखली

२८—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या माल मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि महाजी देवरा जदीद, तहसील सगड़ी, परगना गोपालपुर, जिला आजमगढ़ की सरहद पर कितनी जमीन है जिसको जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम की धाराओं के अनुसार सरकार ने कब्जा किये हुए लोगों को हटाने के लिये बेदखल किया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

७१७.६०८ एकड़ भूमि से बेदखली के आदेश हुए थे।

२९—श्री उमाशंकर—

क्या मन्त्री जी बता सकते हैं कि आज कल उक्त जमीन किसके कब्जे में है और क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५१४ पर)

प्रश्नों की कार्यसूची से प्रश्न हटाने पर आपत्ति

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे प्रश्न नं० १७ व १८ हटा दिये गये हैं। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि ये प्रश्न जो हटा दिये गये हैं यदि गैरकानूनी थे तो इस एजेंडे में इन्हें आने ही नहीं चाहिये थे, लेकिन जब एजेंडे में आ गये हैं तो उसके बाद ये क्यों हटा दिये गये या निकाल दिये गये, इसकी स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---

श्री लालपत राम जी, इसके दो तरीके हैं। एक तो जब प्रश्न दिये जायं, हम उसे अस्वीकार कर दें तो वे सूची में नहीं आते और जब वे अस्वीकृत नहीं होते हैं---उसमें मान लीजिये कोई ऐसी कठिनाई आ पड़ती है कि उस प्रश्न को शुद्ध करने की आवश्यकता प्रतीत हो तो हम माननीय सदस्य को लिख देते हैं कि उसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण कर दें और शुद्ध कर दें। तो आपके प्रश्न के सम्बन्ध में एक पत्र जारी हुआ है, वह आपको मिल जायगा। उसमें कुछ शुद्ध करना है, तो आप कर दीजियेगा।

श्री लखपतराय शर्मा---

इसी प्रकार १९ नं० का काफी पुराना प्रश्न है। उसको भी हटा दिया गया है ३--४--६४ के लिये, जिसका कोई कारण नहीं दिया गया है ....

श्री अध्यक्ष---

इसके बारे में अभी तो मैं बतला नहीं सकता हूं। आप मुझसे मिल लेंगे।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

आज प्रश्नों की जो सूची है, तारांकित के रूप में ८२--८३ प्रश्न स्वीकृत किये गये थे और उनमें से अधिकांश प्रश्न स्थगित कर दिये गये हैं। अपनी नियमावली के नियम २९ (२) के अन्तर्गत दूसरे दिन या इसके लिये जो दिन निर्धारित होगा, उस दिन प्राथमिकता पायेंगे और उस दिन जो उस तारीख के लिये पूर्व स्वीकृत प्रश्न होंगे वह सब इकट्ठे हो जायंगे और इन प्रश्नों पर तो सदन में अनुपूरक प्रश्न पूछने का समय हो सकता है, लेकिन उस तारीख के लिये जो प्रश्न होंगे उन पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो मैं चाहूंगा सार्वजनिक निर्माण विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा जितने प्रश्न स्थगित कराये गये हैं और जिन पर आपकी स्वीकृति मिली होगी मैं चाहता हूं भविष्य में इसका ध्यान रखा जाय क्योंकि विभाग लगातार पोस्टपोनमेंट मांगते हैं जिससे हमको बड़ी कठिनाई होती है।

श्री अध्यक्ष---

मेरा तो निश्चित आदेश है कि एक मर्तबा अगर वह स्थगित करायेंगे तो मेरी ओर से बाधा नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे ज्यादा बार स्थगन मांगते हैं तो जब तक कोई ऐसा कारण न हो जो मुझे संतोषजनक मालूम हो तब तक मैं उसको स्थगित नहीं करता। आप ठीक कहते हैं, हमारे नियमों में शायद कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़े कि अगर स्थगित हो तो क्या हो। यह दिक्कत की बात अवश्य है। आप रूल्स कमेटी के सदस्य हैं, हम सब मिल कर विचार करेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं अगर आप आज्ञा दें तो अभी कहूं या बाद में कहूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नों के सम्बन्ध में हो तो कहिये।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, हम जब भी सवाल देते हैं तो हटा दिये जाते हैं, हमारे साथ बराबर यह अन्याय किया जाता है ....

श्री अध्यक्ष---

मैं स्वयं माननीय सदस्यों का आभारी हूंगा अगर मुझसे मिल लें और प्रश्नों के सम्बन्ध में जो भी कठिनाई हो मैं उसके निवारण का प्रयास करूंगा। आप मुझसे मिल लें ताकि आपको कोई कष्ट न हो और मुझे भी काम करने में सुविधा हो।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय रक्षपाल सिंह का है इसको इस समय स्वीकार नहीं किया है, यह श्रम के बारे में है तो उसे सम्बन्धित मन्त्री से पूछ लूं फिर बता दूंगा।

लखनऊ में सस्ते गल्ले की दूकानों पर गेहूं का कोटा कम किए जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना है जो माननीय खाद्य मन्त्री जी, आपके पास भेजा नहीं है। यह माननीय जगन्नाथ राव की सूचना है। अगर आपको पता हो तो बता दें कि लखनऊ में सरकार द्वारा सस्ते गल्ले की दुकानों पर मिलने वाला गेहूं का कोटा ६ किलो ग्राम से घटा कर ४ किलो ग्राम कर दिया गया है। इस पर आप प्रकाश डालेंगे।

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

घटाया कोई नहीं, एक्स्ट्रा देते थे उसको किया है। बाकी यह तो मात्रा वही है। दो किलोग्राम प्रति सप्ताह जो देते थे वही ज्यों की त्यों मात्रा है। उसके अलावा लोगों को जो सुविधा दी थी कि जो कुछ भी वह आटा या गेहूं लेना चाहें ले सकते थे उसको हटा दिया क्योंकि ब्लैक में वह गया।

श्री अध्यक्ष---

ओरिजिनल जो व्यवस्था थी उसको कायम रखा।

श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मन्त्री जी को सूचना है कि लखनऊ के किन-किन दुकानदारों के बारे में उन्हें ब्लैक की सूचना आई है और उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी हां, उनके ऊपर कई केसेज चल रहे हैं। मैंने आदरणीय सदन में इनकी संख्या भी गिनवाई है। यहां सब चले आते हैं आपके नेतृत्व में।

श्री तमेश्वरप्रसाद---

अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा "आपके नेतृव में" ये शब्द काट दिये जायं। "आपके नेतृत्व" में ये कह रहे हैं।

पुलिस अनुदान पर विवाद करने हेतु साहित्य की मांग

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि अभी जो ग्रान्ट इस समय चल रही है उसके बाद पुलिस ग्रांट आने वाली है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रान्ट है परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

हमें किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस विभाग की नहीं दी गयी है कि इस विभाग ने क्या-क्या किया, १९४७ से अब तक। किसी प्रकार का हमारे पास लिट्रेचर नहीं है। मैंने इसके बारे में जानने के लिये अर्थ एवं संख्या विभाग को टेलीफोन किया तो मुझे जवाब मिला कि पुलिस विभाग के बारे में उनके पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनके पास यह आदेश आ गये हैं कि पुलिस विभाग के कोई आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जायेंगे। साथ ही साथ प्रति व्यक्ति क्या आय है और प्रति व्यक्ति क्या व्यय है, ये आंकड़े भी नहीं छापे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

वह तो पुलिस के बारे में है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

पुलिस के बारे में कोई चीज प्रकाशित नहीं की जायेगी तो हमें कहां से सूचना मिलेगी? इसके जवाब में बताया गया कि इलाहाबाद टेलीफोन कीजिए। तो श्रीमन्, प्रजातन्त्रिक पद्धति में यही सबसे बड़ी चीज है कि अपोजीशन के सदस्यों को जब तक सरकार के आंकड़े नहीं मालूम होंगे तो जो कुछ हमें अटांय सटांय आयेगा बकेंगे हम से यह आशा न करें कि हम ठीक से बोलें।

श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

यह बड़ा गम्भीर विषय है कि सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। क्या कारण है

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह से कहूंगा कि वे ये शब्द अगर प्रयोग में न लाते तो अच्छा होता कि जो अटांय सटांय आयेगा बकेंगे। यह सदन की मर्यादा और गौरव के विरुद्ध है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, जब हमें कोई तथ्य मालूम नहीं होंगे तो अटांय सटांय नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं 'अटांय सटांय' इस सदन में कोई नहीं बोलेगा, आप 'अटांय सटांय' के बजाय कह सकते थे कि हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिसके प्रमाण में हम आपके सामने कोई पुस्तिका या कोई सरकारी संस्था प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। यह शोक की बात है। रहा यह कि सरकार का क्या उत्तरदायित्व है इस संबंध में अभी २-३ दिन हुए तब मैंने इस आदरणीय सदन के सम्मुख अपने विचार रखे थे। नियमों के अन्तर्गत जहां तक मैंने अध्ययन किया है, सिवाय नियम १३१ और ३१० के और किसी नियम में मुझे अधिकार नहीं है कि मैं सरकार को निर्देश कर सकूं कि इस प्रकार के डाक्युमेन्ट्स वे मेज पर रखें या सदन के आदरणीय सदस्यों को दें। लेकिन एक बात माननीय मुख्य मंत्री ने यह कही थी कि पारसाल कुछ बातें सभी दलों के नेताओं के बीच में तय हो चुकी थीं और उसी योजना के अन्तर्गत अब की बार उन्होंने प्रत्येक विभाग के साहित्य को नहीं छपाया। उस पर मैंने निवेदन किया था कि भविष्य में इसको प्रीसीडेन्ट न माना जाय जब तक कोई विशेष परिस्थिति पैदा न हो जाय। अब जो यह बात आप कह रहे हैं यह तो पहले सदन में आयी और उसके संबंध में मुझको जो कुछ कहना था, वह कह चुका इसके अलावा मैं समझता हूं कि इस सदन के सदस्य काफी रिसोर्सफुल हैं, कल ही तो एक आफिशल पुस्तिका यहां पढ़ कर सुनायी गयी थी। और फिर लायब्रेरी है, पब्लिक लायब्रेरी हैं और आप लोग खुद विद्वान हैं। लेकिन यह सब कह कर मैं इसको पसन्द नहीं करता कि आप लोगों को साहित्य उपलब्ध न करायें यह अच्छी बात नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह---

एक बात और निवेदन कर दूं। उस दिन यह कहा गया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना छपा कर दी गयी है जिसमें सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें पुलिस का कोई जिक्र नहीं है। लाइब्रेरीज की बात आपने कही तो वह भी हम खोज चुके हैं। लोगों की सूचनाओं को सही मानें। उस वक्त तो कहते हैं कि लिख कर दीजिये ....

श्री अध्यक्ष---

इस बहस से क्या लाभ ?

कुंवर श्रीपालसिंह---

तो आप इनको आज्ञा दें कि और नहीं तो दो घंटे पहले बता दिया करें ताकि हम लोगों को मालूम हो जाय कि क्या कार्य हुआ है ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

अब तो कुछ छापने लायक होने पर भी इतनी जल्दी तो छप नहीं सकता है।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

श्रीमन्, इतना बड़ा बजट छपा हुआ है। उसमें पुलिस का एक अंग है। माननीय सदस्य उसको पढ़ लें आंकड़े सब उसमें दिये हुए हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

श्रीमन्, बजट के किस साहित्य में लिखा हुआ है कि इनकी पुलिस ने कितने डाके, कितनी चोरियां और कितने कत्ल पकड़े ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

हम पुलिस के ऊपर विवाद करेंगे और हमको कुछ भी मालूम नहीं है, जरायम की स्थिति परसाल क्या थी और इस साल क्या है, हमारी पुलिस ने कौन सी एफिशेन्सी दिखलायी, तो हम किस प्रकार बहस कर सकते हैं। आपने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सरकार को मजबूर कर सकें। तो नियमों का सहारा ले कर आप हमारे साथ न्याय नहीं कर सकते, इसलिये स्वविवेक से ऐसी परम्परा डालें कि हमारे कार्य करने में अड़चन न आये, हम सही सुझाव दे सकें। वरना विवाद से क्या लाभ ?

कुंवर श्रीपालसिंह---

श्रीमन्, इसी से देख लें कि माननीय गृह मंत्री ने बजट का कितना अध्ययन किया है जो कहते हैं कि बजट से सब चीजें मालूम हो जायंगी ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, माननीय श्रीपाल सिंह जी ने जो सवाल उपस्थित किया उसके दो अंग थे। एक अंग यह था कि साहित्य नहीं मिला और दूसरा अंग यह था कि उन्होंने विभाग से जानकारी प्राप्त करनी चाही तो विभाग ने कहा कि इस तरह की सूचनायें देने की आज्ञा नहीं है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि विभागीय अधिकारियों से अगर किसी प्रकार की सूचना मांगी जाय और उनके पास हो और वह सूचना न दें तो मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिये। इसलिये मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके मंत्री जी से या उपनेता सदन से कहें कि यह कहां तक सही है कि प्रति व्यक्ति आय और व्यय और पुलिस सम्बन्धी कार्यकलाप का विवरण माननीय सदस्यों को उपलब्ध न हो।

श्री बैजनाथ सिंह बंधु (जिला सुल्तानपुर)---

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं यह समझता हूं कि जिस समय पुलिस मंत्री जी अनुदान पेश करें उस समय जो हमारे माननीय सदस्य को मांग है कि कितनी डकैती, कितनी चोरी और कितने कत्ल हुए . . . .

श्री अध्यक्ष---

जब मंत्री जी खड़े हों, तब आप कहिये ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---

माननीय बलरामनाथ जी ने जो चीज कह दी वह उलझ गई है । उन्होंने कह दिया कि विभाग ने सूचना नहीं दी, यह नहीं है बल्कि उसके पास स्वयं सूचना नहीं है, यह मेरे कहने का मतलब है ।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, आपने इसी सदन में कुछ दिन पहले जब प्रश्न उपस्थित हुआ था तो मेज का कोटेशन दिया था और आपने विचार व्यक्त किया था कि माननीय सदस्यों को बजट से पहले सूचना मिल जाय जिससे वह उस विभाग के बारे में जानकारी कर सकें और सही तरीके से सुझाव दें सकें । श्रीमन्, मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि आपने उस पोरशन को पढ़कर सुनाया था । उसके बाद यदि हमारे नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है तो आप उस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इसके ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा ।

श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि आज का विवाद स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय माधो प्रसाद जी, जहां तक बजट का प्रश्न है उसका समय निश्चित होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न माननीय नरसिंह नारायण जी ने उठाया है, उसके ऊपर मैं कल व्यवस्था दूंगा ।

१९६४-६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ३०---राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---

अब विद्युत उप मंत्री के प्रस्ताव पर अनुदान संख्या ३० पर विवाद प्रारम्भ होगा ।

*श्री देवेन्द्र सिंह (जिला नैनीताल)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि इस ग्रांट के सिलसिले में आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया । मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह बात सभी जानते हैं कि हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान देश है कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारे लिये आवश्यकीय है कृषि को बढ़ाने में जिन चीजों की आवश्यकता है, उसमें पानी की विशेष महत्ता है, उसकी समुचित व्यवस्था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†१२ मार्च, १९६४ की कार्यवाही से ।

की जाय। जब तक हमारे देश में इर्रीगेशन नहीं बढ़ेगा हम अपने देश की अनाज की कमी को पूरा नहीं कर पायेंगे। लिहाजा सरकार ने जो योजनाएं बनायी हैं पानी की बढ़ोत्तरी के लिये, चाहे डैम्स हों, कुएं हों या नहरें हों, उनमें अधिक गति लाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, तीसरी योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में ३० मील लम्बी नहरों का निर्माण रखा गया है। वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए यह तीस मील की जो लम्बी नहरें रखी गयी हैं यह बहुत कम है। मान्यवर, इसी ३० मील की योजना के लिये सरकार ने २५.५९ लाख रुपये का प्राविधान किया है जो कि वहां की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुये इतना कम है जिससे सही रूप से हम कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकते है। यह तीस मील जो नहरें बनने वाली हैं उनमें से १० मील वहां नहरें बनायी जा चुकी हैं जो कि इतनी कम हैं कि वहां पर जो फायदा किसानों को मिलना चाहिये वह अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। और मान्यवर जो नहरें बनी भी हैं मैंने कई बार पिछले साल भी इस बारे में मंत्री जी से कहा और चीफ इंजीनियर, जैन साहब की नोटिस में भी लाया कि पर्वतीय क्षेत्र में जो गूलें नहरों का रूप दे कर बनी है वह इतनी खराब है कि उनमें एक में भी पानी नहीं चल रहा है। सारा रुपया वेस्ट हो रहा है। मैं दो, तीन नहरों का नाम बता देता हूं। लोहालीनहर, मझेड़ा नहर, भीमताल चांदी नहर, घोड़िया हलसों नहर, इसी प्रकार जो नहरें बनायी गयी है इतनी खराब है, या तो अलाइनमेंट ठीक नहीं हुआ है, या सही रूप से काम नहीं किया गया जिसकी वजह से उनमें पानी नहीं चल रहा है और जो फायदा वहां की जनता को मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। यह फायदा न होने के दो, तीन कारण है। कहीं कहीं पर पानी नीचे से आता है, नहरों की सतह ऊंची हो गयी है जिससे पानी नहीं चढ़ पाता है। दूसरे मैटीरियल इतना खराब लगाया गया है कि पानी जगह जगह पर छीज जाता है और सब जमीन में चला जाता है। एक चीज और रख दूं। उनकी मेंटिनेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई नहर टूट जाती है या खराब हो जाती है तो देखभाल करने वाला कोई नहीं है। एक कमी यह भी है कि इस बिभाग के पास इतना कम स्टाफ है जिसकी वजह से इनकी देखभाल की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हाल में एग्जिक्यूटिव इंजीनियर से मेरी बातें हुईं। उन्होंने बताया कि गोला नदी पर एक डैम प्रोपोज्ड है बशर्ते कि सिंचाई के रेट्स देने को तैयार हों। मुझे खुशी है कि वहां की ब्लाक समिति ने चीफ इंजीनियर को हाल में प्रस्ताव पारित करके भेजा है इर्रीगेशन रेट्स जो हिल्स में अप्लीकेबिल हैं वह हमारा जो लगान है उसमें शामिल कर दिये जायं जिस प्रकार कि मौजूदा समय में हमारे यहां जो इर्रीगेशन की दरें हैं उसको हम लगान के साथ अदा करते हैं। मैं यह चाहूंगा कि यह जो स्कीम है डैम की अगर यह जल्दी कार्यान्वित हो जायगी तो इससे भावर के इलाके की खुशहाली में एक नया मोड़ आ सकेगा।

यह इसलिये भी जरूरी हो गया है कि भावर के इलाके में दिन पर दिन जमीन पर जोर बढ़ता जा रहा है लेकिन सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। सिंचाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है। इसलिये इस डैम का बनना निहायत जरूरी है और जब तक यह डैम यहां पर नहीं बनेगा तब तक भावर की उन्नति होना नामुमकिन है। मान्यवर, जो भावर की नहरें हैं जिनके सिलसिले में मैंने पिछले साल भी चीफ इंजीनियर, श्री जैन साहब का ध्यान आकर्षित किया था कि उनकी कैपेसिटी इतनी कम है कि पूरा पानी उनसे नहीं आ सकता है, उसकी रेंजिंग के लिये मैंने पिछले वर्ष आप से निवेदन किया था, उस सिलसिले में कुछ प्रगति इस ओर हुई लेकिन आधे से वह रोक दी गई। पूछने पर पता चला कि ऊपर से अभी इसकी सेंक्शन नहीं आयी है। तो मान्यवर मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एकएक साल तब अगर इस प्रकार सेंक्शन नहीं पहुंच पायेगा, एक बजट वर्ष से दुसरे बजट वर्ष तक भी सेंक्शन नहीं पहुंचेगी तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

मैं आपके सामने एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि गोला नदी अपने पूर्वी किनारे को बड़े जबर्दस्त तरीके से काट रही है जिससे ४८ गांवों को बड़ा खतरा बना हुआ है। इसके सिलसिले में इंजीनियरों ने एक डिटेल्ड स्कीम सरकार के पास भेजा है। मैं चाहता हूं

[श्री देवेन्द्रसिंह]

कि उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाय ताकि आने वाले बरसात से पहले यह काम पूरा हो सके और जो एक खतरा जिन ४८ गांवों को गोला नदी से आज हो रहा है उस खतरे से उन गांवों को बचाया जा सके। इसी सिलसिले में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो कारटन ब्रांच कैनाल काठगोदाम के करीब बनाई गई है जिस पर ६ लाख रुपया सरकार ने खर्च किया है पिछले साल गोला के एक ही झटके में वह करीब करीब समाप्त हो चुका था लेकिन सौभाग्य हम लोगों का था और उन गांव वालों का था जो गोला बहुत जल्दी बंद हो गई लेकिन यह खतरा बराबर बना हुआ है। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और बरसात से पहले उसका प्रबन्ध नहीं किया गया और जो स्पर्स हैं वह स्पर्स नहीं बढ़ाये गये तो पूरा अन्देशा है कि कार्टन ब्रांच कैनाल जो बनाई गई है वह कहीं बह न जाय। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर टास प्रायरिटी दे ताकि जनता की दिक्कत दूर हो सके।

एक निवेदन और है, सिंचाई की व्यवस्था हमारे यहां बिलकुल गयी बीती है। मैंने कई बार विभाग को लिखा कि सिंचाई की जो व्यवस्था हमारी मौजूदा चल रही है उससे जो हमारा पानी पीने में बेचा जाता है उससे बड़ा नुकसान सिंचाई को पहुंच रहा है। इसलिये पीने के पानी की व्यवस्था जरूरी कर दी जाय ताकि जो हमारी नहरों में पीने के लिए पानी छोड़ा जाता है और ६-६ घंटे पानी उसमें बरबाद होता है उस पानी को बचा सकें और सिंचाई के काम में ला सकें। और जो कुयें मौजूद हैं वर्षा के बने हुए और बेकार हैं सिंचाई के काम के नहीं हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा कि उनको पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दे दिया जाय ताकि पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है। इसके पहले दो पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो चुकी हैं मैं यह मानता हूं कि इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सिंचाई पर व्यय की जाने वाली धनराशि में वृद्धि की गई है। मैं यह भी मानता हूं कि उस धनराशि की वृद्धि से सिंचन क्षेत्र की क्षमता में भी वृद्धि हुई है, लेकिन मान्यवर, यह खेद की बात है कि जिस अनुपात से सिंचाई के बजट में व्यय की जाने वाली धनराशि बढ़ायी गयी है उस अनुपात से सिंचन क्षेत्र की क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है और जिस अनुपात से सिंचन क्षेत्र की क्षमता में वृद्धि हुई है उस अनुपात से सिंचन क्षमता का सदुपयोग नहीं हुआ है। इस कमी का अनुभव करके उसके अनुपात में इसको देखना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि निम्न स्तर पर सिंचाई विभाग के अधिकारी सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने में कोई अपना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वह लापरवाही से काम करते हैं। इस प्रकार से कई जगहों पर देखने में आया है और सारे प्रदेश से इस प्रकार की शिकायत आती है कि वास्तविक रूप में सिंचन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिये, कोई विकास करने के लिये निम्न स्तर के अधिकारियों ने कोई कार्य सामने नहीं रखा है। इसके लिये मैंने विकास बजट पर बोलते हुये सुझाव दिया था कि यदि विभिन्न विभागों का समन्वय हो जाय और विभिन्न विभागों को हराकोवाइज कर दिया जाय तो निम्नस्तर पर कार्य बढ़ सकता है; जैसे लेखपाल अमीन, पंचायत मंत्री, ग्राम सेवक, पतरौल, ट्यूबवैल आपरेटर, कोआपरेटिव सुपरवाइजर, कोआपरेटिव अकाउन्टेंट जो हलके वाइज हैं इनके स्थान पर यदि एक ग्राम सहायक प्रति ग्राम सभा नियुक्त कर दिया जाय तो उससे उन्नति हो सकती है। उसके ऊपर ग्राम सभा की जिम्मेदारी रहे। यदि उसके ऊपर यह जिम्मेदारी रहे तो सहकारिता से लेकर जितने भी विकास के काम हैं, जो आज दूसरे लोगों के जिम्मे हैं, उनको इस ग्राम सहायक के जिम्मे कर दिया जाय तो बहुत काम हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप ग्राम सभा पर एक ग्राम सहायक की नियुक्ति करने की कृपा करें और गांव के उत्थान और पतन की जिम्मेदारी उसके ऊपर हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण के लिये बहुत से कार्य बताये गये है। गांवों के भमि स्तर को ऊंचा किया गया। भूमि संरक्षण को बचाना और नदियों से गांव और शहरों को बचाना आदि कार्य बताये गये हैं। दो योजनायें पूरी हो चुकी है। दो योजनाओं में १०.७५ करोड़ रुपये के कार्य किये गये। ६७ करोड़ रुपये की व्यापक योजनायें ७ हजार गांवों के लिये चल रही हैं। ६० से अधिक गांवों और कस्बों को बाढ़ से बचाया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर ५७५.२०१ लाख रुपये की व्यवस्था बाढ़ नियंत्रण के लिये की गयी है, परन्तु मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बाढ़ नियंत्रण के लिये जो धनराशि इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर रखी गई है उसमें विशेष भाग पूर्वी जिलों के लिये प्रस्तुत किया गया है। पच्छिमी जिलों के लिये केवल नाम मात्र को खर्च किया गया है। पूर्वी जिलों में भी बहुत सा ऐसा भाग है जो नेगले क्ट किया गया है। १९४५ से १९६३ तक जिला एटा में परगना निधपुर, जहां पर नदियों के बीच में वह भाग होने से बाढ़ आया करती है, आज तक वहां कोई बान्ध नहीं बनाया गया है और न उसको पक्की सड़क से मिलाने का प्रयास ही किया गया है और न कटाव से वहां की आबादी को बचाने का प्रयास किया गया है। जो ५,७ हजार की आबादी वहां ह उसको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। पूर्वी जिलों के लिये काफी खर्च किया गया है परन्तु उस क्षेत्र में, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जनता ने ५० हजार की श्रमदान की लागत से एक बांध बनाया था, उसकी मरम्मत भी सरकार नहीं कर रही है। सरकार से इस बात की माग की गई थी कि उसकी मरम्मत प्रति वर्ष करा दे और उसमें २, ३ हजार रुपये का खर्चा हर साल है, लेकिन आज तक वह मरम्मत नहीं की गई। उससे कई गांव वहां पर प्रभावित होते हैं। बहुत सी फसल प्रति वर्ष नष्ट हो जाती है और गांवों में उसका पानी भर जाता है। अतः मैं मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि जिला एटा की तहसील अलीगंज के प्रभावित क्षेत्र के बंध की तुरन्त मरम्मत वे करावें और वहां एक नया बांध बनाने के लिये सर्वे करावें और उसके लिये योजना बनावें। जिन गावों में पानी भर जाता है उनका स्तर ऊंचा करायें।

मैं यह निवेदन करूंगा कि १९६३ में सिंचाई विभाग की स्टैंडिंग कमेटी जो हुई थी उसमें यह प्रश्न उठाया गया था, लेकिन उन सारे सुझावों को कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया, न कोई व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया। ड्रेनेज के लिये कहा गया है कि ५६.५४ लाख एकड़ भूमि को जलमग्न होने से बचाया गया है। मुझे दो वर्ष हो गया इस बात का प्रयत्न करते हुए कि हमारे यहां के दो विकास क्षेत्र गजडूंडवारा और पटियाली की लाखों एकड़ भूमि जलमग्न रहती है ६ महीने तक, लेकिन उसके लिये कुछ नहीं किया गया है। स्टैंडिंग कमेटी में भी यह प्रश्न बिचार के लिये प्रस्तुत हुआ था। पटियाली विकास क्षेत्र में दो नाले हैं जिनको गहरा और चौड़ा नहीं किया गया है। उनकी उचित व्यवस्था होनी चाहिये। ड्रेनेज समस्या को हल करने के लिये स्थानीय लोगों का सहयोग और सुझाव विभाग को अवश्य लेना चाहिये। निम्न स्तर के कर्मचारियों का व्यवहार इसके विपरीत होता है। मेरे ही गांव में एक तालाब है, जिसमें जब अधिक पानी भर जाता है तो उसका पानी पास ही में एक नहर है, उसमें निकाल दिया जाता है। मैंने विभाग को लिखकर भेजा कि दो कुलाबे और कुडियां अगर इस पर बनवा दी जायं तो मुश्किल से डेढ, दो हजार का खर्च होगा, और काम चल जायगा। लेकिन विभाग के कर्मचारियों ने इस सुझाव को उचित नहीं माना और एक नये नाले की योजना बना दी जिस पर २५ हजार रुपया खर्च होगा। नाला तो हम गांव वाले स्वतः ही बना लेंगे। आप केवल कुलाबे और कुंडियां बनवा दीजिये।

इसके अलावा हजारों ट्यूब वेल प्रदेश में बने, लेकिन पटियाली विकास क्षेत्र में एक भी ट्यूबवेल आपने नहीं दिया है। मैंने माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से ५ ट्यूबवेल की मांग की है, लेकिन एक ट्यूबवेल इसी वर्ष पटियाली क्षेत्र में लगाने की मांग की है। पटियाला माइनर, नरौरा डिवीजन का एक प्रस्ताव १० वर्ष से विभाग में चल रहा है, उसको कार्यान्वित नहीं कर सके हैं। अगर छोटे

[श्री राजेन्द्र सिंह]

छोटे माइनर की योजना के सर्वे में १० वर्ष लग जायेंगे तो सिंचित क्षेत्र की वृद्धि कैसे करेंगे ? वैसे सिंचाई का क्षेत्र कितना ही बढ़ा लें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक प्रश्न की ओर आपका और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ३०-१०-६३ को सिंचाई एटा के सम्बन्ध में श्री गंगा प्रसाद जी ने एक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पत्र दिया था। उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो जब इस प्रकार की सूचनायें आती हैं तो उन पर भी गौर करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

*श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि इस बजट पर आपने हमको बोलने का समय दिया। मैं देखती हूं कि ऐसा कोई बजट नहीं है जिसमें आलोचना न हुई हो। हो सकता है कि आलोचना करने वाले सब हरिश्चन्द्र हों लेकिन हमें यह देखना है कि भ्रष्टाचार अगर होता है तो क्या इस बेंच की तरफ से होता है या उस तरफ से। हम दोनों ही कुसूरवार हैं मान्यवर, आज हाउस में जिस तरह से भ्रष्टाचार की चर्चा होती है उसका हमारे हर विभाग के ऊपर असर पड़ रहा है, इसको हमारे सभी माननीय सदस्य सही मानेंगे। इस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम सही रास्ते पर हैं और सरकारी कर्मचारी गलत हैं और हम सही रिपोर्ट दें तो उम्मीद की जा सकती है कि जितने मंत्रिगण हैं वह सब गौर करेंगे।

अब मैं आपका ध्यान अपने पिछड़े जिले बस्ती की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। वहां पर ट्यूबवेल की नालियों की बनावट बहुत ही गलत है, किसानों को समय पर पानी नहीं मिलता है। मैंने कई दरख्वास्तें दीं लेकिन मरम्मत ऐसी होती है कि जैसे हमारे पंखा खींचने वाले होते हैं वह काम करते हैं, मरम्मत होती है और फिर जैसे की तैसी हो जाती है। जितना पानी कोई नेता है उसका पैसा उसको देना पड़ता है पर पानी बीच में निकल कर अन्य के खेत में चला जाता है। जितनी भी ट्यूबवेल की नालियां हैं उनकी इंक्वायरी करा कर सुरक्षा कराने की कृपा करें। आप कृपया जिला स्तर पर अधिकारियों को सूचित कर दें कि हम लोग जो रिपोर्ट दे जायं सही रूप से उसकी इंक्वायरी करा कर वहीं समाप्त कर दें ताकि आपको यहां कष्ट न देना पड़ा, मजबूर हो कर यहां लाना पड़ता है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है हमारे क्षेत्र धनौरा के किसानों की अप्लीकेशन आयी हुई है। राममूर्ति जी ने सर्वे भी कराया, मैं वहां कर्मचारियों से मिली। कई एक ताले हैं जिनके पक्के ब्रिज लगा देने से सैकड़ों किसानों की जमीन डूबने से बच जायगी। समय पर पानी नहीं मिलता, आपरेटर गड़बड़ी करते हैं। आप इसकी इंक्वायरी करायें। जहां ट्यूबवेल लगाये जा सकते हैं वहीं लगावें। सर्वे कराया जाय, क्योंकि बेलहरा गांव का ट्यूबवेल बेकार पड़ा है, पानी नहीं निकला। ऐसी जगह नलकूप न लगाये जायं जहां पर पानी ही न निकल सके और सारा खर्चा बेकार जाय। जहां पर नलकूप नहीं लगाये जा सकते, वहां पर सरकार को सर्वे बनवाने की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि वहां पर पानी की दिक्कत न हो। हमारा जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है, इसलिये उस ओर माननीय मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिये।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में मैं भी अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी उस ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि सिंचाई विभाग के जिम्मे दो मुख्य काम हैं—

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एहला बाढ़ निरोधक कार्य, दूसरा पानी देना। माननीय मंत्री जी ने जब अपनी स्पीच शुरू की तो यह बताया कि उनके विभाग ने बाढ़ निरोधक क्या क्या काम किये, कितना रुपया खर्च किया और क्या वे करने जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वे उन आंकड़ों को प्रस्तुत करें जिससे यह पता चल सके कि इस फ्लड कन्ट्रोल के काम को हाथ में लेने से पूर्व कितना बाढ़ का एरिया था, कितना उस पर खर्च होता था, और फ्लड कन्ट्रोल के काम को हाथ में लेने के बाद आज उसकी क्या स्थिति है। मैं समझता हूं कि सरकार स्वतः निरुत्तर हो जायेगी और जो उसने काम किये हैं इस ओर, वह उसको न के बराबर मालूम होंगे।

श्रीमन्, मास्टर प्लान की चर्चा की गयी। ५७५ करोड़ की चर्चा हुई, उस बारे में। मेरा कहना यह है कि यह मास्टर प्लान डिफेक्टिव तरीके से बनाया गया था। उसके अन्दर कोई सुनियोजित योजना फ्लड के सम्बन्ध में नहीं बनायी गयी थी। हमारे नेताओं को उसमें अगर आप मुझे शामिल कर लें, तो उसमें मुझे आपत्ति नहीं होगी और आफिसरों की मर्जी के मुताबिक यह मास्टर प्लान बना था। उसको हैपहेजार्ड वे में बनाया गया है। मैं नहीं समझता कि उससे क्या काम हो सकेगा।

गांवों को ऊंचा करने की बात कही गयी। मैं अपनी जानकारी और सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह कह सकता हूं कि जो सूचना इस सम्बन्ध में दी गयी वह तथ्य से परे हैं। मैं यह नहीं कहता कि उससे १६ आने फायदा हुआ ही नहीं, लेकिन जितना सरकार कहती है वह तथ्य से परे है।

श्रीमन्, कटाव बाढ़ का ही एक हिस्सा है। रोज चर्चा होती है कि फलां नदी से फलां गांव कट गया। एक माननीय सदस्य ने कहा कि सारा रुपया पूर्वी जिलों में चला जा रहा है। मैं जब भाषण करता हूं, तो पूरे जिले की बात करता हूं। चाहे हमारे किसी जिले के रहने वाले लोग हों। मैं इस सदन में जिम्मेदारी से यह कहना चाहता हूं कि जितनी बाढ़ और कटाव की भयंकर समस्या पूर्वी जिलों में है, उतनी किसी जिले में नहीं हैं? गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, बलिया में जो खर्च किया जा रहा है और जो रुपया दूसरी जगहों पर खर्च किया जा रहा है, उसकी चर्चा क्यों नहीं होती है। मैं पूछता हूं लखनऊ शहर की चर्चा क्यों नहीं की गयी? पूर्वी जिलों के लोग बरबाद होते रहे, लेकिन लखनऊ शहर पर तो खर्च इसलिये किया जाता है कि यहां तो मंत्री लोग रहते हैं, विधायक रहते हैं, और आफिसर्स रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेन्ट से जो रुपया मंजूर हुआ उसका बहुत सा भाग लखनऊ में खर्च कर दिया गया। मिश्रा जी ने यह कभी नहीं कोशिश की कि लखनऊ पर खर्च होने वाले रुपये में से कुछ रुपया हरदोई को वे ले जाते। अगर लखनऊ में मिनिस्टरों, विधायकों और आफिसरों के बंगलों में पानी घुस जाता है और वैसी हालत होती जो पूर्वी जिलों के किसानों की होती है, तब उनको वहां की आपत्ति का ठीक-ठीक पता लगता और इससे भी अधिक मुझे प्रसन्नता तब होती जब दिल्ली वाले आफिसरों के घरों में जमुना का पानी घुस जाता, तब उनको पता चलता कि पूर्वी जिलों में क्या हो रहा है। मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं कि उसने सेंट्रल गवर्नमेन्ट से उतना रुपया नहीं लिया जितना रुपया आसाम और बिहार राज्यों ने लिया है। इस सरकार को यह बात ईमानदारी के साथ स्वीकार कर लेनी चाहिये।

वाटर लागिंग पश्चिमी जिलों में बहुत होती है। जमीन मौजूद है। लेकिन सरकार की अनियोजित योजना के कारण वहां वाटर लागिंग हो रही है। इसकी सारी जिम्मेदारी इस सरकार और आफिसरों की अदूरदर्शिता पर है। मैं चाहूंगा कि वाटर लागिंग दूर करने के उपायों पर मंत्री जी प्रकाश डालें।

दूसरी बात सिंचाई की आती है। क्या बयान करूं इस बारे में सरकार के गुणों का। आज भी १५–१६ साल की हुकूमत के बाद और रोजमर्रा आश्वासन देने के बाद और बड़ी बड़ी डींगें हांकने के बाद आप जरा बतायें कि आप कितने प्रतिशत सिंचाई बढ़ा पाये? अंग्रेजी जमाने

[श्री कल्पनाथसिंह]

में देखिये जब बड़ी बड़ी नहरें बिछाई गयीं, पश्चिमी जिलों में ट्यूबवेल्स लगाये गये। भले ही आप कहें कि हमारे यहां के बराबर ट्यूबवेल्स और कहीं नहीं हैं, लेकिन यह तो आपका कार्यान्वयन महकमा है। कहीं आपको फायदा होता है तो कहीं नुकसान। इसके बावजूद भी आप एहसान नहीं करते हैं जो किसानों को पानी देते हैं।

इसके अतिरिक्त जरा आप यह भी तो देखिये कि लोक लेखा समिति ने माताटीला बांध के बारे में बार-बार सूचना मांगी लेकिन नहीं आ सकी। अगर मैं उसकी बात कहूंगा तो कह दिया जायगा कि भ्रष्टाचार की बात कही जाती है। लेकिन इस विभाग में जहां इंजीनियर और ओवरसियर रहते हैं, उसके भ्रष्टाचार की बात कहना ही गुनाह है।

लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहता हूं कि जो लोक लेखा समिति है उसकी एक मर्यादा है और उस मर्यादा को देखते हुये सरकार को चाहिये था कि वह सदन को आश्वस्त कराती, लेकिन वह यह भी नहीं कर रही है। आश्वासन समिति ने बार बार कोशिश की लेकिन उसमें भी यह बात नहीं आ सकी। इसकी रिपोर्ट मौजूद है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूर्वी जिलों में जो ट्यूबवेल्स हैं वे रोजमर्रा बेकार रहते हैं। इसका कारण यह है कि ट्यूबवेल बनाने के पहले इसकी जांच भूगर्भशास्त्रियों द्वारा नहीं करायी गयी कि कहां पानी का स्ट्रेटा कितना है। ट्यूबवेल तो नीचे बने हैं और नालियां ऊपर को हैं फिर सोचने की बात है कि नीचे से ऊपर को पानी चढ़ाने में कितनी परेशानी हो सकती है इस बात को भी ध्यान में नहीं रखा गया कि कहां नाली की आवश्यकता है। बार बार नालियों के सम्बन्ध में शिकायत होती रही लेकिन आज तक न तो उचित नालियों का ही प्रबंध हो पाया और न उचित ट्यूबवेल्स चलाने का ही प्रबंध हो पाया।

यह भी कहा गया कि पूर्वी जिलों के लोग इरीगेशन माइंडेड नहीं हैं। मैंने माना कि पहले हम इरीगेशन माइंडेड नहीं थे और शिक्षा की कमी थी जिससे सिंचाई की सुविधा को समझ नहीं थी और इसलिये हम इस मामले में पिछड़े रहे, लेकिन अब मैं कहता हूं कि हम सब इरीगेशन माइंडेड हो गये हैं फिर भी हमारा ख्याल नहीं किया जाता। अब तो उल्टी बात यह है कि कुछ दिन पहले मैंने एक प्रश्न किया था कि गोरखपुर की बांसगांव तहसील में कितने ट्यूबवेल्स लगे, तो सरकार की तरफ से जवाब है कि एक भी नहीं और इसकी वजह यह बतलायी गयी कि चूंकि एक हजार घंटे से कम ट्यूबवेल वहां चले हैं। यह ठीक है कि वहां एक हजार घंटे से कम ट्यूबवेल चले लेकिन इसको भी देखा गया कि वहां नालियां कितनी हैं, जिससे लोग पानी लेते हैं?

इस प्रदेश में खाद्यान्न के सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई। माननीय चरणसिंह ने खाद्यान्न के उत्पादन के सिलसिले में बहुत सी बातें कहीं। मैंने मई, १९६२ में माननीय सिंचाई मंत्री को एक पत्र लिखा कि आपके यहां डिजेल इंजिन बेकार पड़े हैं जो कि ट्यूबवेल चलाने के लिये लगाये गये थे। अब चूंकि वे ट्यूबवेल्स बिजली से चलने लगे हैं इसलिये आप उनको कबाड़ियों के हाथ न बेंच कर नदी के किनारे लगा दें और वहां पाइप फिट कर दें ताकि नदी से ऊपर को पानी दिया जाय सके। श्रीमन्, ऐवरेज ६० लाख एकड़ जमीन में बाढ़ का खतरा रहता है। नदी के किनारे की जो जमीन है उसमें बाढ़ आने के बाद मकई, सांवा, टांगुन, मड़ुआ और धान की अर्ली पैडी के लिये लोग पानी मांगते हैं, लेकिन आप इस चीज को भी नहीं कर सके हैं। दो साल से मुतवातिर आप इस पर विचार कर रहे हैं और न जाने कब तक विचार करेंगे। बाढ़ के बाद भी लोगों को आप मारना चाहते हैं। बाढ़ के इलाके में कोई खाद कैसे लेगा जब कि उसे पानी ही नहीं मिलेगा। अगर खाद मिले, कर्जा भी मिले, अच्छा बीज भी मिले फिर भी उसका नतीजा क्या होगा, बाढ़ आने के बाद सब समाप्त हो जायगा। फिर जब हम माननीय राजस्व मंत्री से तकाजा करते हैं कि लोग परेशान हैं, उनकी कुछ मदद कीजिये, तो वे कह देते हैं कि वहां तकावी बंटवायी, वहां छूट दिलवायी, यहां यह किया, वहां वह दिया और इस तरह से हमारी यह दुर्दशा है।

श्री राजदेव (जिला देवरिया)––

श्रीमन्, इस सिंचाई अनुदान के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। इस सिंचाई के सम्बन्ध में सरकार को कुछ सुझाव देना जरूरी हो जाता है। कृषि और पानी से सिंचाई का बड़ा गहरा सम्बन्ध है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि सिंचाई विभाग एक मंत्री के हाथ में है और कृषि विभाग एक दूसरे मंत्री के हाथ में है। जिस समय किसान को खेतों में देने के लिये पानी की जरूरत पड़ती है तो उस समय हमारे प्रदेश के ट्यूबवेल्स और कम से कम देवरिया डिस्ट्रिक्ट के हाटा व पडरौना के ट्यूबवेल्स १५-१६ दिन दिसम्बर के महीने में बन्द रहते हैं। हाटा, पडरौना और देवरिया में यही हालत है। रबी की फसल जब पानी चाहती है तो उस समय ट्यूबवेल खराब हो जाता है और बरसात में, जब चारों तरफ पानी ही पानी भरा रहता है, सरकार का ट्यूबवेल चलता है। ट्यूबवेल नम्बर २५ पडरौना ब्रांच १६, १७, १८ दिन बन्द रहा जिसके कारण ७,८ गांवों की फसल सूख गयी। मैं श्री वेद प्रकाश, इंजीनियर के पास ३, ३ दफा साइकिल पर गया, पता चला वह गोरखपुर में कोई डांस कमेटी आयो है वहां मौजूद हैं। नतीजा यह हुआ कि ८ गांवों के किसान दाने दाने को मोहताज हैं। ठीक यही हालत देवरिया के तमाम ट्यूबवेल्स की है। बड़ी गंडक जो नैपाल से निकलती है, गोरखपुर और देवरिया की सीमा गहन पर एक घाट है वहां मुझे नाव से जाने का मौका मिला देखा कि नारायणी की ४ धारायें बह रही हैं। तीन धाराओं को हमारे इंजीनियर बालू की भीत बना कर रोक रहे हैं। भला बतायें कैसे बालू से धारा रुक सकती है। किसानों की गाढ़ी कमाई का लाखों, करोड़ों रुपया एस० ई० इंजीनियर की पाकेट में जा रहा है। बौलिया नाम का एक ट्यूबवेल है जिसका पानी बौलिया के लोगों को मिलना चाहिये, लेकिन पानी दिया गया कप्तानगंज वालों को और पैसा वसूल किया गया बौलिया के लोगों से। कोई देखने वाला नहीं है। एक तरफ़ अन्न की हालत खराब है और दूसरी तरफ़ लाखों रुपया बरबाद किया जा रहा है, इंजीनियरों और नारायणी के पेट में जा रहा है। गहन घाट, कसया, हाटा आदि के ट्यूबवैल्स की तरफ क्या हो रहा है सरकार जरा देखे कि किस तरह पैसा बरबाद हो रहा है। जब मैं नाली बनवाने के लिये इंजीनियर के पास जाता हूं तो श्री वेद प्रकाश इंजीनियर गोरखपुर में मौजूद हैं। छितौनी गांव, शुगर फैक्ट्री नारायणी के कगार पर खड़े हैं। बार बार कहते हैं, काम लगाया जाता है उस समय जब सैलाब नदी में आ जाता है तो कुछ पत्थर और लकड़ी डाल दिये जाते हैं। जब समय होता है तब आपके इंजीनियर वहां नहीं जाते और जरूरत नहीं होती तो दौरे लगाते हैं। छितौनी बांध के ऊपर जो रुपया खर्च किया जा रहा है उस पैसे का सदुपयोग किया जाय और समय से काम लिया जाय। एक असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में हमने लिख कर के सिंचाई मंत्री को एक शिकायत दी है। इनका नाम है श्री वेद प्रकाश। उसकी इन्क्वायरी उनके हैड एक्जीक्युटिव इंजीनियर कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष––

साधारणतया अफसरों के कोई नाम नहीं लेते।

श्री राजदेव––

बहुत अच्छा श्रीमन्, इस इंजीनियर ने किसानों का लाखों रुपया बरबाद किया। इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। हमने जो शिकायत की है उसमें लिखा है कि वैसे तो ये इंजीनियर अपनी काली करतूतों के कारण आज १८ वर्ष से सिर्फ एक ही कुर्सी की शोभा बढ़ा रहे हैं। परन्तु क्या हमें इसी से सन्तोष कर लेना चाहिए? नहीं, ऐसे व्यक्ति को सरकारी विभाग में रखकर जनता को लूटने तथा जनता के खून की कमाई को बरबाद करने का अवसर नहीं देना चाहिए।

आपकी जानकारी के लिये उनके चन्द कारनामें जो कि जांच द्वारा अब भी साबित किये जा सकते हैं, मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं।

[श्री राजदेव]

प्रथम घपला तो कार्य करवाने का ठेकेदार को आर्डर देते समय ही करते हैं। आर्डर जो कि कार्य शुरू करने से पहले ही कर दिया जाता है, उसे यह अक्सर जबानी आदेश द्वारा कार्य करवाने के बाद करते हैं...

श्री अध्यक्ष—

यह आप क्या पढ़ रहे हैं?

श्री राजदेव—

श्रीमन्, मैं यह वही शिकायत पढ़ रहा हूं।

उसकी नकल किसी ठेकेदार या विभागीय ओवरसियर को देते नहीं। इससे ओवरसियर या ठेकेदार उनकी मुट्ठी में रहता है और उनसे नाजायज फायदा उठाया करते हैं। इसलिए मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस विभाग की ओर विशेष ध्यान दें। आज जब कि "प्रदेश में के अन्दर भुखमरी है और किसान पानी के लिए लालायित है तो क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

जहां तक इन्क्वायरी का सम्बन्ध है मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो इन्क्वायरी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा करायी जा रही है हम लोगों को उनकी इंक्वायरी में विश्वास नहीं है। यह इंक्वायरी सी० आई० डी० द्वारा होनी चाहिए और इन्क्वायरी करने के पश्चात् जो उचित कार्यवाही हो उसे करें।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

श्रीमन् मैं अनुदान संख्या १० के सम्बन्ध में प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि सबको विदित है कि आबादी जहां पर जितनी बढ़ती जा रही है, अन्न का संकट भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। इस दृष्टि से हमें और ज्यादा अन्न पैदा करने की जरूरत है और जहां तक अन्न पैदा करने की समस्या है अन्न पैदा करना २, ३, ४ बातों पर आधारित है और उनमें सिंचाई भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो रुख अपनाया गया था सरकार द्वारा यह देखा गया कि बड़ी बड़ी नहरों और बड़े-बड़े बांध बनवाने की ओर अधिक बल दिया गया, पर उसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं निकला। १६.३ लाख के क्षेत्र में से ६.३ जो बड़ी और १० लाख एकड़ छोटी योजनाओं के द्वारा सिंचाई हुई। इससे तो स्पष्ट है कि छोटी योजनाएं यदि ज्यादा चलाई जातीं तो यह अवश्य था कि हमारे कृषक को अधिक सुविधा मिलती और वह स्वयं अपने खेतों में अधिक मात्रा में समय समय पर पानी देकर अपनी पैदावार को बढ़ा सकता था। लेकिन ऐसा न होने से मैं समझता हूं कि खेती की पैदावार पर काफी प्रभाव पड़ा और यह हमारी सरकार की गलत नीति का ही परिणाम है। सन् १९५३-५४ में ३१५ लाख एकड़ कृषि क्षेत्र था जिसमें सरकार की इन योजनाओं द्वारा सिंचित क्षेत्र बढ़ कर ५९.८ लाख एकड़ हो गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि हमारी सरकार केवल १९ प्रतिशत सिंचित क्षेत्र को बढ़ा सकी, यानी १/५ एरिया तो सिंचित है और बाकी ४/५ अब भी अनइरीगेटेड रह गया। मेरा अब भी यह निवेदन है कि सरकार द्वारा बड़ी बड़ी योजनाओं की ओर ध्यान देना और छोटी छोटी योजनाओं की उपेक्षा करना यह भी सरकार की बड़ी गलती है।

दूसरी बात यह है कि यहां ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां वर्षा अधिक होती है और कुछ ऐसे भी हैं जहां वर्षा कम होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जमीन के कटाव को रोकने की जरूरत है और सरकार को उधर ध्यान देना चाहिये और जहां कम वर्षा होती है वहां समय पर और अधिक मात्रा में पानी देने की जरूरत है वरना फर्टिलाइजर्स और मैन्योर की बात लाभदायक नहीं हो सकती। अब तक सरकार ने जो भी सुविधायें कृषक वर्ग को पहुंचाई हैं उसमें

सबसे बड़ी बात यह रह गयी कि पानी देने की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। समय पर पानी न देने के कारण २० से ३० प्रतिशत तक नार्मल पैदावार से कम होती है। इस तरह जो ३० प्रतिशत का नुकसान पैदावार में होता है यह सरकार की ही जिम्मेदारी है तथा सरकार की शिथिलता का परिणाम है।

मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि सरकार ने प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में जो अपना दृष्टिकोण बड़ी-बड़ी योजनाओं की तरफ रखा यह गलत था। छोटी योजनाओं की तरफ ध्यान देना चाहिये था। अब देहात में छोटे-छोटे काश्तकार हैं। उनकी माली हालत बहुत खराब हो गयी है। पैसा लगाने का अब उनमें साहस नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि १० एकड़ जमीन जहां पर खाली हो वहां कुआं या छोटा ट्यूबवेल, जो भी योजना सरकार अपनाये, अपने खर्चे से बनवा दे तभी लाभ हो सकता है। इसके अलावा, जैसा कि स्पष्ट है, कृषकों की हालत बहुत गिर गयी है। इसलिये आपके द्वारा सरकार से मेरा निवेदन है कि चूंकि उनके पास लगान देने के लिये पैसा नहीं है इसलिये सिंचाई रेट में रियायत करने की आवश्यकता है। अब यह तो सरकार की बड़ी-बड़ी योजनायें थीं और सरकार को ज्वइंट जिम्मेदारी आ गई। अब मैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तरफ ध्यान दिलाऊंगा जैसा कि शर्मा जी ने कहा था कि इन योजनाओं को आज जानबूझ कर और बिना जांच कराये जारी किया और जो इतना नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। आडिट रिपोर्ट १९६२ के अनुसार १९६१ में २३०५ ट्यूबवेल थे और उनसे आमदनी ७.७४ लाख रुपये होती थी। पहली योजना में २,३०० ट्यूबवेल और उसमें यह देखा गया कि काफी लाभ रहा और १८९ ट्यूबवेल की बोरिंग असफल रही। इस तरह से बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी योजना में १,५०० ट्यूबवेल बनने थे और केवल ७१५ ही पूरे हुये और ६० का बोरिंग किया गया और ६५ ऐसे हैं जो अभी तक नहीं बने। १९५७–५८ के ६०, ५८–५९ के २० और १९५९–६० के २ बाकी हैं। इसके सम्बन्ध में पारसाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर ने बहादुरगंज ब्लाक का मुआयना किया और उसने नोट दिया कि तकावी लोन जो भी बांटा गया है उसका वास्तव में खर्चा नहीं हुआ और ८० मैसनरी वैल्स बनाने के लिये तकावी दी गई थी लेकिन एक भी नहीं बनी। इसका मतलब यह है कि अधिकारियों का कोई भी नियंत्रण नहीं है। जहां तक ट्यूबवेलों का सम्बन्ध है पारसाल लखनऊ अनुसंधानशाला ने जांच की तो मालूम हुआ कि ट्यूबवेल पूर्णतया असफल हो गये हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि छोटी छोटी योजनायें जो किसानों को लाभदायक हों उनको बनाइये और बड़ी-बड़ी योजनाओं को छोड़िये।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उप मंत्री जी की तरफ से जो सिंचाई का अनुदान प्रस्तुत हुआ है उसका मैं बहुत मजबूती के साथ समर्थन करता हूं और ईमानदारी की बात भी यह है कि यह महकमा उत्तर प्रदेश के किसानों को जीवन देने का है और अगर यह महकमा ठीक काम न कर सके तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के भोजन पर असर पड़ने वाला है। श्रीमन्, मैं चार्ज करता हूं कि विरोधी दलों की तरफ से जितनी आलोचनायें होती हैं और जितनी दरख्वास्तें दी जाती हैं उनमें से ९५ परसेंट यह मान लेते हैं कि यह तो नुक्ताचीनी की है।

यह प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और इसमें खेती योग्य भूमि ५७२ लाख एकड़ है। चाहते हैं हम सब कि १९६७ तक जब तक टर्म है ५७२ लाख एकड़ भूमि पूरी हो जाय। लेकिन जिस तरह योजनाओं द्वारा प्लानिंग है ५७२ लाख एकड़ भूमि असम्भव है, १९७६ तक ३२५ लाख एकड़ इन योजनाओं के द्वारा सिंचित हो सकती है। फिर भी बाकी बचेगी। मेरा विनम्र निवेदन है सरकार से कि उस तरफ आपकी निगाह ज्यादा रहती है, कांग्रेस पार्टी के हम मेम्बर मजबूर हैं, हमारा बस परसेंट, उधर ९० परसेंट हिस्सा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या ऐसा आक्षेप किया जा सकता है कि उधर आपकी निगाह ज्यादा जाती है इधर कम जाती है ?

श्री अध्यक्ष—

यह आक्षेप नहीं है। यह तो काम्प्लीमेंट है आपको कि आप इतने बलवान हैं।

श्री जे० पी० मिश्र—

मैं अब आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस बहस से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हम तो नियोजन करना ही चाहते थे आर्थिक दासता, गरीबी, भुखमरी दूर करने के लिये, अब धीरे-धीरे सिंचाई की बहस से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इनको भी नियोजन में विश्वास पैदा हो गया है। इनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने यह कहकर कि लाइये कुएं, लाइये ट्यूबवेल, लाइये नूलें, मांग पर मांग करके इन में नियोजन के प्रति विश्वास पैदा कर दिया है। मेरा तजुर्बा है, मेरा हल्का उन्नाव के एक्जिक्यूटिव इंजीनियर और हरदोई के एक्जिक्यूटिव इंजीनियर्स के क्षेत्र में पड़ता है, आपने उत्तर प्रदेश के जैसे इंजीनियर्स हैं वैसे हिन्दुस्तान में नहीं हैं। माननीय नेकराम शर्मा कुछ कागज ले आये। उन्होंने कुछ दलीलें पेश कर दीं। १२ करोड़ माताटीला पर खर्च होगा, चार लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी, रामगंगा प्रोजेक्ट पर साढ़े ३८ करोड़ रुपया खर्च होगा, १७ लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी। शारदा सागर कैनाल प्रोजेक्ट, मेजा प्रोजेक्ट, कुल सवा ३५ लाख एकड़ भूमि सिंचित होने वाली है। योजना का लक्ष्य इसी तरह पूरा होगा।

खर्चा बढ़ा। कुछ तजुर्बे की कमी हैं, योजना बनाने के बाद कुछ इधर उधर हो जाय इसको मैं इनकार नहीं करता हूं। लेकिन मकसद क्या है ? उत्तर प्रदेश की तीसरी योजना का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने का कार्यक्रम है। शान्तिप्रपन्न शर्मा जी विद्युत उपमंत्री हैं। इस सदन के ४०० सदस्यों में मेरा दावा है कि विरोधियों को हम से १० गुना ज्यादा करेक्शंस दिये, हमने एक पाया तो कमलासिंह जी ने १२ पाये। फीगर निकाल कर देख लीजिये कि किस तरफ ज्यादा है। हम बदकिस्मत हैं हरदोई के लोग। देखिये ट्यूबवेल्स.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जितनी जोर से आप कहते हैं और कोई नहीं कहता।

श्री जे० पी० मिश्र—

७,२४६ ट्यूबवेल्स बने श्रीमन, और उसमें से वेस्ट को ४,१७६ मिले और चिल्ला-चिल्ला करके कल्पनाथसिंह और कमलासिंह बड़े बड़े स्टालवार्ट्स गेंदासिंह वगैरह खींचतान करके पूरब में २,५७८ पर पहुंचा दिये। सेंटर को ४३५ मिले और हरदोई को ९। मैं नाइन्साफी तो नहीं कह सकता और न कहूंगा लेकिन जब तक लड़का रोये नहीं बाप और मां उसकी फिक्र नहीं करते। इस वक्त यह सरकार पक्षपात कर रही है, मेरा चार्ज है कि विरोधी दल की बात वह ज्यादा सुनती है और कांग्रेस पार्टी के हम मेम्बर मायूस हैं अपनी दिक्कतों से, हमारी बात नहीं सुनी जाती। जितनी श्रीमन्, मध्यम सिंचाई योजनायें हैं, अल्प सिंचाई योजनायें हैं, बाढ़ नियंत्रण योजनायें, यह छोटे काम हैं, क्या इस विभाग के पास गंडक नदी कटाव कर रही है, परेशान हैं और गंगा नदी २० गांव काट गई, सब से बैठे हैं। पैसा तो उतना ही है। पैसा कहां से आयेगा ? पैसा बढ़ाने की बात करें तो शोर हल्ला मचायेंगे। हम जानते हैं कि सरकार के जितने सीमित साधन हैं उतना ही वह करेगी, उससे अधिक तो सम्भव नहीं है। एक साल, दो साल, तीन साल हम

योजनाबद्ध बैठे हैं। हम जानते हैं कि इस हिसाब से हरदोई बदकिस्मत जिले का ७२ में नम्बर आयेगा, हम चाहे जितना शोर करें, शान्ति प्रपन्न जी नहीं सुनेंगे, चीफ इंजीनियर नहीं सुनेंगे, बी० बी० लाल सेक्रेटरी नहीं सुनेंगे क्योंकि एक योजना बना रखी है। (व्यवधान)

दूसरी बात मुझे यह कहनी है आपके माध्यम से कि ७ हजार गांव इधर जलमग्न थे। ४,४०० गांव ऊंचे हो गये। उसमें सारा गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, बहराइच, गोंडा यही सब ऊंचे हो गये। पश्चिम में ऊंचे होने की नौबत नहीं आयी। कमलासिंह जी और कल्पनाथ-सिंह जी के सारे गांव ऊंचे हो गये। आखिर, कोई सीमा है। बजट का सारा पैसा लेने के बाद भी कहीं सन्तोष है? माननीय नेकराम शर्मा से मैं पूछना चाहता हूं कि अलीगढ़ में पैकेज प्रोग्राम है। ओफ ओह, कोई सीमा है पैसे की? आखिर और चाहते क्या हैं नेकराम जी? उनका मतलब यह है कि किसी तरह से मिलजुल कर या सिंचाई मंत्री को धमकाकर अलीगढ़ का मतलब पूरा करें। यही इनका मकसद है। सारी आलोचना इसलिए की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

देखिये, इसमें धमकाने की बात कोई नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

सारा पैसा वेस्ट हो रहा है....

श्री जे० पी० मिश्र—

अगर वह वेस्ट हो रहा है नेकराम जी के यहां तो हमको दे दिया जाय। सिंचाई मंत्री जी अपने बयान में एलान कर दें कि पैकेज एरिया हरदोई को कर दिया जाय। नेकराम जी राजी हैं? अब मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ जिले ऐसे हैं कि जिनकी परिस्थिति बड़ी खराब है। उसमें एक उन्नाव, खीरी और हरदोई, इन तीन के ऊपर बिलकुल ध्यान नहीं है। माननीय उप मन्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह अपनी दोनों आंख बराबर करें, दोनों आंखों से पश्चिम पूरब और मध्य तीनों को बराबर देखें। ट्यूबवेल्स की समस्या और वाटरलागिंग की समस्या हरदोई जिले की बड़ी भयंकर है। मैं बधाई देता हूं उप मंत्री जी को और हम इस महकमे को जिन्होंने अब कुछ तवज्जह देना शुरू की है। आप हमारे जिले में कुछ न कीजिये सिर्फ इतना कीजिये कि जो हमारी वाटर लागिंग की समस्या है उसका सालूशन निकाल दें।

एक अन्तिम बात यह कहना चाहता हूं कि कृषि की हालत बड़ी खराब है पाला, सैलाब और दूसरी दिक्कतें हैं। जब तक कृषि की उन्नति मुनासिब तरीके से न हो जाय तब तक आप सिंचाई की दर आधा कर दें। हम तीन प्रकार के रेट देते हैं। घर के लिये ३५ नये पैसे, डोमेस्टिक पावर के लिये २२ नये पैसे और कारखाने का १२ नये पैसे ये तीन किस्म के रेट हैं। इन रेट्स को आप आधा कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

(इस समय सदन जलपान के लिये उठ गया।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आबपाशी पर कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोल रहा हूं। नेकराम जी ने और शिवराजसिंह जी ने जो बातें इस संबंध में कहीं हैं उनके बाद कुछ बाकी नहीं रहता। मैं अपने इलाके की बातों पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। १५ अगस्त, १९४७ से १९६३

[श्री विजयपाल सिंह]

तक हर साल पंडित नेहरू का भाषण होता है और हर बार वे कहते हैं कि आजादी के बाद हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गयी है। यहां सिर्फ एक किसान ही ऐसा है कि जो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करता है। सरकार तो सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है जब कि चारों तरफ भुखमरी का जोर है, बाजार लुट रहे हैं और हर एक के चाहने पर भी प्रदेश की पैदावार नहीं बढ़ रही है। बड़े बड़े विशेषज्ञ खेती में लगे हुए हैं लेकिन हालत वही है कि तीसरे दर्जे के डिब्बे में भले ही सारी सुविधायें हों, बिजली के पंखे लगे हों लेकिन अगर उसमें ४० की जगह १०० आदमी भर जायं तो सारी व्यवस्था अव्यवस्था में परिणत हो जाती है। पंखे टूट जाते हैं और कहा यह जाता है कि उनको रेलगाड़ी में चलना नहीं आता। आपको चाहिये कि ४० के डिब्बे में ४० आदमी ही बैठने की व्यवस्था रखें। आपको किसानों को सिंचाई के साधन देने चाहिये।

हमारे इंजीनियर इस विभाग को लेकर डूबने वाले हैं। हर बात में वह टेक्निकल बात है, कह कर टाल देते हैं। मैं शान्ति प्रसन्न जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इलाके में काफी कनेक्शन दिये हैं, लेकिन आपको हर वह किसान जो कनेक्शन चाहता है, उसे कनेक्शन देना चाहिये। विभाग का कहना है कि अगर हम हर किसान को कनेक्शन देंगे तो हमारा पानी कम बिकेगा। सोचने की बात है कि अगर ५० बीघे का गरीब काश्तकार ट्यूबवेल लगाता है तो वह पानी बेच सकता है और उसके मुकाबले में सरकार का ट्यूबवेल फेल हो जाने का अन्देशा है। कहा जाता है कि पानी नहीं रहता, लेकिन मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। अगर दौरा किया जाय तो पता लगेगा कि जहां स्टेट ट्यूबवेल मौजूद हैं उनसे एक या एक फर्लांग के पास आयल इंजिन के ट्यूबवेल लगे हुए हैं। अगर आयल इंजिन वाले ट्यूबवेल का पानी नहीं घटता तो पानी तो जमीन से ही निकलता है, आयल इंजिन वाले ट्यूबवेल का क्यों नहीं घटता ?

दूसरे आपने कमांड एरिया ५०० एकड़ से घटा कर ४०० एकड़ किया है। अगर साढ़े पांच हजार घंटे ट्यूबवेल चलते रहते हैं तब भी ४०० एकड़ से ३०० एकड़ को कमांड एरिया करना पड़ेगा। साथ ही एक ट्यूबवेल के अन्डर में २–३ प्राइवेट ट्यूबवेल खोलने की इजाजत दे दीजिये।

एक दूसरी बात यह है कि एक समझौता हमारा पंजाब से हुआ था सन् ५४ में मैंने ताजावाला में जाकर देखा कि जिस रास्ते पर पानी निकलता है तो पंजाब वाला पानी बहुत साफ और अच्छा था और सहारनपुर में ताजा वाला में जहां नहर कटती है तो उसको देखने से मालूम होगा कि इस नहर का कोई मालिक नहीं, सफाई नहीं हुई, मरम्मत नहीं हुई। जब कि राममूर्ति जी ने कहा था कि बहुत जल्दी इस नहर का पानी २०००० क्यूसेक्स के बजाय ४०००० क्यूसेक्स हो जायगा वह आज तक भी दुगने के बजाय डेढ़ गुना नहीं हुआ। पिछले ४–५ वर्षों में हमारी नहर जमना शरकी का प्रत्येक पुल टूटने वाला नहीं था, लेकिन उसको तोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि पानी बढ़ाना है। पुल तो बड़ा बन गया लेकिन पानी बढ़ने के बजाय घट गया है। आज मुजफ्फरनगर में चाहे नगर गंग हो या नहर जमन हो ३ महीने से कोई रजबहा नहीं चल रहा है जबकि गन्ने के लिए पानी की बड़ी आवश्यकता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर आप को ऐग्रिकल्चर को बढ़ाना है तो विद्युत, ऐग्रिकल्चर और इर्रीगेशन इनको जब तक एक मिनिस्टर के अन्डर में नहीं लायेंगे तब तक काम नहीं होगा। अगर यह संभव न हो तो तीनों की एक मजबूत कमेटी होनी चाहिए जो एक दूसरे को मशवरा दे सके।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बड़ी-बड़ी योजनाओं पर रुपया खर्च करती है। टिहरी में जो एक बांध बनाने के लिए बहुत बड़ा सर्वे हो रहा है, वहां पर ७०० फीट की ऊंचाई पर एक बांध बनाने की योजना है जिस पर कि २०० करोड़ रुपये खर्च होगा। मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि आपका वह बांध कामयाब नहीं होगा, और जिन इंजीनीयरों ने आपको यह बांध बनाने की सलाह दी है आप उनसे बांड भरवा लें, ताकि आप का रुपया बरबाद न जाय।

एक सुझाव और देना चाहता हूं। हर गांव में तालाब होते हैं। अगर आप गांव पंचायतों को उन तालाबों को गहरा कराने के लिये लोन आदि दें तो उन तालाबों से बहुत काम सिंचाई का निकल सकता है क्योंकि आज भी उनसे सिंचाई होती है। इसके अलावा जो सब्सीडी आप टयूबवेल्स बनाने के लिये देते हैं उसकी शर्तों को आप आसान कीजिये। कई जगह उनको रिश्वत देनी पड़ती है, काफी परेशानी उठानी पड़ती है, तब वह पैसा उनको मिल पाता है।

मेरा यह भी सुझाव है कि आप प्राइवेट टयूबवेल के लिये फ्री बिजली का कनेक्शन दीजिये, उसमें किसी प्रकार की शर्त आदि नहीं होनी चाहिये। इससे काफी आबपाशी बढ़ेगी और खेती की पैदावार भी बढ़ेगी।

*श्री रामलखनसिंह (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे ख्याल से जो अनुदान सिंचाई के कार्य के लिये मांगा जा रहा है, यह काफी नहीं कहा जा सकता। हमारे प्रदेश में ज्यादातर किसान खेती का काम करते हैं। उसके लिये हर जगह सिंचाई की जरूरत पड़ती है। सरकार ने काफी नहरों तथा नलकूप आदि की व्यवस्था की है और उससे कृषि उत्पादन में काफी मदद मिली है। लेकिन मैं आपका ध्यान आपके जिले की ही तरफ दिलाना चाहता हूं। आपको मालूम है, हमारा जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला है और जो काम हुये हैं उसमें भी वह सबसे पीछे है। इसलिये मैं अपने क्षेत्र की और विशेषकर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। वहां आज तक सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। वह इलाका छोटी-मोटी नदियों से घिरा हुआ है। बरसात के दिनों में लोगों का कहीं जाना मुश्किल हो जाता है। वहां हमेशा बाढ़ आती है जिससे सारी फसल चौपट हो जाती है। वहां की जमीन दुमट है। अगर वहां नलकूप लगा दिये जायं और सिंचाई की उचित व्यवस्था हो जाय तो वहां की काफी गरीबी मिट सकती है। बंधना यूनियन ने १९ नलकूप लगाये, मगर उनमें एक बूंद पानी भी नहीं मिलता। अगर सरकार उनको अपने हाथों में ले ले, तो उससे काफी लाभ हो सकेगा। हमारे क्षेत्र में हरैया बस्ती जो सड़क जाती है, अगर वहां पर १०–५ ट्यूबवेल और लगा दिये जायं तो वहां की बेकारी दूर हो सकती है और सिंचाई का प्रबन्ध किया जा सकता है। वहां गन्ने की खास उपज होती है। गेहूं की उपज होती है और मटर वगैरह की उपज होती है जिनके लिये पानी की खास जरूरत है। गन्ना एक ऐसी वस्तु है जिसके लिये ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिये। वहां के लोग अपने खून पसीने से खेती करके गन्ना मिल को देते हैं। हमारे यहां कोई उद्योग-धंधा या कल कारखाने भी नहीं हैं। वहां के लोग अपने खाने में कटौती करके भी गन्ना बोते हैं और अगर सरकार वहां सिंचाई के साधन करा दे तो बहुत गरीबी और बेकारी दूर हो सकती है। वहां के ट्यूबवेल्स के लिये बिजली की कमी है। एक छोटा-सा विद्युत घर बनाया है जिसमें कोई सामान नहीं पहुंचता है। वहां के यूनियन में करीब १२, १३ लाख का गबन हो गया है। अगर सरकार उसे लेकर चलायें तो बहुत अच्छा काम हो। मैंने एक मर्तबा मंत्री जी से कहा भी था कि वहां चल कर देखें और इस काम को करें।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कुछ बातें सिंचाई विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

वैसे तो विभाग से सम्बन्धित आंकड़े यहां प्रस्तुत नहीं किये गये लेकिन किसी भी विभाग के आंकड़े हमको उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु फिर भी पंचवर्षीय योजना में देखने के बाद मुझे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रक्षपालसिंह]

यह लगा कि सरकार ने सिंचाई विभाग के बारे में उसमें सब जगह यह उल्लेख किया है कि हमारी कैपेसिटी इस मात्रा से इस मात्रा तक बढ़ गई। जैसा कि सदन में कई बार प्रश्नों के या अन्य रिपोर्ट के माध्यम से मालूम हुआ है, सरकार को बतलाना चाहिये था कि हमारे प्रदेश में सिंचाई कितनी बढ़ी। वास्तविकता यह है कि कैपेसिटी चाहे नहर चौड़ी करने की बात हो या ट्यूववेलों के अधिक मात्रा में खोलने की बात हो। जमीन अधिक मात्रा में नहीं सींची गई है। उसका कारण यह है कि सरकार सम्भवतः यह काम व्यापार या मुनाफाखोरी के आधार पर चलाने का निर्णय किये हुए है। हमारे बिजली के रेट इतने अधिक हैं और पानी के रेट इतने अधिक हैं कि गरीब किसान पानी ले ही नहीं पाता है। जैसे खद्दर के बारे में गुजरातगंज में आप देखेंगे कि १ रुपये में ३५ नये पैसे की छूट की बात कही गई है, इसी प्रकार मैं चाहता हूं कि सिंचाई के रेट में भी सरकार सब्सिडी दे। सरकार कह सकती है कि ट्यूबवेलों तक लम्बा बिजली का तार ले जाना पड़ता है और आपरेटर रखना पड़ता है, जिसमें ज्यादा खर्चा आता है परन्तु मेरी सरकार से मांग है कि किसानों को सस्ते रेट पर पानी और बिजली देने की व्यवस्था करे और उसके खर्चे को दूसरे विभागों से, जैसा खद्दर के लिये करती है, पूरा करे। अगर ड्रेनेज ऐक्ट जो हमने पिछले दिनों पास किया था, उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो सरकार अपनी ओर से नालियां बनवावे और इस प्रकार सिंचाई को आगे बढ़ावे। केवल किसानों के मत्थे यह काम नहीं छोड़ना चाहिये।

सरकार ने बड़ी योजनायें ली हैं, उनका महत्व है और उनके बिना समस्या हल होने वाली नहीं है। परन्तु बड़ी योजनाओं के करने में सरकार को ठीक तरह से सोचना चाहिये। फतेहपुर में रामगंगा कंस्ट्रक्शन डिवीजन में फतेहपुर जिले के उत्तरी क्षेत्र में ६० मील बल्कि ७० मील लम्बी नहर खोद दी गई है। मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया कि उसमें ७१ में खाद पानी आने वाला है। यह बड़े खेद का विषय है इतने दिनों तक उसमें पानी नहीं आवेगा। ट्यूबवेल हमारे यहां, बालू की मिट्टी होने के कारण, सफल नहीं होते। इसलिये आवश्यक है कि सरकार इलाहाबाद, कानपुर और फतेहपुर के इलाके में जल्दी रामगंगा डिवीजन के द्वारा नहर पूरी कराके जल्द पानी देने की व्यवस्था करे।

ट्यूबवेलों का कमान्ड क्षेत्र सरकार ने कम करने की बात कही है। ठीक है, परन्तु प्राईवेट ट्यूबवेल लगाने के बारे में सरकार नियमों को लिबरेलाइज करे ताकि अधिक मात्रा में सिंचाई हो सके।

मुझे प्रत्यक्ष अनुभव तो नहीं है परन्तु यह आम शिकायत है कि आपरेटर्स जनता को पानी देने में अड़चन डालते हैं। किसानों को उनके पास जाना पड़ता है, लेन-देन की बातें जरूरी जाती हैं उनके बारे में सरकार को कड़ाई के साथ देखना चाहिये।

नहरों के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। जिस समय पानी फसल को चाहिये उसमें अगर १५ दिन की भी देर हो जाती है तो फसल चौपट हो जाती है। इस समय ईख को बुआई के लिये पानी चाहिये। आज कल अन्न का संकट है तो अधिक पैदावार करने के लिये सिंचाई की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुझे अपने कार्यकर्ताओं से ठाकुरद्वारा के किसानों की ओर से, मांग मिली है। उस क्षेत्र में गन्ना इत्यादि की सिंचाई के लिये २० रुपये बीघे के हिसाब से आबपाशी ली जाती है जो वसूल कर ली गई है और सारे काश्तकारों से ५ रुपये फी बीघा और मांगे गये हैं। इसे मंत्री महोदय देख लें और किसानों की परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। ये लोग अपनी मांग लेकर मुरादाबाद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी मिल चुके हैं।

मैं एक बात दोहरा कर अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे जिले फतेहपुर में एक मात्र सिंचाई का जो साधन सरकार देने जा रही है, रामगंगा कंस्ट्रक्शन डिवीजन से, नहर पूरी कराके जल्दी उसमें पानी की व्यवस्था करने की कृपा करें। यही मंत्री जी से प्रार्थना है।

श्री बसी नक़वी (जिला रायबरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि मैं यह समझता हूं कि इस माननीय सदन के हर माननीय सदस्य को बोलने का हक़ हासिल है, फिर भी मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आज यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सका।

श्रीमन्, मैं आज उस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जिसको माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने उपस्थित किया है। इसमें कोई शुबहा नहीं है कि सरकार का ध्यान हमेशा किसानों की ओर रहा है और मेरा विचार है कि हर समय हर मामले में सरकार की हमेशा यह नीति रही है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाये। श्रीमन्, उस हैसियत से जब मैं इस बजट को देखता हूं तो यह मालूम होता है कि हजारों मील लम्बी नहरें खुदने की योजना है, ट्यूबवेल बनाने की योजना है और ट्यूबवेल्स को बिजली देने की योजना है और उन पर करोड़ों रुपया व्यय करने की योजनायें हैं। यह सब इसलिये किया जा रहा है कि किसानों को खेती करने में अधिक से अधिक सुविधा हो जाय, मगर श्रीमन्, मुझे एक फारसी का शेर याद आ रहा है—

मरादर्देस्त अन्दर दिल अगर गोयम जबां सोजद।
मगर दम दरकशं तरसं कि मग्जे उस्तखां सोजद॥

मेरे दिल में एक ऐसा दर्द है कि अगर मैं जुबान से बयान करूं तो मेरी जबान जल जाय और मेरी हड्डियों का गूदा जल जाय, अगर चुप हो जाऊं।

श्रीमन्, बावजूद इसके कि सरकार की यह नीति रही है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाय, उसके लिये अधिक से अधिक रुपया व्यय किया जाय और अधिक से अधिक गल्ला हमारे देश में हो, लेकिन दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मैंने अभी अपने एरिया में सात दिन का दौरा किया। पाला पड़ने के बाद अगर किसान को फौरन पानी मिल जाता तो उसका नुकसान कम हो जाता लेकिन नहर विभाग के कर्मचारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जुल्म की बात यह रही कि अक्तूबर–नवम्बर में जब कि धान की फसल कटने जा रही थी, उस समय पानी दिया गया उसका नतीजा यह हुआ कि जो फसलें तैयार थीं उनमें नहर का पानी ओवर फ्लो की वजह से भर गया और उस फसल को भी हानि पहुंच गयी। इस बार जब प्रतापगढ़ के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पानी ज्यादा मांगा तो विभाग ने पहले तो पानी नहीं दिया लेकिन जिद करने पर अधिक पानी दे दिया। नतीजा यह हुआ कि नहरों के ऊंची नीची होने की वजह से पानी ओवर फ्लो कर गया और उसकी वजह से जगह जगह धान की फसल को हानि पहुंची इसके बाद एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पतरौल बदल दिये और दूसरे पतरौलों से सिंचाई का दूसरा असेस्मेंट कराया गया। तो जिन खेतों में पानी ओवर फ्लो हो जाने की वजह से हानि हो गयी थी उनका २८–२८ रुपया बीघा और चार बीघे का १०० रुपया असेस कर दिया गया। श्रीमन्, आप गौर करें कि एक तरफ तो यह पाले से हानि और दूसरी तरफ नहर कर्मचारियों की यह धांधागर्दी, जिसकी बदौलत किसान उस लाभ को नहीं उठा सके हैं जो लाभ कि सरकार उनको देना चाहती है। इतना ही नहीं, यह बात भी गौर करने की है कि आज किसानों को मजबूर किया जाता है कि वे खाद लें उस एरिया में जहां कि सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। नदी के किनारे के एरिया में सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं लेकिन हर गांव में सभापति के जरिये उनको खाद वितरण के लिये दिया जाता है और उनका अंगूठा लगवाया जाता है और उनसे वसूली की जाती है। वह खाद उनके यहां पड़ी-पड़ी सड़ रही है क्योंकि वह उस एरिया में जहां कि सिंचाई नहीं हो सकती है, उसमें वह खाद बेकार है।

माननीय उपमंत्री जी का ध्यान मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आपकी नहरें तो बन रही हैं लेकिन न मालूम क्या जिद है कि उस पर पुल उसी जगह बनाए जायंगे

[श्री वसी नकवी]

जहां कि उनके नक्शों में दिया गया है, छोटे-छोटे पुल उसी जगह बनेंगे जो उनके नक्शों में दिये गये हैं चाहे देहाती रास्ता कितना ही जरूरी क्यों न हो, उन पर वे पुल नहीं बनाये जायेंगे क्योंकि जो उनके नक्शों में दिया गया है वहीं पर वे पुल और बनना जरूरी है। मैं अर्ज करूंगा कि माननीय उपमंत्री जी को इस ओर भी जरूर ध्यान देना चाहिये। बल्कि मैं तो यह मांग करता हूं कि माननीय उपमंत्री जी इस बात की जांच करायें कि प्रतापगढ़ के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने वहां के किसानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया, जिससे बजाय लाभ के हानि हुई और उनको सिंचाई का अधिक लगान देना पड़ा। मैं चाहता हूं कि माननीय उपमंत्री जी इस बात की जांच करायें और पता लगावें कि जो बातें मैंने सदन में कही हैं वे कहां-तक सही हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अधिक समय न लेते हुये माननीय उपमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे उन बातों की तरफ ध्यान दें जिनकी तरफ मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया है।

एक बात मुझे और कहनी है और वह यह कि रायबरेली जिला उन बदकिस्मत जिलों में है जिनमें कि कोई ट्यूबवेल आज तक नहीं लगाया गया है। लिहाजा वहां बिजली के कनेक्शन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं यह कहना चाहूंगा कि आये दिन इस सदन में मांग यह होती है कि हमारे पूर्वी जिले पिछड़े हुये हैं, पश्चिमी जिले पिछड़े हुये हैं लेकिन हमारे मध्यवर्ती जिलों का कोई जिक्र नहीं आता। आज भी आप बजट को उठा कर देखें तो मालूम होगा कि प्रदेश की भूमि आज उन लाभों से वंचित है जो कि आपके बजट में हैं। मैं सारी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं और आज यह सवाल मैं इस सदन में उठाता हूं कि मध्यवर्ती जिलों की तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। खासकर रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी और उन्नाव के जिले सबसे पिछड़े हुये हैं। यहां केन्द्रीय सरकार ब्लाक की योजना न होती। वहां ब्लाक की कोई योजना ही नहीं है। वहां कम्युनिकेशन के साधन ठीक नहीं हैं, कच्चे रास्ते हैं। अगर लोग गल्ले और फल की पैदावार बढ़ावें भी तो कोई साधन नहीं है कि उसके अच्छे दाम उनको मिल सकें। इन शब्दों के साथ मैं उस अनुदान का समर्थन करता हूं कि जो कि पेश किया गया है और मैं चाहता हूं कि माननीय उपमंत्री जी इस बात की ओर विशेष ध्यान देंगे।

*श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज सरकार का लक्ष्य है कि देश में गल्ले का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाया जाय। इस तरह की योजनायें बनायी जाती हैं, लेकिन मुझे दुख है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा योजनायें तो बनाती है, पर सरकार इस पर विचार नहीं करती कि यह योजना क्यों फेल हुई। कोई योजना फेल होने का कारण, मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि आज जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, नहर और ट्यूबवेल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। जहां भी नहरों, पुलियों और ट्यूबवेलों की मरम्मत होती है उनके लिये पास के भट्टों से ईंट न लेकर दूर के भट्टों से ईंटे लायी जाती हैं जिससे सरकार को पैसा ज्यादा देना पड़ता है। ओवरसीयर और इंजीनियर्स का रेट बंधा हुआ है और जो उनके रिश्तेदार होते हैं उन्हीं को ठेके दिये जाते हैं। मेरे जिले इलाहाबाद के इंजीनियर ने अपने रिश्तेदार को ठेके दिये हैं। ट्यूबवेल बनाने के लिये जो सीमेंट, तथा अन्य सामान मिलता है उसमें गड़बड़ी करते हैं, १ हिस्सा सीमेंट और ८ हिस्सा बालू मिला कर काम किया जाता है जिससे चीज पुख्ता नहीं बनती और पैसा बेकार जाता है। इस पर सख्त चौकसी होनी चाहिये। ट्यूब वैल आपरेटर्स यह करते हैं कि अगर गांव में पार्टी बन्दी है तो झूठमूठ नाली काटने के मुकदमें काश्तकारों पर चलाये जाते हैं और मैजिस्ट्रेट मुकदमा दूसरे जिले में करते हैं जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। आपरेटर और जिलेदार की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गवाही पर ही जुर्माने कर दिये जाते हैं । समय पर पानी न मिलने से १/३ फसल खराब हो जाती है । काश्तकार अगर अपना कोई सामान बैलगाड़ी से नहर की पटरी द्वारा ले जाता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है । इसी तरह से नहर की पटरी पर जो घास होती है उसका नीलाम किया जाता है । मेरा सुझाव है कि वह का तकारों के जानवरों के चरने के लिये होनी चाहिये और नीलाम बन्द होना चाहिये । हर २,३ फरलान्ग पर पुलिया होनी चाहिये जिससे अगर किसी काश्तकार का खेत नहर के पार हो तो उसको ज्यादा लम्बा चक्कर न लगाना पड़े और आसानी से अपने खेत पर जा सके । नहरों और बरहों से मौके पर पानी नहीं मिलता अगर काश्तकार कुयें से सिंचाई करते हैं तो उस पर नहर की सिंचाई लग जाती है । शामिल बरहा का कानून खत्म होना चाहिये । हमारे दोआबा में राम गंगा डैम नहर से संबंधित जो नहर इलाहाबाद ब्रांच के नाम से बनायी गई है उसमें आप नरौरा से पानी ले लेते हैं जिससे इलाहाबाद, फतेहपुर कानपुर, में पानी कम हुआ है, कृषि का उत्पादन वहां गिर गया है । राम-गंगा डैम का अभी कुछ पता नहीं, कहां बन रहा है, कितना बना है, कोई हिसाब किताब सिंचाई विभाग में किसी बात का नहीं रखा जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री कुण्वरसिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

श्रीमन्, उत्तराखंड के किसी माननीय सदस्य को मौका देंगे या नहीं ?

श्रीपाध्यक्ष---

आप का समय जितना था वह समाप्त हो गया ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---

उत्तरा खंड में क्या होता है मैं चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाइये । रावत जी, इस तरह के झगड़े रोज किया करते हैं ।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

श्रीमन्, सवाल इस बात का है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में क्या होता है । कुयें खोदने के लिये बजट में रुपया दिया जाता है..... .....

श्री उपाध्यक्ष---

कृपया आप बैठ जाइये ।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

श्रीमन्, आप इन्साफ नहीं कर रहे हैं । आपने कुमायूं डिवीजन के लोगों को समय नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष---

कृपया आप बैठ जाइये ।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

श्रीमन्, आपको समय देना पड़ेगा । आप यहां पर इन्साफ करने के लिये आये हैं । आप जनता की आवाज को बन्द नहीं कर सकते ।

श्री उपाध्यक्ष---

कृपया आप बैठ जाइये ।

कुमारी श्रद्धादेवी (जिला मेरठ)---

माननवर, सिंचाई एक ऐसा विषय है जिसका सीधा सम्बन्ध हमारे जीवन से है । यों तो कृषि विभाग क्या वसुधरा की सारी चीजें जिनसे उद्योग धन्धे चलते हैं और जीवन सामग्री पैदा होती है महत्वपूर्ण हैं परन्तु सभी उद्योग धन्धों को चलाने के लिये और मानवीय जाति को चलाने के लिये परमावश्यक खाना और उसका उत्पादन करने के लिये जरूरी है सिंचाई । मैं यह निवेदन किया चाहती हूं कि हमारा जो सिंचाई विभाग है उसने जहां से शुरू किया था और आज तक की जो प्रगति है वह पर्याप्त है, लेकिन यह कहना कि यह आशातीत है यह हम नहीं कर सकते हैं । मैं समझती हूं कि पहले ११ लाख एकड़ जमीन को हम पानी देते थे, १९५०-५१ में हमने ६७ लाख एकड़ जमीन को पानी दिया उसके उपरान्त ११७ लाख एकड़ जमीन पर आज हम पानी दे रहे हैं । इसी प्रकार से १९५०-५१ में हमारे वहां ट्यूबवैल की संख्या २,००० थी और जैसा कि कल बताया गया आज यह ७,६६७ है । जहां तक रजबहों की प्रगति और नहरों की प्रगति का सवाल है उनमें भी भारी प्रगति हुई है । वे भी पर्याप्त संख्या में बढ़ायी गयी हैं परन्तु मैं देखती हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में आपत्तियां और प्रश्न उपस्थित किये हैं वे सब निराधार हैं । जो आपत्तियां माननीय नेकराम जी ने उठायी हैं उनका जवाब तो माननीय उपमंत्री जी देंगे और उसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करेंगे । मैं यह समझती हूं कि बावजूद इसके कि हमारे सिंचाई विभाग में खामियां हैं, प्रश्न यह है कि क्या इस विभाग की जरूरत है या नहीं ? और प्रश्न यह भी है कि जो योजनायें बनाई जा रही हैं क्या वे सब बेसलैस हैं ? मैं इसके मूल में नहीं जाना चाहती पर इस विभाग के जो चीफ इंजीनियर हैं वे बहुत विद्वान हैं अखबारों के पत्रों में उनकी प्रशंसा छपी और वे देवता स्वरूप हैं लेकिन उनके द्वारा जो योजनायें बनायी जाती हैं वे असफल हो जाती हैं तो उनका और मंत्री महोदय का यह केवल कर्तव्य नहीं है कि योजनायें बना दें और बजट बना दें, बल्कि वे यह भी देखें कि बजट का और उन योजनाओं का ठीक प्रकार से कार्यान्वयन होती भी है या नहीं । जहां मैं अपने चीफ इंजीनियर को देवता स्वरूप कहती हूं वहां मैं एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और एस० डी० ओ० को वाजिदअली शाह भी कहने के लिये तैयार हूं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आपस में बातें बहुत हो रहीं हैं ।

अनेक सदस्य---

आप जरा धीरे-धीरे बोलें समझ में नहीं आता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है, जरा आप धीरे-धीरे बोलिये ।

कुमारी श्रद्धादेवी---

ठीक है । करप्शन के विषय में जो शिकायतें आती हैं मुझे यह मालूम है कि किस तरह से पतरौल, ट्यूबवैल आपरेटर लोग पुलिस से मिल कर ट्यूबवैलों के नये मोटरों व पुर्जों की चोरी करते हैं और बेच कर लाभ उठाते हैं, लेकिन समस्या का हल निकालना है और वह यह है कि हमारे जिले में सिंचाई समिति है जिसे ओसराबन्दी कमेटी भी कहते हैं, उसको किसी तरह से पतरौल और ट्यूबवेल आपरेटर लोग कन्विन्स कर लेते हैं और हम लोग कुछ छोटे मोटे लालचों में आ जाते हैं और जो बटवारा होता है उसमें हम लोग सब आ जाते हैं । उसमें हमारा भी दोष है । हम उन समितियों को जीवित बनावें और समिति पतरौलों पर काबू पावें । यह सुझाव मेरा अपने और सभी माननीय सदस्यों के लिये है ।

दूसरा निवेदन यह है कि हमारे पश्चिमी जिले उत्तर प्रदेश की ग्रैनरी है, खाद्य भंडार है। ५६ तक की मैं जानती हूं। ५७ से मैं सदस्य हूं। ५७ से बराबर अभूतपूर्व वर्षा वहां होती है। वाटरलागिंग हो जाता है। लेकिन उस ओर इस सिंचाई विभाग का कोई ध्यान नहीं रहा है। यदि सिंचित एरिया की पैदावार यह विभाग लेकर चलता है तो वाटरलागिंग के कारण जितना नुकसान इन जिलों में हुआ है तो मैं यह कहती हूं कि सिंचाई विभाग ने जितना सिंचित एरिया बढ़ाया, उतना वाटरलागिंग ने इन तीनों डिवीजनों में खत्म कर दिया। मैं चीफ इंजीनियर महोदय से कहूंगी कि वाटरलांगिंग के लिये कोई मद इस बजट में नहीं है। नेकराम जी ने कहा कि हिसाब किताब की खामियां हैं। सही है, वह ठीक होनी चाहिये लेकिन यह कहना कि किसी योजना से कोई लाभ नहीं हुआ है वह ठीक नहीं है। शारदा सागर और नानक सागर बांधों से शाहजहांपुर, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी आदि जिलों को लाभ होगा। इसी तरह से गंडक बांध योजना से गोरखपुर में बाढ़ की जमीन बचाई जा सकती है। तो यह कहना कि इन योजनाओं से कोई भी लाभ नहीं हुआ है निर्मूल है। बजट में धांधलियों के बारे में मंत्री जी जवाब देंगे, लेकिन जो बन्धी, बांध व जलभूमि की योजनायें रखी गयी हैं वह बहुत जरूरी हैं। इनसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पहाड़ी प्रदेश के पिछड़े हुये जिले हैं जहां पानी की निकासी की समस्यायें हैं उनके लिये योजनायें बहुत उत्तम हैं। मान्यवर, अब मेरे कुछ सुझाव हैं। कुछ ऐसे जिले हैं जो खाद्यान्न में सरप्लस रहते हैं। मेरा निवेदन है कि उन सरप्लस जिलों को हमारा सिंचाई विभाग सब से ज्यादा प्रायरिटी दे ताकि आपत्ति काल दीर्घ कालीन ऋण बिना ब्याज के सिंचाई साधनों के लिये दे और आपत्ति में वे उत्तर प्रदेश को बचा सकें।

दूसरा निवेदन यह है कि जहां बन्धियां बन सकती हैं वहां बन्धियों से सैचुरेट कीजिये, जहां बांध बन सकते हैं वहां बांधों से सैचुरेट करिये, जहां नलकूप लग सकते हैं वहां नलकूपों से सैचुरेट करिये। इस प्रकार सिंचाई विभाग श्रेणी बना ले।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि फसल के मुताबिक पानी देना चाहिये। किस फसल को कितना पानी चाहिये यह सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी है और मैं समझता हूं कि कृषि उत्पादन की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग पर भी होनी चाहिये न कि एक मात्र कृषि विभाग पर। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को यह काम दिया जाय कि तुमको पानी पैदा करना है और इतने एकड़ में इतना गन्ना उत्पादन करके देना है। तभी हमारी समस्या हल होगी।

अन्त में मेरा यह कहना है कि छोटी-छोटी जोत वालों को लघु सिंचाई योजना दीजिये और दीर्घकालीन ऋण दीजिये जो व्याज से बिल्कुल मुक्त हों। इसके अलावा एक मात्र सरकारी ट्यूबवेल ही न बनाये जायं बल्कि छोटे छोटे प्राइवेट ट्यूबवेल भी बनें और उनके बनवाने की सारी जिम्मेवारी सरकार पर हो और प्राइवेट ट्यूबवेलों के लिये दीर्घकालीन ऋण दिये जायं और जो सरप्लस पैदावार हो उसके ऋण को सरकार सबसिडी में बदलती जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करती हूं।

श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

सिर्फ एक मिनट मुझे दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा, एक मिनट में आप कह दें जो कहना चाहते हों।

*श्री चन्दनसिंह--

श्रीमन्, हमारी पश्चिम की जो नहर है उसका नाम है नहर जमन शर्की और हमारे चीफ इंजीनियर साहब खूब वाकिफ हैं। उसके पानी का जब बंटवारा होता है तो पंजाब कुछ शक्ति-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्दनसिंह]

शाली होने की वजह से सारा पानी उधर ही ले जाता है। एक तो मैं मंत्री जी और चीफ इंजीनियर साहब से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जरा अबकी या तो सरकार मजबूती से चले नहीं तो काश्तकार हाजिर हैं चलने के लिये।

एक बात बहन जी भूल गयीं। सन् १९५२ में यहां एक योजना बनी थी कि सब पुल चौड़े कर दिये जायं और पटरियां ऊंची कर के नहरें चौड़ी कर दी जायं। वैसे तो मंत्री जी भी बहुत बढ़िया हैं और चीफ इंजीनियर भी बहुत बढ़िया हैं लेकिन "लेखा ज्यों का त्यों, कुन्बा डूबा क्यों" वाली कहावत है। तो जरा यह करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

दो मिनट मुझको दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको नहीं।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

यह आपकी बड़ी ज्यादती है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको यह इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं और कहा है कि पहाड़ी इलाका उत्तर प्रदेश से अलहदा कर दिया गया है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपको शोभा नहीं देता, आप बैठ जाइये।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

क्या मैं आपके माध्यम से जानकारी कर सकता हूं कि कुमायूं डिवीजन के लोगों के लिये समय इसलिये नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुमायूं डिवीजन को छोड़ दिया है

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये या सदन छोड़िये।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

मैं आपसे यह जवाब चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

एक निवेदन मुझे करना है कि जहां तक बोलने के लिये बुलाने का ताल्लुक है, यह स्पीकर का अधिकार है। दूसरी बात यह है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिन लोगों ने नहीं बोला है, उनको मौका दिया जाय। रावत जी को कई दफा मौका मिल चुका है। हमारे पास लिस्ट है और जो माननीय सदस्य बोलते हैं उनके आगे टिक मार्क हमारे अधिकारी लगाते जाते हैं। माननीय कृष्णसिंह जी तीन दफा बोल चुके हैं और रावत जी दो दफा बोल चुके हैं और जो नहीं बोले हैं उनको मौका देता हूं। एक साहब चाहें कि उनको रोज मौका दिया जाय तो यह मुमकिन नहीं है। इसमें पक्षपात की कोई बात नहीं है। मैं माननीय रावत जी से प्रार्थना करूंगा कि आइंदा वे ऐसी बात न करें जिससे सदन की मर्यादा कम हो।

श्री चन्द्रसिंह रावत––

उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने कहा वैसे होता तो ठीक होता लेकिन यहां ग्रुपिज्म को स्पिरिट कायम की जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष––

यह गलत बात है ।

श्री चन्द्रसिंह रावत––

आपका यह कहना गलत है ? यहां पार्टी स्पिरिट और ग्रुप स्पिरिट में मुल्क को गुमराह किया जाता है । मैं समझता हूं कि यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आप मुल्क को रसातल में भेजना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष––

आप बैठ जाइये ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)––

आप लिस्ट देखकर चलते हैं, लेकिन जो नहीं बोले हैं उनको मौका नहीं देते हैं । मैं खड़ा हुआ लेकिन आपने मुझे कब मौका दिया ?

श्री उपाध्यक्ष––

अगर आप नहीं बोले तो आपको मौका जरूर मिलेगा ।

श्री नेकराम शर्मा––

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस विवाद में भाग लिया मैं उनका हृदय से आभारी हूं । मुझे बड़ी खुशी है कि दोनों तरफ के बैठने वालों ने एक स्वर से इस विभाग की आलोचना की है और इसकी भर्त्सना की है । इस सरकार के दो भूतपूर्व उपमंत्री, माननीय नकवी साहब और शिवराज सिंह जी ने जिस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किये और अपने दिल और दर्द की बात कही उससे सभी माननीय सदस्य सहमत हैं । श्रीमन्, अगर इस ४३१ के सदन में किसी के दिल में अगर दर्द नहीं पाया तो वह माननीया श्रद्धादेवी जी थीं । ४३१ में एक ही माननीय सदस्या ऐसी मिलीं जिन्होंने विभाग की तारीफ की और अपने हृदय की बात जो उन्हें कहनी चाहिये थी नहीं कह पाई । मुझे खुशी है कि उनके हृदय में भी यही बात थी कि इस विभाग का कार्य ठीक नहीं है । जब मंत्री और उपमंत्री कुर्सी पर आते हैं तो पता नहीं उनका दिल और दर्द जाने कहां चला जाता है । और जब वे बाहर हो जाते हैं तो उनके दिल, दर्द और फीलिंग समझ में आने लगती हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इनको सुनहरी अवसर मिला है । मुश्किल यह है कि आपने आध घंटे का समय दिया था । अब शायद १५ मिनट मिलेंगे । इसलिये सबसे पहले मैं सुझाव दे दूं उसके बाद बताऊंगा कि इस विभाग ने किस तरह से हमारे प्लान को सैबोटेज किया है । श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि जो भी प्राजेक्ट बनाया जाय, जो इंजीनियर प्राजेक्ट का इंचार्ज हो उसकी रेस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाय । अगर प्राजेक्ट फेल होता है तो उसको जिम्मेदार ठहराया जाय ।

दूसरा सुझाव यह है कि फ्री इर्रीगेशन दीजिये अगर पैदावार बढ़ाना चाहते हैं । अगर यह न कर पायें तो जितने पानी की जरूरत हो जैसे गेहूं के पानी के लिये चार पानी की जरूरत है, उसमें चार पानी देता है, एक बार पानी देता है तो एक पानी की कीमत लीजिये । अगर एक ही मर्तबा खेत में पानी गया और उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो इर्रीगेशन पूरी ले लेते हैं । बड़ा गलत है ।

[श्री नेकराम शर्मा]

तीसरा सुझाव यह है कि इर्रीगेशन विभाग जिस मिनिस्टर के हाथ में है उससे आप निकालिये। सुबह उठते हैं, घूमने गये, मालिश करवायी, आकर अखबार पढ़ा, घर बैठे रहे, दफ्तर के कमरे में बहुत कम आते हैं। जिस तरह से पी० डब्ल्यू० डी० की दुर्दशा की उसी तरह से इर्रीगेशन की दुर्दशा कर डालेंगे। माननीय शान्तिप्रपन्न को मिनिस्टर बना दीजिये माननीय सदस्य इसका स्वागत कर रहे हैं तो मेरा भी सजेशन है कि उन्हीं को प्रोमोट कीजिये और अगर वह भी फेल हो जायं तो इनका भी इम्पीचमेंट हो जाना चाहिये।

चौथा सुझाव यह है कि नहर विभाग के जो पुराने कानून हैं उनको बदल दीजिये। अगर किसी के खेत में से हो कर पानी निकलता है तो उससे भी आबपाशी ले ली जाती है। हमारे जिला अलीगढ़ में एक बरसाती गांव है, वहां पर किसी ने एक मर्तबा बम्बा काट लिया, उस गांव को आज तक पानी नहीं मिला। चूंकि पुराना आदेश है, इसलिये जारी है। कुयें आपको अपने खर्च से बनवाना चाहिये। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो अपने खर्चे से प्रोवाइड कीजिये इर्रीगेशन फैसिलिटीज। मैसोनरी वेल्स भी बनवाइये और किसानों से रुपया लगान की तरह वसूल कर लीजिये।

पांचवां मेरा सुझाव यह है कि डिपार्टमेंट को रिआर्गेनाइज कीजिये। असिस्टेंट इंजीनियर, इग्जिक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, चीफ इन्जीनियर, अन्डर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी न मालूम कितने अफसर भरे हैं। कम करिये। यह मिनिस्टर साहब के पास रहते हैं। छः, छः साल के एक्सटेंशन होते चले जा रहे हैं। इनको कम कीजिये। जो छोटे दरजे का स्टाफ है पतरौल, ओवरसियर, जिलेदार जितने कर्मचारी हैं, इनको ब्लाक के सुपुर्द कीजिये अगर डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं। क्यों आप कन्ट्रोल करने में असफल हो गये हैं? जैसा कि शिवराज सिंह जी ने कहा दस में से एक भी ईमानदार आपरेटर आप नहीं दिला सकते। लिहाजा इनको ब्लाक के सुपुर्द कर दीजिये। श्रीमन्, सरकार ने कमान्ड एरिया जो ५०० एकड़ रखा है पहले १,००० और ८ सौ एकड़ रखा था, अब ५०० कर दिया है। इसको कम करके तीन सौ एकड़ कर दें क्योंकि ५०० एकड़ भी बहुत ज्यादा है। प्लानिंग कमीशन की जो कमेटी आयी थी उसने रिपोर्ट दी है कि ये ट्यूबवेल तीन, सवा तीन सौ एकड़ से ज्यादा इर्रीगेशन नहीं कर सकते। तो इससे ज्यादा आप कमान्ड एरिया मत रखिये।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जितना वाटर लागिंग होता है, एक तो बन्धे वगैरह बनें तो मैन मेड वाटरलागिंग है और दूसरा नहरें चलीं और पानी ऊपर आ जाता है, तो इसके लिये आप वहां ट्यूब वेल सिंक कराइये। पानी नीचे से आयेगा। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मैंने पन्द्रह मिनट कहा था.....

श्री उपाध्यक्ष—

आपके दस मिनट हो जायेंगे, तीन मिनट और बोल लीजिये। पन्द्रह मिनट नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—

इसके साथ-साथ श्रीमन्, पानी की गारन्टी होनी चाहिये। अगर आप पानी नहीं दे सकते तो किसान को पहले से सूचना कर दीजिये कि हम पानी नहीं दे सकते, वह सिंचाई का प्रबन्ध कर लेगा। अब मैं दो, तीन और महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा। इस सरकार ने हमसे रुपया लिया। लेजिस्लेचर को डिसीव करके ४ करोड़ ३७ लाख, लेकिन वह खर्च कर पाये कुल २ करोड़ १२ लाख। पचास परसेंट इर्रीगेशन डिपार्टमेंट खर्च नहीं कर पाया। यह आडिट रिपोर्ट १९६३ से मैं बता रहा हूं जो कि एक अथारिटेटिव किताब है। इसके पृष्ठ २० पर देख लें। यह फ्रीजिंग आफ मनी हुआ। दूसरे विभागों का हक ले लिया, खर्च नहीं कर पाये, दूसरे विभाग इससे डिप्राइव हुये। रामसुभग सिंह जी सेंटर के एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे प्रदेश हैं कि जो हम उनको दे दें वह भी खर्च नहीं कर पाते। इसके बाद भी आप हमसे टैक्सेशन की बात करते हैं जब कि सेंटर की यह राय आपके बारे में है।

दूसरी बात आप देखें --फर्स्ट प्लान में खर्च किया ३४ करोड़ ४७ लाख और ऐडीशनल पोटेंशियल पानी के लिये दिया २०.११ लाख एकड़। सेकेंड प्लान में खर्च किया ३९ करोड़ ५७ लाख और पोटेंशियल २१.०८ लाख और थर्ड प्लान में खर्च कर रहे हैं ७६ करोड़ २१ लाख जब कि टार्गेट है श्रीमन्, १८.६१ लाख एकड़। यानी फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में खर्च कम किया पोटेंशियल ज्यादा रहा, सेकेंड में खर्च ज्यादा किया और पोटेंशियल कम रहा और थर्ड प्लान में ७६ करोड़ खर्च कर रहे हैं और टार्गेट रखा है सबसे कम, १८.६१ लाख कुल। माताटीला डैम को ले लीजिये। तीन मिनट में खत्म कर दूंगा। उसकी पहली रिपोर्ट जो है उसमें लिखा है कि ४.०९६ लाख एकड़ को इर्रीगेशन की फैसीलिटी देंगे। दूसरी रिपोर्ट आयी उसमें लिखा है ४.१२५ लाख एकड़ और जो ६४ में रिपोर्ट आयी है उसमें लिखा है ४.१ लाख एकड़। यानी किसी रिपोर्ट में कुछ, किसी में कुछ, क्या खिलवाड़ बना रखा है? यह किस तरह से एरिया घटता जा रहा है? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसलिये जरूरत है विजिलेन्स कमीशन की जो कि सारी चीजों को असेस करे कि कितना खर्चा हुआ है और कितना उससे लाभ हुआ है।

प्रोग्रेसिव रिपोर्ट सन् १९६२ की इर्रीगेशन पोटेन्शियेलिटी की सदन के सामने प्रस्तुत की गई। उसमें इर्रीगेशन पोटेन्शियलिटी ८४.२६ दिखाई गई है। अब सन् १९६४ में जो इर्रीगेशन पोटेन्शियलिटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें ७२.९२ इर्रीगेशन पोटेन्शियलिटी क्रियेट हुई है। अब आप देखें कि एक साल पहले से अब ६४ में आकर वह कितनी गिरी? माइनर इर्रीगेशन की सेकिंड प्रोगेसिव रिपोर्ट को देखा जाय तो उसमें हमारी जो इर्रीगेशन पोटेन्शियलिटी क्रियेट हुई है वह ११८.२३ है। अब अगर सन् १९६४ की रिपोर्ट को देखा जाय तो उसमें ११.९८ इर्रीगेशन पोटेन्शियलिटी क्रियेट हुई है। कितना फर्क है जो हमारी रिपोर्ट से ही पता चलता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि शान्तिप्रपन्न जी शर्मा इस विभाग को छोड़ दें और अगर नहीं छोड़ते हैं तो इस मिनिस्ट्री का ही चार्ज ले लीजिये और जो यह टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है उस पर आप कन्ट्रोल करें। फिर एक इन्क्वायरी कमेटी बिठायें जो यह देखे कि कितना इसमें खर्च हुआ है और कितना उससे लाभ हुआ है? उस रिपोर्ट को इस सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय। इन शब्दों के साथ में अपने कटमोशन को फिर प्रेस करता हूं।

*विद्युत् उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आदरणीय सदन के सदस्यों का कृतज्ञ और आभारी हूं कि उन्होंने इस विभाग के बारे में चर्चा की और कुछ सुझाव दिये और कुछ कमियां भी बतलाईं। हमारे इस विभाग में १,१०० से ज्यादा इंजीनियर काम करते हैं। करीब ३५ हजार आदमी इसमें काम करते हैं और ३ लाख मजदूर इसमें काम करते हैं। यह सेवा के लिये हैं और इसका काम इस प्रदेश की सेवा करना है। इस प्रदेश में खेती ज्यादा होती है। हमारे विभाग का काम उसको पानी देना है और पानी देकर खेती की उन्नति करना है। यह काम इसको करना चाहिये। अगर कहीं पर कमी है तो वह हमको देखना चाहिये। अगर वास्तव में कहीं कमी है तो उसे हमें दुरूस्त करना चाहिये, यह हमारा फर्ज है और उसको करने के लिये हम जुटे हुये हैं। परन्तु, बदकिस्मती यह है कि हमारे विभाग में जो काम हुये हैं उन कामों की तरफ या जिन कठिनाइयों में वे काम हुये हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इस प्लानिंग के पहले सस्ते जमाने में ३६ करोड़ रुपया खर्च करके यह नहर की सुविधा दी गई थी। उस जमाने में २ पैसे मजदूरी मिला करती थी। गंगा, जमुना में पानी था वह नहीं आ सकता था। उस जमाने में उस पानी को लाया गया। अब खासतौर से हमारे जो पूर्वी इलाके हैं, जहां पर पानी का इन्तजाम नहीं हो सकता है, वहां पर हमको पानी का इन्तजाम करना है। वह ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बड़ी कठिनाई है। आप यह कहेंगे कि वहां पानी का इन्तजाम करें और उस हिसाब से करें जैसा कि पहले चली आया था, तो यह हो नहीं सकता। हमारा सिंचाई विभाग पानी का इन्तजाम करेगा,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

और भले ही उसमें नुकसान हो, हम वह करेंगे। लेकिन नुकसान दे कर अगर हम इन्तजाम करते हैं तो वह आपको बरदाश्त नहीं है। ४ करोड़ ६९ लाख का नुकसान हम पानी का इन्तजाम करने में उठाते हैं। यह इसलिये है कि हम चाहते हैं कि प्रदेश के किसान को पानी मिले। लेकिन यह आपको बरदाश्त नहीं है। नेकराम जी की बातें मैंने ध्यान से सुनीं। आपने आडिट रिपोर्ट से कुछ पढ़ा। उसमें तो आडिटर्स एतराज करते हैं और हम उनका जवाब देते हैं। वह मामला पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में जाता है। उदाहरण के लिये आपने कहा कि जिसका बजट में प्राविजन नहीं था वह काम कर दिया गया और जिसका बजट में प्राविजन था वह नहीं किया गया। कुछ स्कीमें ऐसी थीं कि जिनमें नुकसान हुआ। आडिटर्स तो कानून के हिसाब से अपना काम करेंगे। एक काम प्रि-प्लान्ड चल रहा था। उसमें कुछ जमीनों के दाम नहीं दिये गये थे, एक जगह ऐक्सीडेंट हो गया था, तो उस सब के लिये हमको पैसे का प्राविजन करना पड़ा। वह जरूरी था। उसमें कोई पैसा चोरी नहीं गया, न रुपया किसी ने खा लिया। वह एक प्रोपोजरल मैटर था।

(इस समय ३ बजकर २० मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

जो आडिटर्स को जानते हैं वे इस तरह की शिकायतें नहीं करते। हरिद्वार में एक पुल बना। कुछ रुपया उसमें म्युनिसिपल बोर्ड को देना था। वह उन्होंने दूसरे फन्ड में जमा कर दिया था। इंजीनियर ने उसे अपने फन्ड से ही बना दिया। बाद में वह मामला एकाउन्ट्स में ठीक कर दिया गया। इसमें जो काम हुआ है उसमें किसी तरह का गबन नहीं है, सिर्फ एकाउन्टिंग का फर्क है और जहां ऐसा हुआ भी है उसके लिये कर्मचारियों को आगाह कर दिया गया है। वह सब जवाब पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने जायेंगे और वह इनको दे देंगी। आपने कहा कि बहुत सा रुपया वेस्ट किया गया इसलिये कि स्कीम्स बनाने के बाद चलायी नहीं गयीं। मैं आप की राय से सहमत हूं, लेकिन थोड़ा बुद्धि का फर्क है। आपकी जानकारी के लिये मैं बतलाऊंगा कि हमारे यहाँ पावर और इर्रीगेशन में काफी रुपया रिसर्च के लिये रहता है। हमारे प्लान में १ करोड़ १० लाख रुपया इंवेस्टीगेशन के लिये है और इसलिये है कि उसको जांच करें कि यह चीज बन सकती है या नहीं क्योंकि १०७ करोड़ रुपया खर्च करते हैं। तब हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। फिर भी यह तय करने के बाद भी कि यह स्कीम हमको लेनी है, यह भी होता है कि काम करने में देर हो जाय। कभी-कभी आडिट रिपोर्ट की वजह से एक साल देर हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कोई लैकुना प्वाइंट आउट कर दिया तो उसको पूरा करने में देर हो सकती है। फिर यहां से सैंक्शन नहीं गया और जब काम करना शुरू कर दिया तो घोड़े नहीं मिले और न काम आगे बढ़ा। तो एक वर्ष स्कीम पीछे हो गयी। फिर २-३ बड़े-बड़े बांध टूट गये, एक पूना में और एक दूसरी जगह और हमारे दो बांधों में क्रैक्स आ गये तो इंजीनियर्स ने यह खयाल करके कि मनुष्य जीवन का प्रश्न है इसलिये जो बांध है वह ज्यादा मजबूती से बनाये जायें। इससे कुछ दाम जरूर बढ़ जायेंगे। आप नाराज हैं कि स्कीम क्यों बनायी जायें जब २ परसेंट से ज्यादा नुकसान देते हैं। लेकिन हमारा एक मापदन्ड था उससे भी काम कास्ट आयी, लेकिन जब स्ट्रेंग्थन करने की बात सामने आयी तो दाम ज्यादा बढ़ गये। कहीं-कहीं यह हुआ कि हमारा जो पहले का डेटा था उससे बारिश ज्यादा हो गयी, स्टोरेज कैपेसिटी बदलने से स्पेसिफिकेशन्स बदलने पड़े।

श्री नेकराम शर्मा --

मुझे केवल एक सवाल करना है। अगर सर्वे कराया गया और उसमें रुपया खर्च होता है तो मैं अपने चार्ज को वापस कर लूंगा। लेकिन सही बात यह है कि स्कीम बनी, एस्टीमेट पेश हुआ, फिर रिवाइज हुआ, अप्रूव हुआ, उसके बाद स्टाप किया गया। सर्वे के लिये करें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––

मेरा दुर्भाग्य है कि मैं नहीं समझ सका कि कहां मेरी बात में और आप की बात में कांट्रैडिक्शन है। सर्वे हो कर अगर काम भी प्रारम्भ कर दिया, उसके बाद हम यह निश्चय करें कि इसको स्ट्रेंगथन करके मोटा बनाना है, तो फिर मेरी और आपकी बात में क्या फर्क है ? सिर्फ बुद्धि का फेर है। मुझे अफसोस है कि मैं आपको समझा नहीं सकता। आप विश्वास रखिये कि हमारे विभाग के इंजीनियर्स काफी मेहनत से काम करते हैं। कुछ लोगों के बारे में शिकायतें हो सकती हैं। मैं चाहता हूं माननीय नेकराम शर्मा जी एक, दो बार मेरे साथ चल कर देखें कि किन कन्डीशन्स में यह लोग काम करते हैं।

रिहन्द बांध के बारे में माननीय नेकराम शर्मा जी ने कहा कि हमारे इन्जीनियर्स ने गलत काम किया। मैं आपको बताता हूं कि ज्यादा पानी भरने से जो हमारा डैड स्टोरेज होता है वह बढ़ जाता है। उसकी हाइट ऊंची हो जाती है और ऊंची हो जाने से वह ज्यादा बिजली देने लगता है। जब हाइट बढ़ जाती है तो उसका फाल बढ़ जाता है। अगर यह ज्यादा ऊंचा बन जाता तो हमारे इन्जीनियर्स की यह अक्लमन्दी होती। मगर हमारे नेकराम जी नाराज हो गये। मैं आपको बतलाऊं कि पिछली बार हमारी पावर सब कमेटी जब रिहन्द गयी तो जिन माननीय सदस्यों ने उसको देखा उन्होंने कहा कि हम यह प्रस्ताव लायेंगे कि जिन इन्जीनियर्स ने इसको बनाया है वे बधाई के पात्र हैं। वह प्रस्ताव शायद माननीय गेंदा सिंह जी लाये थे। आपकी तरफ के काफी लोग वहां गये थे, और सभी ने उसकी तारीफ की थी।

आगरा केनाल की एक बात कही गयी। कहा गया कि वह चौड़ी कर दी गयी लेकिन उसमें पानी नहीं निकला। सर्दी के मौसम में जितना पानी जमुना में होता है उससे ज्यादा पानी हमको नहीं मिलता। लेकिन बरसात में, या जाड़ों में जब कभी पानी बरस जाता है, तब हमको ज्यादा पानी मिल जाता है। लेकिन मेरे पास इस तरह के आंकड़े हैं कि पहले १ लाख ८२ हजार एकड़ को सिंचाई का एवरेज था, लेकिन चौड़ी होने के बाद उसका एवरेज २.२२ लाख हो गया। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि जब हम ऊपर से ज्यादा पानी का इन्तजाम कर लेंगे तो इसमें भी ज्यादा पानी आ सकेगा। मुझे इस बात के कहने में खुशी है कि गन्डक की मेन धारा को हमने लौटा दिया है और मुझे यह खबर बताते हुये भी खुशी होती है कि अभी हमें यह खबर मिली है कि कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट से नैपाल बांध की हमें इजाजत मिल गयी है काम शुरू करने की। ३१ मार्च तक वे हमें जमीन का पजेशन भी दे देंगे। माननीय नरसिंह नारायण जी और पूर्वी जिलों के जो माननीय सदस्य हैं, मैं समझता हूं कि वे इस खबर को सुन कर प्रसन्न होंगे। माननीय नेकराम जी ने ट्यूबवैल आपरेटरों की शिकायत की और मुझे माननीय शिवराज सिंह जी की इस शिकायत को, कि कोई भी ट्यूबवैल आपरेटर ऐसा नहीं है जो रिश्वत बिना लिये पानी देता हो, सुन कर बहुत दुख हुआ। वे तो अपने आप ही यहां डिप्टी मिनिस्टर रह चुके हैं। अगर ऐसी ही बात थी तो उन्होंने कम से कम दो, चार को तो सस्पेंड किया ही होता, तब मालूम पड़ता कि वे किसी भी बेईमान आदमी को टालरेट करने के लिये तैयार नहीं हैं। इससे ज्यादा और इसके लिए मैं नहीं कहना चाहता।

माननीय अंचल जी ने कहा कि आबपाशी गलत लिखी गयी। हम यह कभी नहीं चाहते कि गलत लिखी जाय। आप तो हमारे साथी हैं, आप हमको बतायें। अगर कोई आफीसर गलत है तो हम उसको कतई टालरेट करने को तैयार नहीं हैं। आपका फर्ज है कि अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमारे सामने उसको लायें जिससे हम उन चीजों को देख सकें। माननीय राम सुदन्र जी ने दोहरीघाट कैनाल का जिक्र किया या तो वे भ्रम में हैं, या मैं। मैं उसको समझ नहीं सका।

जहां तक राम गंगा प्रोजेक्ट की बात है, वह पहले २८ करोड़ का बना। फिर ऐसा मालूम हुआ कि बांध को ज्यादा मजबूत बनाया जाय। यह भी मालूम हुआ कि वह ऐसी जगह में है

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

जहां थोड़ा भूकंप का खतरा है। इस बात को देख कर दो रिवाइज्ड एस्टीमेट्स बनाये गये और आखिर मे ६७ करोड़ की स्कीम उसके लिये बनायी गयी। इस स्कीम के लागू करने से पूर्व हमने एक टेक्नीकल कमेटी को इस चीज को दिखलाया। उस टेक्नीकल कमेटी की रिपोर्ट को मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। पहले उस कमेटी के जो नाम हैं उनको बता देना चाहता हूं। वे इस प्रकार हैं --

(१) डा० ए० एन० खोसला, चैयरमैन, (२) डा० एफ० ए० निकेल, कन्सल्टिंग जिग्रोलोजिस्ट, यू० एस० ए०, (३) डा० जे० बेरी कुक, एक्सपर्ट आफ अर्थक्वैक्स, यू० एस० ए०, (४) श्री जी० पांडेय, वाइस चान्सलर, यूनिवर्सिटी आफ रुड़की, (५) श्री एम० आर० चोपरा, चेयरमैन, सेन्ट्रल वाटर एन्ड पावर कमीशन, (६) श्री एस० एस० कुमार, डायरेक्टर जनरल, डेवलपमेंट विंग, (७) श्री सी० एल० हंडा, मेम्बर, वाटर पावर कमीशन, और (८) श्री ए० सी० मित्रा, इंजीनियर-इन-चीफ, इर्रीगेशन डिपार्टमेंट।

इन्होंने एक रिपोर्ट दी। वह इस प्रकार है --

"The site is adaptable to a safe dam auxiliary structures. The proposed utilisation of the site makes safe and economic use of the topography, geology and available natural construction materials and is approved. It is recommended that the project engineering may proceed as proposed."

इस तरह के संसार के जो सबसे प्रसिद्ध लोग हैं, हिन्दुस्तान के सबसे बड़े और मशहूर इंजीनियर लोग हैं जिन्होंने बड़े-बड़े काम किये हैं, उन सबकी यह राय है कि यह स्कीम इकोनामिकल है और इससे फायदे भी बहुत होंगे। समय नहीं है, नहीं तो मैं इस चीज को ज्यादा डिटेल में बतलाता। मैं समझता हूं कि आदरणीय सदन के सदस्य मेरी बातों से सहमत होंगे। यह स्कीम बन गयी है और इस स्कीम के अन्तर्गत काम हो रहा है और इस पर काम करने के लिये बहुत-सी मशीनों तथा और चीजों के लिये फारेन एक्सचेंज भी हमें मिल गया है। मेरा विश्वास है कि शेड्यूल के हिसाब से काम चलेगा। इन शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि जो मांग पेश है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती) --

सिंचाई मन्त्री जी से एक बात मैं जानना चाहता हूं कि टू पार्ट टैरिफ की बात जो कही गयी है उस पर अन्तिम निर्णय हो चुका है या अभी वह विचाराधीन है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा --

उसका जवाब देने के बाद तो मैंने कोई बात कही नहीं।

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३० --राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अन्तर्गत १६,३२,९५,२०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष, १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विवादार्थ समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष --

एक निवेदन मुझे माननीय नेता विरोधी दल से विशेष रूप से करना है। एक बहुत छोटा सा विधेयक है जिसका मैंने उस दिन उल्लेख किया था। आपने कहा था कि हम पूछ कर

बतलायेंगे। तो उसके लिये मुझे यह सूचना मिली है कि कदाचित आप सभी माननीय नेता विरोधी दलों के चाहते हैं कि १६ तारीख को यह हो जाय।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) —

१६ को नहीं, हम लोग २० या २१ को चाहते हैं। क्योंकि हमारे सोशलिस्ट पार्टी के और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी इधर कहीं बाहर जाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप थोड़ा माननीय मन्त्री को सुन लें। कृषि मन्त्री जी को क्या कुछ कहना है ?

कृषि मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि जो प्राइवेट फारेस्ट्स हैं, उनको अगर गवर्नमेंट आवश्यक समझे तो अपने इन्तजाम में आज के कानून के मुताबिक ले सकती है। लेकिन अपने प्रबन्ध में लेने के लिये आज जो प्रोसीज्योर है या जो प्रक्रिया है, उसमें कुछ सन्देह मालूम होता है कि उससे पूरी तरह से मंशा पूरी हो जाती है या नहीं। तो जो वह संदेह है उसको दूर करने के लिये एक अमेंडमेंट इस बिल के जरिये उसमें करने का इरादा है। तो मैं चाहता हूं वह जल्दी हो जाय क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेन्ट हो चुके हैं जिनकी वजह से उन जंगलात के कट जाने का डर है। न तो इस बात को पहले एनविसेज कर लिया गया था कि ऐसी सूरत हो सकती है, लेकिन प्रोसीजर में कुछ डिफेक्ट दिखाई देता है उसी को दूर करने का मंशा है। जितनी देर होगी उतना पब्लिक इंटरेस्ट को हानि होगी। वह ५, १० मिनट की बात है, हम किसी के राइट्स नये तौर पर नहीं ले रहे हैं। हो सकता है उसमें प्रेसीडेन्ट के असेन्ट की जरूरत हो तो वहां भी देर लगेगी। बाकी १६, १७ को मैं नहीं रहूंगा। मैं जानता हूं माननीय सदस्यों को कठिनाई होगी। लेकिन केवल १० मिनट की बात है। अगर आज नहीं कल राजी हो जायं तो मैं माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूंगा।

श्री अध्यक्ष—

कल १५ मिनट में हो जायगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जो सदस्यगण इसमें ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि २०, २१ को इसे रखा जाय। इसकी सूचना मैंने मंत्री जी को भी भेजी। मैंने स्वयं अध्ययन नहीं किया। आपकी बात को मानता हूं महत्व का होगा।

श्री अध्यक्ष—

वकील की हैसियत से आप पढ़ लें कितना आवश्यक है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

मुझ से अधिक और सदस्यों ने पढ़ा जिनकी दिलचस्पी है।

श्री अध्यक्ष—

कल इसको साढ़े ५ बजे के बाद ले लिया जाय। (किसी के आपत्ति न करने पर) इसमें सब की राय है।

पुलिस अनुदान पर विवाद करने हेतु साहित्य की मांग (क्रमागत)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) —

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने आपके कार्य में विघ्न डालना मनासिब नहीं समझा, और मैं समझता हूं उस बात को पूरे आदरपूर्वक प्रेस करूंगा और यह यह कि गृह मंत्री अपना अनुदान पेश कर रहे हैं यह विषय ऐसा है कि हमको कुछ पता ही नहीं कि क्या इस विभाग ने किया, कहीं आंकड़े नहीं, आडिट का प्रश्न नहीं, हमको अंधकार में रखकर हमसे अनुदान पास कराना चाहते हैं। हम समझते हैं हमारे विरोधी दल के जितने सदस्य हैं उनके अधिकारों का हनन है, आप उसकी रक्षा करें। हम कोई दया नहीं चाहते, हम अपना अधिकार चाहते हैं जब तक हमको लिट्रेचर नहीं मिलता तब तक हम न बोलेंगे और न बोलने देंगे, इस धृष्टता के लिये आप क्षमा करें। हमें लिट्रेचर कल ही दे दें। आखिर किस आधार पर हम बोलें? इतने महत्व का विषय सारे प्रान्त के जन जीवन का प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रश्न है, कितने लांछन लगाये गये इन आंकड़ों को छिपाने के लिये यह किया गया है, और उल्टे हमको मूर्ख बताया जाता है कि लिट्रेचर पढ़ लें, उसमें सब दिया है। हम अपना अधिकार चाहते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, माननीय माधो प्रसाद त्रिपाठी जी के व्यवस्था के प्रश्न के संबंध में, मैं आपका ध्यान मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस के पेज २६० की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपोजिशन का राइट है कि हमें ....

श्री अध्यक्ष—

आपके कहने की आवश्यकता नहीं है। करीब-करीब विरोधी दल की सभी सदस्यों का एक मत है। मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस की कापी तो मेरे सामने है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, आप इस परम्परा को कायम रखें। जो आपकी आज्ञा हो वह हमारे ऊपर न गिरे। वह हमारे अनुकूल हो। यों तो जो आप आज्ञा देंगे हमें सहर्ष स्वीकार करना है लेकिन आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न पहले भी उठा था और उस समय भी मैंने इस आदरणीय सदन के समक्ष यही मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस के उद्धरण पढ़े थे जिसमें गवर्नमेन्ट के ऊपर एक यह दायित्व डाला गया है कि वह अपोजिशन को अपने विभागों के विभिन्न कार्यों से, अवगत करायें। साहित्य देने के संबंध में वह मत मेरा अब भी है। मेरा निवेदन केवल इतना था कि जब यह प्रश्न उठाया गया था तो माननीया मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि पारसाल सभी दलों के नेताओं के परामर्श के अनन्तर यह तय हुआ था कि केवल एक ही पुस्तिका छपेगी और अलग-अलग विभिन्न विभागों की नहीं छपेगी। पारसाल मैं बीमार था। किन्तु यह बात ठीक है, उसी परम्परा के अनुरूप इस वर्ष भी उन्होंने एक पुस्तिका इस सदन के समक्ष रखी। मैंने जब उसको देखा तो मुझे कहना पड़ा है कि नान-प्लान्ड विभागों का इसमें उल्लेख नहीं है। तो अपोजिशन को असुविधा होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं, विरोधी दलों के नेताओं और सभी विरोधी दल के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि हम आज इतने दिनों से बजट पर और विभागों के अनुदानों पर बहस कर रहे हैं। जिन परिस्थितियों में बहस कर रहे हैं वही परिस्थिति इस विभाग के संबंध में कही जा सकती है। यद्यपि माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात कही वह बात न कही जाती तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि यह बजट १९६४-६५ का है जिसमें भविष्य के कार्यक्रम का उल्लेख है। आपके भविष्य के कार्यक्रमों के लिये अनुदानों को देने के लिये आपके

पिछले कार्यों पर नजर डालना आवश्यक है। आपके विभाग के अन्तर्गत पुराने तरीके देखने आवश्यक हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो जवाब उन्होंने दिया वह उन्हें नहीं देना चाहिये था। यहां अगर संभव होता और हम आपके सामने किसी प्रकार का साहित्य इस विभाग के संबंध में अगर दिया जा सकता तो अवश्य देते। माननीय उपनेता ने कहा है कि अगर हमारे अख्तियार में होता या हमारे पास कोई साहित्य होता तो हम अवश्य देते। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि आपके राइट सुरक्षित हैं। इस साल जो गलती हुई, उसको नजरअन्दाज करते हुए, मैं कोई रूलिंग नहीं दे रहा हूं, सदन की कार्यवाही चलाना है। बजट को सदन के नेता ने उपस्थित किया है। अनुदान किस दिन लिये जायेंगे हमारे नियमों के अनुसार, सदन के नेता और नेता विरोधी दल ये दोनों निश्चित करते हैं और मैं समझता हूं कि आज आप ही (श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी से) उस कट मोशन को मूव कर रहे हैं तो कदाचित् अगर २-३ दिन पहले हमें सूचना कर देते तो अच्छा होता, लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर सकता, यह आपका अधिकार सुरक्षित है। इस वर्ष के लिये इसको नजर अन्दाज करना पड़ेगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

मुझे एक चीज कहनी है कि एक्स्ट्राआर्डिनरी गजट निकलता है, आर्डिनेंसेज निकलते हैं, रात-रात में यह सब चीजें सरकार तैयार कर लेती है। सरकार एक मशीनरी की तरह काम करके यह सब कर लेती है और सरकार इसे भी तैयार कर सकती है। मेरा विश्वास है और मुझे पता है, भगवान जाने गलत या सही है, कि सारे आंकड़े इनके पास हैं और आई० जी० या डी० आई० जी० अपनी बातों को छिपाने के लिये कोशिश कर रहे हैं। इनको कोई कठिनाई नहीं है। कल सुबह तक दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपोजीशन को पूरा अख्तियार है कि पार्लियामेन्ट लिमिट्स के अन्दर रहकर पार्लियामेन्टरी परम्पराओं को न तोड़ते हुए यहां का काम चलावें।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने फरमाया है और मैं भी इत्तिफाक करता हूं कि अपोजीशन का यह हक है लेकिन जैसा कि पारसाल आपस में तय हुआ था इमरजेन्सी की वजह से पैम्फलेट्स छापने बन्द कर दिये जायं, वह बन्द कर दिया गया और उसी ख्याल से इस साल भी नहीं हुआ। मेरी तो यह दरख्वास्त अपने तमाम साथियों से है जो इस तरफ बैठे हैं और उस तरफ बैठे हैं कि इस साल तो काम चलने दें क्योंकि अब इतनी जल्दी कहां छपें।

(व्यवधान)

बात तो सुन लीजिये। जब आप सुनना नहीं चाहते तो बेकार है। इतना उत्तेजित न हों।

(व्यवधान)

जो बात माकूल हो वह होनी चाहिये। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पहले से निश्चित सब बातें हो गयीं, ग्रान्ट पेश हुए, और ग्रान्ट्स भी आप डिसकस करते रहे और उनमें भी पैम्फलेट्स या लिट्रेचर नहीं बंटे हैं।

(व्यवधान)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

जो नान-प्लान्ड था वह नहीं है। इस तरह से गलत बात शोभा ....

श्री अध्यक्ष--

कुंवर श्रीपाल सिंह, आपके लिये शोभा नहीं देता इस तरह बीच में आप उतावले हो जायं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

राजा लोग तो बड़े वजादार हुआ करते थे। अब आपने वह वजादारी खत्म कर दी क्या? तो हम यह कहते हैं कि मौजूदा हालात में जब आप तमाम ग्रान्टों पर बहस करते रहे और बिना सिटरेचर काम चलाते रहे तो हम भी यह समझते हैं कि आप इस प्वाइन्ट को भी क्लीड करें और इस ग्रान्ट को चलने दें। उसके बाद आइन्दा एहतियात बरती जायगी।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)--

मैं समझता हूं कि यह बहुत अहम मसला है और आज आप देखते हैं कि इस हाउस में काफी गंभीर वातावरण है। सोच समझकर इस सवाल को उठाया गया है। जब सब्र का प्याला लबरेज हो गया, तब इस सवाल को उठाया गया।

श्री अध्यक्ष--

नी नहीं प्याला नहीं लबरेज हुआ।

श्री जेड० ए० अहमद--

हमें तब तक संतोष नहीं होगा, हम डटे रहेंगे, हम साफ कह देना चाहते हैं, सिर्फ हलकी फुलकी बातों से काम नहीं चलेगा। पिछले साल आपने तय किया। मैं तो कम से कम उन नेताओं में एक नेता हूं, मुझे याद नहीं है, मेरे सामने यह तय नहीं हुआ कि यह सब वालयूम्स नहीं छपेंगे। सरकार ने और बहुत प्रश्नों पर निर्णय लिया था लेकिन वह पिछले साल की परम्परायें चल रही हैं। जो हमने खर्चा काटने का तय किया था वह खर्चा तो अपनी जगह रेस्टोर हो गया और यह परम्परा अपनी जगह पर कायम कर दी गयी तो ऐसी परम्पराओं को चलने नहीं देना चाहिये। इस मामले में हम सब यूनाइटेड हैं कि जहां तक होम डिपार्टमेन्ट का सवाल है सब से ज्यादा उपेक्षा का रवैया हमारे साथ रहा है। आज हम से यह कहा जाय कि आप बहस करें और उधर से चाजे आये कि कोई नयी बात नहीं करते, पिटी पिटायी बात करते हैं। हमको आंकड़े न दिये जायं तो कहां से हम नयी बात करेंगे। बजट में अगली बातों का रेफरेन्स है, हम पिछली बातों का रेफरेन्स करना चाहते हैं। यह फन्डामेंटल क्वेश्चन है। यह होम मिनिस्टर साहब या किसी एक मिनिस्टर का सवाल नहीं है, यह पूरी कैबिनेट का सवाल है और चीफ मिनिस्टर को आ कर यह एक्सप्लेनेशन देना चाहिये और पूरे तौर पर हमारे दिलों में विश्वास पैदा करना चाहिये तभी हमें शान्ति होगी वरना इस सवाल पर हम मोर्चा लेंगे।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपसे बता दूं कि दुर्भाग्यवश मुख्य मंत्री जी यहां हैं नहीं, अन्यथा मैं उन्हीं को बुलाता और उनसे कहता कि वे एक्सप्लेनेशन दें।

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

श्रीमन्, जो प्रश्न इस समय उपस्थित हो गया है उसके संबंध में मुझ को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने अभी यह कहा कि उनको याद नहीं है। मैं सिर्फ उनको याद दिलाना चाहता हूं कि परसाल इमर्जेन्सी उत्पन्न होने के बाद सभी विरोधी नेतागण, हमारे वित्त मंत्री जी और उस समय मैं प्लानिंग का काम करता था, मैं और भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी मिले, एक कमरे में बात हुई और एक, एक आइटम लेकर को एक दिन नहीं बल्कि कई दिन एक, एक आइटम लेकर के यह तय हुआ कि ये ये चीजें इमर्जेन्सी के कारण छोड़ दी जायं, इनमें खर्चा न किया जाय। यदि आज डाक्टर साहब को या उन नेतागण को जिनको कि इतना दुख और मलाल है, वह शब्द तो मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो डाक्टर साहब ने इस्तेमाल किये, लेकिन मैं एक अभियुक्त के नाते क्या डाक्टर साहब से यह तकाजा नहीं कर सकता कि यदि आपका यह निर्णय था तो आपको इसकी सूचना मुझे चार दिन पहले दे देनी चाहिये थी। आपने चार रोज पहले मुझे उसकी सूचना नहीं दी तो जो आपका अधिकार

है उसका अपहरण किया जा रहा है उसको मानते हुए, मैं अगर आपसे यह कहूं कि आपने मेरे प्रति अन्याय किया, तो क्या गलत है जब कि और अनुदान बिला उस पुस्तिका के और बिला उन आंकड़ों के जाने हुए आपने उन पर वाद विवाद किया। तो आज जब कि यह अनुदान आपके सम्मुख प्रस्तुत होने वाला है तब अगर आपने यह आक्षेप किया तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप स्वयं इसको न्याययुक्त समझते हैं ? और अगर सचमुच में यह नीति हो कि अगर किसी बात में श्रेय लेने की बात हो तो आप पीछे नहीं रह सकते, और मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि इस नीति का अनुकरण आप स्वयं करते हैं, मुझे उसका ज्ञान भी है, मैं मानता हूं और आपका आभारी हूं जो आपने कहा कि होम मिनिस्टर साहब की बात नहीं है लेकिन मैं आप से फिर पूछता हूं कि जब आपने सब अनुदान पास कर दिये और फिर आज आक्षेप कर रहे हैं कि इसे बिना पुस्तिका के पास नहीं करेंगे। फिर आपका अपना क्या वचन सत्य है कि होम मिनिस्टर की बात नहीं है हमारा जितना बजट पारसाल पेश किया गया था उतना ही है। इसमें खाली तनख्वाहों की वृद्धि जो हर साल हो जाया करती है वही है। १३–१४ करोड़ रुपये के बजट में केवल ९१ लाख रुपये की ही बात आपके सामने है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी––

श्रीमन्, यह भाषण हो रहा है या स्पष्टीकरण हो रहा है।

श्री हरगोविन्दसिंह––

इस सूरत में मैं कौन सी नई चीज पेश करूं जो पारसाल चीजें पेश हुई थीं, जिन चीजों को आपके सामने पेश करके, आपकी अनुमति प्राप्त की गई थी आज वे ही चीजें तो हैं।

(व्यवधान)

मुझे अपनी अवस्था और स्थिति का मुगालता नहीं है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस बजट पर विचार करके अपने सुझाव दें और आज का कार्यक्रम ज्यों का त्यों चलता रहे।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी––

श्रीमन्, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। माननीय गृह मंत्री जी ने जो अपने विचार व्यक्त किये मुझे दुख है कि मुझे तो उसमें कटु भावना लगती हैं। ऐसा लगता था कि किसी चीज का प्रत्युत्तर देने के लिये वे खड़े हुए हैं। कितनी ही चीजें इमर्जेन्सी में हुयीं और कितनी ही पीछे हटा ली गईं और जैसा कि हमारे डाक्टर साहब ने कहा और मुझे विश्वास है कि उनको याद न हो या वह यहां न हों, इनमें से कोई बात सही होगी। लेकिन हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। आपने कहा कि एक तारीख तक उनको सूचना क्यों नहीं दे दी यानी एक तरह एक्वीसेंस कर दिया। यह कानूनी मामला है। इतने अनुदान पहले पास हुए और हम कुछ नहीं बोले। श्रीमन्, उसका जबाब यह है कि जो पंचवर्षीय योजना की यह तृतीय पुस्तक छपी है, उसको देख लें, लगभग जितने महत्वपूर्ण विषय हैं सब उसमें दिये हुए हैं। लेकिन पुलिस नहीं है। आपकी निगाह में ला एन्ड आर्डर कोई महत्व नहीं रखता है और हमारी निगाह में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। हमारी योजनायें असफल हो सकती हैं और हमारे अधिकार छीने जा सकते हैं अगर ला एन्ड आर्डर सुरक्षित नहीं है। अगर हम पुलिस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो क्या अपने विचार रख सकेंगे। लाखों जनता के प्रतिनिधि इस तरह से अंधेरे में रह जायं, यह कहां तक ठीक हैं। आप जो चाहें कर लें। आपने कहा कि ४ रोज पहले सूचना क्यों नहीं दी। इसके माने हैं उनके घर में आंकड़े रखे हुए थे। छिपाते हैं। क्या कारण है कि कल नहीं दे सकते हैं ? इससे यह कांक्लूजिवली प्रूव्ड है कि आंकड़े हैं। अगर हैं तो कल दिये जायं। परसों दिये जायं। जब हमें आंकड़े मिल जायं तभी विवाद कराना चाहिये।

[श्री मातादीन त्रिपाठी]

मगर मैं फिर दोहराता हूं कि माननीय डाक्टर जेड० ए० अहमद ने जो कहा है हम उसको मानते हैं। और इस अधिकार के पीछे हम घुटने नहीं टेकेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---

मैंने माननीय मुख्य मंत्री को स्वयं पत्र लिखा है। यह नहीं कहा जा सकता है कि हम को कोई पत्र नहीं लिखा गया। मैंने जो पत्र लिखा उसकी प्रतिलिपि आपको भेजी है। मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मैं जनरल डिस्कशन पर तो नहीं, लेकिन जब प्रांटवाइज डिबेट चलेगा तो उसके पहले हर डिपार्टमेन्ट से कोशिश करेंगे कि सब की वुस्तिका और पब्लीकेशंस दें। मैंने मुख्य मंत्री से खुद टेलीफोन पर बातचीत की और मैंने पत्र भी लिखा। फिर सरकार क्यों कहती है कि हमें इनफार्मेशन नहीं दिया। मैंने सारी इनफार्मेशन दिया। उसके बाद भी सरकार अगर कहती है तो हम लोगों के सामने और माननीय सदन के सामने क्या चारा रह जाता है इस डिबेट को करने के लिये।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस मीटिंग का हवाला माननीय गृह मंत्री जी ने किया उसमें मैं भी मौजूद था। जहां तक मुझे खयाल पड़ता है यह तय हुआ था हम ऐडमिनिस्ट्रेशन में मैक्सिमम इकानमी करें। किस लिटरेचर को बांटें या न बांटें इसका जिक्र तक नहीं था। इस सवाल का कोई जिक्र उस मीटिंग के अन्दर नहीं हुआ कि हम डिपार्टमेन्टल लिटरेचर नहीं पब्लिश करेंगे। सिर्फ यह तय हुआ था कि टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर मैक्सिमम इकोनामी की जाय। मुझे खेद है कि जहां तक इकानमी का सवाल है वहां जूं तक नहीं रेंगी और उसकी दुहाई देकर कहा जाता है यह तय हुआ था। ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी। मंत्री जी गलत कहते हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

अध्यक्ष महोदय मैं भी उपस्थित था, अगर यह बात कही होती तो जितनी पुस्तकें छपी हैं वह क्यों छपी होतीं? नम्बर वन। नम्बर दो, डाक्टर अहमद साहब डी० आई० आर० में गिरफ्तार हो सकते हैं, और पुलिस के ऊपर पत्रिका न पाएं क्या ऐसा कह सकते थे? माननीय अध्यक्ष, आप बड़े भोले हैं और सदन भी।

श्री अध्यक्ष---

आपसे क्या मतलब है?

श्री नेकराम शर्मा---

हम और आप सभी जानते हैं असली बात यह है कि आप कभी साढ़े तीन बजे सदन में नहीं आते हैं आज खास तौर से क्यों आये? पुलिस विभाग के खिलाफ भारी असंतोष है। उसकी प्रतिक्रिया है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेकराम जी, अगर मुझे मालूम हो जाय कि माननीय नेकराम, माननीय डाक्टर जेड० ए० अहमद, नेता विरोधी दल नाराज हैं तो मेरा कर्त्तव्य हो जाता कि आपकी सेवा करने के लिये उपस्थित हूं। आप जो चाहें कह लीजिये।

श्री नेकराम शर्मा---

जब आप जानते हैं तो काहे को भाषण करवा रहे हैं? प्रश्न यह है कि बड़ा भारी आक्रोश है पुलिस विभाग के खिलाफ। हर गोविन्द सिंह जी के बयान निकलते हैं। कोई संतोष नहीं

हो रहा है। दिन दहाड़े डकैतियां हो रही हैं। आप आई० जी० को हटा दीजिये। माननीय विरोधी दल के सदस्य आधे दिन में मांग स्वीकार कर देंगे।

*श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मेरे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि न तो मैं इन्हीं की नुमाइन्दगी कर सकता हूं और न सरकार की ही नुमाइन्दगी कर सकता हूं। लेकिन यह सभा इस प्रदेश की सब से बड़ी सभा है और सारे प्रदेश के पंच यहां बैठे हैं। जहां पंच होते हैं वहां परमेश्वर होता है। तो यहां कोई बात हो जाय और उस बात पर कोई उंगली उठाये, उससे देश का बड़ा अहित होगा। माननीय नेकराम जी ने जो बात कही आई० जी० को हटाने के लिये यह मांग करना उचित नहीं है। बहुत से अहलकार ऐसे हो सकते हैं....

(व्यवधान)

क्या किसी इजलास के लिये कोई भी माननीय सदस्य ऐसा कह सकते हैं कि जब तक यह हटेंगे नहीं तब तक इजलास नहीं होगा....

(व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

माननीय फूल सिंह जी को भ्रम है कि हमने माननीय गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा है ? ऐसी बात नहीं है, हमने इस्तीफा नहीं मांगा है।

श्री फूलसिंह—

बिना दलीलों के भी आप यह काम कर सकते हैं अगर आप यह कहें कि हम तो आज बजट पेश न होने देंगे, न कल पेश होने देंगे, तो कोई रोकने वाला नहीं है। यह तो आप कर सकते हैं, खुल्लमखुल्ला बिना दलील दिये भी और दलील देकर भी कर सकते हैं। जो दलील आप दे रहे

(व्यवधान)

उसमें त्रुटि है। आपने उसको उस स्टेज तक वर्क नहीं किया। अगर आपको यह शिकायत है और हो सकता है कि मुझे भी शिकायत हो कि लिटरेचर नहीं मिला है, लेकिन उसको बाकायदा बतलाना चाहिये। हमें उनको मौका देना चाहिये कि फलां वक्त तक लिटरेचर नहीं देंगे तो हम उस काम को नहीं कर सकते....

(व्यवधान)

आखिर ऐसा भी तो मुमकिन हो सकता है कि आपकी बात और मेरी बात मुख्तलिफ हो, तो क्या यह गुंजाइश भी नहीं रही इस मुल्क में कि जो आपसे इत्तफाक न करे वह बोले ही नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप मुझसे बात करें।

श्री फूलसिंह—

अध्यक्ष महोदय, वह सही है, लेकिन आप तो कुछ कर नहीं पाते, ये बीच में बोलेंगे जरूर। यह बड़े अफसोस की बात है कि इस मुल्क में थोड़ा सा इख्तलाफ भी अगर बर्दाश्त नहीं है तो बड़ा इख्तलाफ अगर होगा तो क्या होने वाला है ? तो मेरा निवेदन है कि सब साथी सोचें इस पर और अगर यह करना है तो बाकायदा नोटिसें दें कि इतना समय और देते हैं। आप इतने बेचैन क्यों हैं ? मैं समझता हूं कि पांच सौ आदमी यहां बैठते हैं तो हमको भी जरा मौका मिलना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फूलसिंह]

चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे बोलने वाले यहां हैं, तो खराब बोलने वाले को भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए। तो मेरा निवेदन यह है कि इस चीज को वर्क अप भी करना है तो थोड़ा मेयाडिकली चलना चाहिए। इस पर कोई फैसला तो कोई शोभा की बात नहीं होगी। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि मैं सरकार की नुमाइन्दगी नहीं कर रहा हूं इस मामले में। आप इस पर सोच लें, गौर कर लें और गौर करके हाउस की कार्यवाही चलने दें।

श्री बलवन्तसिंह (जिला कानपुर)—

मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था और मैं नहीं समझता कि आखिरकार मंत्री जी क्या चाहते हैं? न तो हमारे पास कोई आंकड़े होंगे, न हम किसी चीज पर बहस कर पायेंगे तो यह कैसे होगा? आज पुलिस की बात है, कितना ला ऐन्ड आर्डर खराब है। और यहां की पुलिस कितनी निकम्मी हो चुकी है, इसका एहसास तो उनको भी होगा। तो आपके आई० जी० साहब ये आंकड़े भी न दे सकें, करोड़ों रुपये खर्च हों यह क्या बात है? आखिरकार कौन सी ऐसी वजह हुई है कि जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं देने की कोशिश की। और फिर कोई बात नहीं है। कल तक भी दें दें वह तैयार कराकर....

श्री अध्यक्ष—

नहीं, अगर वह दे सकते तो माननीय उनेता, सदन बता देते कि कल हम दे सकते हैं। अब मैं निवेदन करूं.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर) —

वह रिपोर्ट हमको देदें और हम साइक्लो स्टाइल करके बटवा देंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं एक निवेदन कर दूं। मैंने आपसे एक प्रार्थना की थी। यद्यपि मैं उस भाषा में नहीं कहना चाहता लेकिन यहां चूंकि आपने इतनी इन्डल्जेन्स गवर्नमेंट को शो कर दी। और कुछ ऐसे सबजेक्ट्स ले लिये जिनका लिटरेचर आपके पास नहीं था और हाउस का काम चलाना है तो ऐसी स्थिति में अगर आप मुझे मजबूर करेंगे कि मैं रूलिंग दूं तो माननीय पुरुषोत्तमदास टंडन ने सन् १९३८ में यह निदेश दिया था इस प्रश्न पर जब फिरी ने पूछा था सरकार से कि फलां कागज वह रखें तो उन्होंने आदेश दिया था कि हम सरकार को मजबूर नहीं कर सकते....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उस वक्त सरकार कौन थी? उस वक्त की सरकार का और आज की सरकार का मुकाबला नहीं हो सकता....

(व्यवधान)

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय टंडन जी की रूलिंग किस लिटरेचर के सम्बन्ध में थी?

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा—

आप जो व्यवस्था दे रहे हैं उसका सम्बन्ध है किसी पेपर के लिये जिसके लिये आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। यहां पर जो बजट पेश हो रहा है उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगी जा रही है। यह दोनों चीजें अलग-अलग हैं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

मुझे भय लगता है कि कहीं आप कोई आज्ञा न दे दें। हमारे हित की रक्षा आपके हाथ में है। यहां पर जिस कागज का जिक्र है आप समझ सकते हैं कि वह किस महत्व का है और जो हम कागज चाहते हैं वह किस महत्व का है। यह आप देख लें। दूसरी बात यह है कि आप अपने विवेक से सोच लें कि वह रूलिंग इस अवसर के लिये उपयुक्त है या नहीं। अगर आपने उसका सहारा लेकर उधर के पक्ष में कुछ कह दिया तो हमें बड़ा दुख होगा।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर) —

आपने टंडन जी की किसी व्यवस्था का प्रश्न यहां पर उठाया। इस सम्बन्ध में आपकी और सदन की जानकारी के लिए मैं यह कहूंगा और कुछ सुझाव देना चाहता हूं ताकि आप सही तरीके से व्यवस्था दे सकें। सेन्ट्रल असेम्बली जिस का उत्तराधिकारी आज पार्लियामेंट है, जब वहां पर भगत सिंह ने बम फेंका था, उस समय की सरकार ने सेन्ट्रल असेम्बली की इमारत पर पुलिस का पहरा बैठाल दिया था। उस समय विट्ठल भाई पटेल उसके स्पीकर थे। उन्होने सरकार को इस तरह से मजबूर किया कि उन्होंने सेन्ट्रल असेम्बली को अनिश्चित काल के लिये एडजर्न कर दिया। उस वक्त जो अंग्रेजी सरकार थी उसको उनसे समझौता करना पड़ा। उसके फलस्वरूप ही वहां पर कौंसिल गार्ड की व्यवस्था पैदा हुई। आप सरकार को मजबूर कर सकते हैं। आप हमारे मुहाफिज हैं। आप हाउस को साइन डाइ एडजर्न कर सकते हैं, इस तरह से सरकार को हमारे हकूक को मानने को मजबूर कर सकते हैं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी —

मेरा एक शब्द सुन लें। जहां पर स्टेट और सबजेक्ट में झगड़ा हो तो वहां पर कोर्ट निर्णय करता है। यदि सरकार और विरोधीपक्ष में झगड़ा होता है तो उसका निर्णय स्पीकर या चेयरमैन करते हैं लेकिन श्रीमन्, इनका जो निर्णय होता है वह विरोधीदल के ही पक्ष में होता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह बात मैंने कही कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने ऐसी बात कही थी। मैं यह नहीं कहता कि मैं उसी पर जा रहा हूं। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं इसी सदन का सदस्य हूं और इस सदन का आदेश यह है कि मैं नियमों का पालन करूं। अब जहां तक नियमों का सम्बन्ध है, नियम १३१ और ३१० के अतिरिक्त कोई नियम नहीं है जो कि मुझे अधिकार देता हो कि मैं सरकार को आदेश दूं कि तुम अमुक प्रकार का कागज यहां रखो। अब प्रश्न यह होता है कि एक तरफ तो मेरी भावना यह है कि गवर्नमेंट का कर्तव्य यह था कि यह लिटरेचर वह देती और मेरा यह निश्चित मत है कि वही सही तरीका है, लेकिन जिन परिस्थितियों में हम चल रहे हैं, और जिस प्रकार से अभी तक हमने इस बात पर बल नहीं दिया, आज भी मैं समझता हूं कि उस पर बल न दिया जाय और चूंकि मेरे ऊपर एक उत्तरदायित्व है और वह यह कि बजट का प्रोग्राम माननीय नेता, सदन और माननीय नेता, विरोधी दल ने मिल कर बनाया है, वह दोनों के परामर्श से बनता है तो उस प्रोग्राम को पूरा करना, उसके अनुसार काम करना मेरा फर्ज है। इसलिये मेरा निवेदन....

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी —

आज भी वातावरण शान्त हो जाय तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

तो शान्त वातावरण के लिये यह जरूरी नहीं है कि मैं अपने उत्तरदायित्व को अपने कंधों से टाल दूं। मेरा कथन यह है कि सदन का कार्य चलेगा और विरोधी दल उस पर आक्षेप नहीं कर सकता। मुझ में इतना बल नहीं है, कानूनन इतनी शक्ति नहीं है, नियमों के अन्तर्गत मुझे अधिकार नहीं है कि मैं सरकार से कहूं कि तुम यह करो। अगर उन्होंने नहीं किया है तो भी काम चलेगा। (व्यवधान) मुझे क्षमा किया जाय।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

मैं समझता हूं कि इसे कल के लिये टाल दें

श्री अध्यक्ष—

माननीय उपनेता सदन, क्या यह संभव है कि कल आप लिट्रेचर दे सकें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मेरे लिये कुछ कहना मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष—

उस बिल को हम आज ले लें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मेरी मजबूरी है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उपनेता सदन से पूछा। वह लिट्रेचर दे सकने में असमर्थ हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरा निवेदन है कि आपको अधिकार है। मुझे आप सुन लें। मैं आपको रूलिंग बताता हूं कि आपको कैसे अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

अगर मुझे अधिकार होगा, तो कल इस अनुदान पर यह बहस नहीं होगी। माननीय गृह मन्त्री, आप अपने अनुदान पेश करें।

(जब गृह मन्त्री अनुदान उपस्थित करने के लिये खड़े हुये तो सदन में शोर होने लगा और सभी विरोधी दलों के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये। श्री अध्यक्ष के आदेश देने पर भी सदस्यों ने स्थान ग्रहण नहीं किया।)

श्री अध्यक्ष—

मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि अगर आप नहीं बैठते हैं तो आप सदन.....

(शोर और व्यवधान)

अच्छा, अब १० मिनट के लिये, मैं सदन स्थगित करता हूं।

(इस समय ४ बजकर २६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ४ बजकर ३६ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) —

मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

जरा रुकिये, पहले सब माननीय सदस्यों को अपनी-अपनी जगह पर बैठ जाने दीजिये। माननीय सदस्य अपनी-अपनी जगह पर कृपया बैठ जायं।

(सदस्यों के स्थान ग्रहण करने के उपरान्त)

*श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, जिस परिस्थिति में आपने १० मिनट के लिये सदन को स्थगित किया, मैं यह कहना चाहता हूं, आपने दोनों पक्षों की बातों को सुनकर, उस समय कहा कि सरकार का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह ऐसा लिट्रेचर माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराये जिससे वे बहस में भाग ले सकें। आखिर में आपने एक मध्यस्थ की हैसियत से, परिस्थिति को देखते हुये, यह सुझाव रखा कि सरकार जिस बिल को कल एक घंटे में पास कराना चाहती थी। उसको आज पास करा ले और रात भर में जो लिट्रेचर तैयार हो सके, उसे कल बटवा दे। यह उचित परामर्श था। मैं आपको बताऊं कि अभी इलाहाबाद में आई० जी० पुलिस ने प्रेस कान्फ्रेन्स में साल भर के आंकड़े दिये थे। सरकार के हेडक्वार्टर पर सारे आंकड़े मौजूद हैं। सरकार के पास इतनी बड़ी मशीनरी है कि उसको छपवा कर माननीय सदस्यों को वितरित करवा सकती है। विधान सभा की कार्यवाही जब रात में तैयार हो कर मिल सकती है तो यह ५-६ पेज की रिपोर्ट भी मिल सकती है। माननीय उप नेता सदन से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि वे इसका प्रबन्ध करा दें। हम सदन के एक एक मिनट का सदुपयोग करना चाहते हैं। हम कोई अड़ंगा नहीं लगाना चाहते। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप इस बिल को, जो कल पास होने वाला था, आज पास होने दें और कल हमको पुलिस के सम्बन्ध में रिपोर्ट मिल जाये।

(इसी बीच एक पुस्तिका 'उत्तर प्रदेश वार्षिक रिपोर्ट १९६२-६३ खंड २' की प्रतियां सदन में वितरित करने हेतु प्राप्त हुयीं।)

श्री अध्यक्ष—

इस इसरार का ही तो यह परिणाम हुआ कि एक रिपोर्ट हमारे सामने आ गयी। आप इस रिपोर्ट के अध्याय ३ को देखें..... (व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, अभी माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि इमरजेन्सी में सारा साहित्य बन्द कर दिया गया, नहीं छापा गया, तो यह किताब कहां से आ गयी ? (व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरा आपकी व्यवस्था के बारे में प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था के ऊपर अब में कुछ नहीं सुनूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

तो ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

अगर हमारे नियमों में व्यवस्था नहीं है तो आपको अधिकार है, मेरे पास कुछ नोटिस हैं जिन्हें मैं पढ़कर सुनाऊंगा .....

श्री अध्यक्ष---

इस वक्त नहीं, मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि आप दिखा देंगे तो मैं देख लूंगा। मेरे पास यह पुस्तिका है। मैंने अभी उनसे मांगा था कि कुछ तो होना चाहिये। इसमें अध्याय ३ है जिसमें दिया है, 'शान्ति एवं व्यवस्था के अन्तर्गत पुलिस, सार्वजनिक जुआ अधिनियम आदि और बन्दीगृह'। पुलिस के सम्बन्ध में इसमें ७ पृष्ठों पर, पृष्ठ २० से २६ तक, दिया है। उसके बाद सार्वजनिक द्यूत अधिनियम आदि। फिर उसके बाद है बन्दीगृह। यह सन् १९६२-६३ का है। सन् १९६३-६४ की रिपोर्ट के लिये आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके सामने अभी आजावे। पहली अप्रैल, से ३१ मार्च, सन् १९६४ तक की रिपोर्ट, आज आपके सामने नहीं आ सकती है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, इसमें पेज २२ देखें। इसमें सन् १९६२ तक दिया है, तो हमारे मौजूदा गृह मन्त्री के समय का नहीं है। अगर आज तक का नहीं दे सकते तो ३१ दिसम्बर, १९६३ तक का तो दे सकते थे। आखिर वह कौनसी चीज है जिसे वह छाप नहीं सकते ?

श्री अध्यक्ष---

यह आर्ग्यूमेंट की बात है। आज उन्हें अनुदान रखने दीजिये। अगर उनके पास होगा तो मैं माननीय उपनेता सदन से कहूंगा कि वह यथाशक्ति दे दें। इस समय यही मैटीरियल उनके पास है।

श्री जेड० ए० अहमद---

उपनेता सदन भी तो कुछ कहें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जो आपकी आज्ञा होगी शिरोधार्य होगी। कोशिश भरसक मैं करूंगा।

श्री अध्यक्ष---

अब अनुदान शुरू होने दीजिये। अब आपकी बात रह गई है। कट मोशन कब आवेगा।

श्री जेड० ए० अहमद---

उपनेता सदन साफ तौर कहें कि कल जब सदन शुरू होगा उस वक्त वह या हमारे गृह मन्त्री अपने डिपार्टमेंट के जरिये इनफार्मेशन कलेक्ट कराके, जो भी उनके पास एवेलेबिल हो, क्या वह पेश करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मैंने तो यही कहा। अगर आप न समझें तो मैं समझ कहां से दूं ? जो हमसे भरसक हो सकेगा हम देने की कोशिश करेंगे।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

'जो हो सकने में' तो उनके सामर्थ्य की बात हो गई।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, मैं आदेश देता हूं कि जो सम्भव होगा वह करना पड़ेगा।

श्री भगवान सहाय—

अभी आपने कहा था कि मैं सरकार को मजबूर नहीं कर सकता हूं। अब आपने कहा कि मैं आदेश देता हूं। आपकी कौनसी बात सही है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय भगवान सहाय—यह अदालत की बात है, सदन की नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा —

श्रीमन्, इसी सदन में आपने समय समय पर यह व्यवस्था दी है कि जो साहित्य या भाषण या कटमोशन प्रस्तुत किये गये हों उन पर दोबारा बहस नहीं हो सकती। वह पेश नहीं किया जा सकता। आप यह रूलिंग दे चुके हैं। इस विषय पर जब हम जहां बहस कर चुके तो क्या फिर इस पर बहस कर सकते हैं ? नम्बर एक.....

दूसरी बात यह है कि अभी आपने इस सदन में कहा कि मैं किसी को आदेश नहीं दे सकता यानी आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते लेकिन अब आप कहते हैं कि मैं आदेश देता हूं। दोनों में कौन सी बात ठीक है ?

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष—

इस रिपोर्ट के बारे में मुझे यह इन्फारमेशन मिली है कि यह अभी प्रिन्ट हो कर आयी है पारसाल नहीं थी।

कुंवर श्रीपालसिंह —

अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री जी ने जानबूझ कर सदन को मिसलीड किया है। उन्होंने अभी कहा था स्पष्ट शब्दों में कि उनके पास कोई लिटरेचर नहीं है। वह जानबूझ कर बहकाना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष—

यह तो प्रिविलेज का मोशन हो जायगा।

१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १४—पुलिस

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी अब अनुदान प्रस्तुत करें।

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

श्रीमन् मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४—पुलिस के अन्तर्गत १३,८२,३८,१०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष, १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, इस अनुदान के सम्बन्ध में इतना बता दूं कि जो अनुदान इस विभाग का पिछले वर्ष था, उससे इस अनुदान में जो वृद्धि हुई है, वह नाममात्र को हुई है और वह वृद्धि ९१ लाख

[× × ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

[श्री हरगोविन्दसिंह]

रुपये की है जो साधारणत : हुआ करती है, तनख्वाहों में वृद्धि के कारण तथा थोड़ी सी नयी स्ट्रेंथ भी इसमें शामिल हुई है लेकिन ८० प्रतिशत वही है। इस तरह से आप देखेंगे कि यह मांग करीब-करीब उतनी ही है जितनी पारसाल थी।

श्री अध्यक्ष---

यह पुस्तकें विरोधी दल को बांट दी जायं।

(उत्तर प्रदेश वार्षिक रिपोर्ट १९६२-६३, खंड २ की प्रतियां बांटी गयीं।)

श्री हरगोविन्दसिंह --

श्रीमन्, समाजशास्त्रियों का यह मत है कि जब तक मानव समाज रहेगा तब तक उसके लिये एक शासन की आवश्यकता होगी। वह बात तो दूसरी है जैसा कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल ने कहा है कि हमारे विकास क्रम में ऐसी एक अवस्था आयेगी जब कि समाज स्वत: इतना नियन्त्रित हो जायगा कि किसी शासन की आवश्यकता नहीं होगा, शासन स्वत: मुरझा जायगा। लेकिन जब तक यह अवस्था नहीं आती, तब तक एक शासन की आवश्यकता होगी और जब शासन की आवश्यकता होगी तो उसमें नौकरशाही का रहना जरूरी है और अगर नौकरशाही है तो उसमें पुलिस का रहना भी जरूरी है। तो इस कारण चाहे हम जो भर करके इस भवन में या इस भवन के बाहर कोस लें, चाहे जो भी कहना हो कह लें लेकिन जब तक कोई शासन पद्धति रहेगी---बाद में स्टेट विदर अवे हो जाय तो बात दूसरी है --लेकिन आज तक कोई ऐसी शासन प्रणाली नहीं निकली और उसका प्रयोग नहीं हुआ जिसमें हम यह कहें कि पुलिस की आवश्यकता न हो। पुलिस का एक पक्ष सुनने को तो बहुत मिलता है और जो दो दिन विवाद इस सदन में होगा उसमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, वह तो मैं विरोधी पक्ष के लिये छोड़ता हूं लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष होता है वह श्रीमन् मैं आपके द्वारा सदन के सामने रखना चाहता हूं और इसलिये रखना चाहता हूं कि मैंने एक जगह पढ़ा है पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी का डेफिनिशन, उसमें लिखा है कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का कार्यक्रम बातों से चलता है और उन बातों के कारण जो सेंस की बात करें, अक्ल की बात करें, समझ बूझ की बात करें और तब आप समझबूझ लाते हैं, तब उसमें अक्ल लाते हैं और अगर आप बेसमझ की बात करें तो उसमें आप बेसमझी लाते हैं। यह उद्धरण मैंने इसलिये दिया कि इस सदन का कार्य केवल इस तरह नहीं चल सकता कि हम खड़े हो जायं अपने उत्तरदायित्व को समझ कर और यह समझ लें कि हमारा उत्तरदायित्व केवल इतने ही में समाप्त है कि हम एक विभाग को जो भर करके गाली दें। इस तरह से पर्लियामेंटरी डेमोक्रेसी नहीं चल सकती।

मैं उन आदमियों में नहीं हूं जो यह कहें कि पुलिस में कोई दोष नहीं है या वह दूध की धोयी हुई है। हमारे समाज के ही वह अंश हैं। पुलिस वाला आपसे पूछता है कि आप हमसे हरिश्चन्द्र की सत्यता चाहते हैं, युधिष्ठिर की ईमानदारी चाहते हैं, हर समय हमसे चाहते हैं कि अपनी जान हथेली पर लिये रहें, पर वह आपसे पूछता है कि आप उसको क्या देते हैं। जब चीन का आक्रमण हुआ, मैं तो एक जगह गया था देखा हमारे नौजवान १६,००० फीट की ऊंचाई पर देश की रक्षा कर रहे हैं, जहां बरफ जमी रहती है, हवाई जहाज से उनको खाने पीने का सामान गिराया जाता है। मैं आपसे पूछता हूं क्या देते हैं एक कांस्टेबिल को? ४०---७० रु०। आपकी नीति बहुत अच्छी है एक तरफ कहते हैं तनख्वाह बढ़ायें और जब सरकार आमदनी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव लाती है तो उसका विरोध किया जाता है, उसके विरोध में हड़ताल, भूख हड़ताल, सत्याग्रह करते हैं।

इंगलैण्ड में किंग्स अपोजीशन कहलाता है इसलिये कि यदि कभी मौका आये तो सरकार बनाये। मैं बताता हूं डेमोक्रेसी के लिये वह बड़ा दुर्दिन होगा यदि हम यह समझें कि सर्वत्र हम ही यहां बैठे रहें और आपके लिये भी बुरा दिन होगा अगर आप सोचते रहें कि आपका काम हल्ला मचाना है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, पुलिस डिबेट हो रही है या पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी पर ? हम पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी पर मंत्री जी के विचार जानने नहीं आये हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह विषय पर आ रहे हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, मैं अपना कर्ज समझता हूं कि जिस चीज को यह न जानते हों उसको बताऊं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप बतायें कि पुलिस वाले हैविली पेड हैं और डिपार्टमेंट के लोग पुलिस वालों के मुकाबले में कितना पाते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

म यह कह रहा था कि आप जरा सोचें कि आज से १५–१६ वर्ष पहले इस मुल्क में एक विदेशी शासन कर रहा था और उस समय के यदि भारत के शासन को हम पुलिस स्टेट की संज्ञा दें तो गलत नहीं होगा। पुलिस स्टेट का और नौकरशाही का एक अंग पुलिस प्रमुख है। पुलिस स्टेट का कर्तव्य है कि जनता को किसी न किसी प्रकार से दबाये रहे। आज के १५ वर्ष पहले नौकरशाही थी और उसी का एक अंग पुलिस था। उसके एक ही काम से उसकी दक्षता निर्धारित होती थी। इस बात से निर्धारित होती थी कि वे कितने सफल हुए हिन्दुस्तान की जनता को दबाये रखने में। यकायक एक दिन हम स्वतंत्र हो गये और स्वतंत्र होने के बाद हमने यह निश्चय कर लिया कि अब हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य होगा। यह कल्याण करने के लिए राज्य होगा। राज राज्य करने के लिए नहीं बल्कि कल्याणकारी राज्य होगा। श्रीमन्, ऐसी अवस्था में यदि हम यह सोचें कि एक दिन में सब लोगों के मनोभाव बदल देंगे, उनके विचार बदल देंगे, यह नामुमकिन है और मानव समाज के प्रतिकूल है। इसलिए हम को और आपको उन परिस्थितियों को समझ कर ही पुलिस की निस्बत अपना निर्णय देना चाहिए।

हुआ क्या, कल्याणकारी राज्य हो गया। हम आप यह न समझें कि प्रजातंत्र हो गया। प्रजातंत्र हो जाने के बाद हमने यह भी चाहा कि किसी तरह से जल्द से जल्द यह ढांचा पुलिस का भी बदलें लेकिन जिन सर्विसेज का ट्रैडिशन होता है दबाना वह अब कल्याणकारी हो जाय असम्भव-सी बात है। इसी कारण जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वह उसी के फलस्वरूप है। लेकिन उनके तो भ्रष्टाचार पर ध्यान दिया जाय और अपने पर न दिया जाय तो उचित न होगा। जरा अपने पेट के अन्दर आंखें लगा कर देखें, मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, लेकिन मैं आज यह जानता हूं कि देहात में कोई ऐसा वांछनीय आदमी नहीं है जो किसी पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर न हो। उसके पास जाता है और यही नहीं है, हम एसेम्बली के मेम्बर हो गये, कौंसिल के मेम्बर हो गये, तो यह भी अधिकार हो जाता है कि १००–२०० सवाल उसके खिलाफ, ला एंड आर्डर के बारे में तो अलग रहा, हो जाते हैं और रोज हर सवाल का जवाब वह दे दिया करे। मेरे पास लिखकर अक्सर आता है कि इसमें इतना जबरदस्त पोलिटिकल प्रेशर है और मुझे उनको लिखना पड़ता है, और जब कहीं दौरे पर जाता हूं, तब भी कहता हूं और उनकी सभाओं में भी कहता हूं कि सुरक्षा और शान्ति किसी राजनीति का विषय नहीं है। प्रदेश में अगर सुरक्षा और शान्ति स्थापित नहीं है तो विकास का कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारा यह फर्ज हो जाता है कि अगर कष्ट पड़ता है तो सहन करना पड़ेगा। अभी हम इन चीजों को नहीं समझते हैं, लेकिन तुम्हें सहन करना पड़ेगा।

[श्री हरगोविन्दसिंह]

(इस समय ५ बजकर ५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लेकिन शान्ति और व्यवस्था को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिये और जब तक मैं गृह मंत्री हूं मैं देखूंगा कि तुम्हारे ऊपर उसके कारण कोई आंच न आये। ऐसी पृष्ठभूमि में आप उनकी स्थिति समझिये। यह जरूर है कि उनके हाथ में बड़े अधिकार हैं और इतने अधिकार होते हुये, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि आज शान्ति और सुरक्षा की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। सन्तोषजनक वह तब हो सकती है जब आप यह न समझें कि अलेम्बली और कौंसिल में विपक्ष से खड़े होकर आपने गाली दे दी और आपका काम खत्म हो गया। जब हम और आप दोनों मिल कर एक सम्मिलित प्रयास इस दृष्टि से करें कि यह सारे देश का कार्य है, किसी विशेष दल का कार्य नहीं है तभी यह मसला हल हो सकता है।

मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किये हैं। उस दृष्टि से हमारी स्थिति कोई बहुत खराब नहीं है। आप को अमरीका की बात बताऊं, वह एक धनाढ्य देश है। हमारे यहां रोटी के लाले पड़े हैं और उनके यहां प्रश्न यह होता है कि चीजों को किया क्या जाय। जब रूजवेल्ट ने प्लानिंग का पहला काम अपने यहां शुरू किया तो इसलिये नहीं कि उनके यहां किसी चीज की कमी थी बल्कि इसलिये किया कि हर चीज की इतनी बहुतायत थी कि उसको क्या करें, अगर उसे समुद्र में फेंक कर सड़ाते, गलाते नहीं हैं तो बाजार का भाव बहुत गिर जायगा। इसीलिये न्यू डील आयी थी। आपको ऐसी बातें बता रहा हूं कि जो आप न जानते होंगे। तो इस तरह से उसका आरम्भ हुआ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

आप यही पढ़ते रहे इसलिये उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट रह गयी।

श्री हरगोविन्दसिंह---

जो इतना धनाढ्य देश है वहां हर साल क्राइम्स ६ परसेंट बढ़ रहे हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---

वह पूंजीवादी पद्धति का सिम्बल है।

श्री हरगोविन्दसिंह---

आपके यहां भी यही हालत है।

इंग्लैण्ड में भी ४ फीसदी बढ़ रहे हैं। अमरीका में एक मर्डर हर घंटे होता है, एक रेप हर दो मिनट में होता है, एक कार की चोरी हर ९० मिनट में होती है और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जो क्राइम्स होते हैं उनमें तीन-चौथाई में कोई अरेस्ट नहीं हो पाती। हमारे यहां १९६२ के आंकड़ों में यह है कि क्राइम दो, तीन परसेंट बढ़े हैं। तो जो देश सब से धनाढ्य है, जो सभ्यता के ऊंचे शिखर पर अपने को कहता है और शायद है भी वहां क्राइम की हालत यह है। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि हमको और आपको सन्तोष करना चाहिये। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां बजट में धन की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है और व्यय भी बढ़ता जा रहा है और ज्यों ज्यों रेवेन्यू और एक्सपेंडीचर बढ़ता जा रहा है त्यों-त्यों पुलिस के बजट का परसेंटेज कम होता जा रहा है। १९४६-४७ में हमारा रेवेन्यू का १४.३ परसेंट था और पुलिस पर एक्सपेंडीचर का १३.३ परसेंट खर्च होता था, १९५८-५९ में रेवेन्यू का ८.२ परसेंट हो गया और पुलिस पर खर्चा ७.९ परसेंट हो गया, ६०-६१ में रेवेन्यू का ७.५३ परसेंट था और पुलिस पर एक्सपेंडीचर का ७.४ परसेंट खर्चा था, ६२-६३ में रेवेन्यू का ६.५५ परसेंट था और पुलिस पर एक्सपेंडीचर का ६.१० परसेंट खर्चा था और ६४-६५ में जो आपके सामने प्रस्तुत है उसमें देखिये कि जितना रेवेन्यू है उसका ६.४ परसेंट और एक्सपेंडीचर का

५.८७ परसेंट है। जितनी आमदनी बढ़ेगी खर्चा भी उतना ही बढ़ेगा लेकिन पुलिस का बजट कम होता गया।

यह हमारी अवस्था रही है। अब पर कैपिटा एक्सपेंडीचर देखिये महाराष्ट्र में ३·२१, मद्रास में २·४१, वेस्ट बंगाल में ३·०६, मध्यप्रदेश में २·४५, पंजाब में ५·३१, और यू० पी० में १·७४ है। यह हम अपने यहां पुलिस पर खर्च करते हैं। स्ट्रेंग्थ भी कम होती जा रही है। शान्ति और सुरक्षा के बारे में आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। लेकिन मैं आपके सामने आंकड़े रखूं जिसके लिये इतना हो-हल्ला हुआ। मैं स्वयं मुतमईन नहीं हूं कि हर घटना की रिपोर्ट लिखी जाती है हमारे चौधरी साहब के पास जब यह विभाग आया तो उन्होंने ड्राइव किया और ज्यादे संख्या में रिपोर्ट लिखी जाने लगी। मैं अपनी जगह पर स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं कि सब लिखी जाती हैं। इसलिये जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं कि 'the proof of pudding is in its eating' इसलिये शान्ति और सुरक्षा की हालत सभी जानते हैं और आक्षेप करने से सुधार होना नामुमकिन है। लेकिन यदि सब लोग सम्मिलित प्रयत्न करेंगे यह समझ कर कि सारे प्रदेश की बात है तब सुधार भी हो सकता है। लेकिन मैं आप को एक बात बताऊं कि हम लोगों ने एक रास्ता गलत अख्तियार किया है। साइकोलोजिस्ट कहता है कि अगर किसी आदमी को बिगाड़ना हो तो रोज उससे कहो कि तुम खराब हो, खराब हो, वह खराब हो जायगा। उसने इतने डाकुओं को मारा, दस हजार डाकुओं को गिरफ्तार किया १६१ डाकुओं को मारा, चम्बल वैली में करीब करीब डाका बन्द हो कर खाली किडनेपिंग रह गयी है। इतना उसने किया काम। मर भी रहा है। उसका कोई पूछने वाला नहीं था। इस वफा एक बात जरूरी मैंने की कि जो बेचारे मर जाते हैं, यह किया अगर कोई सिपाही एनकाउन्टर में मर जायगा तो अगर वह जिन्दा रहता और जिस एज पर रिटायर होता उस एज तक पूरी तनख्वाह उसके आश्रितों को देंगे। यह भी किया कि उसके मर जाने के बाद उसकी पेन्सन उसकी स्त्री को जीवन भर देंगे। २३ आदमी हमारे कश्मीर में ऐम्बुश में मर गये। जहां हम उनके छिद्र को देखते हैं, उसमें यह कहना गलत होगा, कि हम कह दें कि सबके सब बेईमान हैं और खराब हैं। जब होम मिनिस्टर्स कानफ्रेन्स में मुझे जाने का अवसर मिला था मैंने नन्दा जी से यह कहा कि जितनी विजिलेंस की जरूरत है उतनी इस बात की भी जरूरत है कि आनेस्ट आफिसर्स को बचाया जाय नहीं तो ऐडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज हो जायगा। बलिदान का सबसे बड़ा अगर उदाहरण मिलता है तो वहां मिलता है कि आज वह छोटी तनख्वाह पर अपनी जान हथेली पर लेकर खड़ा है हमारी आपकी रक्षा करने के लिए। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि हम आज क्या परम्परा रख रहे हैं इस पर विचार करें। जो आज भवन में मौजूद नहीं हैं जो अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकता, चूंकि लेजिस्लेचर होने के नाते हम को प्रिविलेज हो गया, जिसको चाहे हम गाली दे दें, क्या वह मेम्बर का भ्रष्टाचार नहीं है ? क्या यह कोई भ्रष्टाचार नहीं है ? इसको भ्रष्टाचार में गिनती नहीं करते हैं ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

ये शब्द इनको नहीं कहना चाहिये। इनको कार्यवाही से निकलवा दिया जाय ?

श्री नेड० ए० अहमद—

ये शब्द इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। हमारे कुछ मौलिक अधिकार कांस्टीटयूशन में हैं उनकी हमको इज्जत करनी चाहिये।

श्री हरगोविन्दसिंह—

जो आदमी इस सदन में नहीं है उसको गाली देना क्या आपका फर्ज है ?

श्री जेड० ए० अहमद—

यह आप सही कहते हैं कि जो आदमी यहां पर बोल नहीं सकता है उसको गाली देना गलत है, लेकिन भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है।

श्री हरगोविन्दसिंह—

अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं उसको वापस लेता हूं, लेकिन यदि वह आपके इशारे पर काम करने लगे तो आप उसकी तारीफ करने लगेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

देखिये, फिर उसी तरह की बात कही।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने वापस ले लिया।

श्री हरगोविन्दसिंह—

आप अपने प्रिविलेजेज का प्रास्टीट्यूशन करते हैं यह तो आप मानेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या यह पार्लियामेंट्री है जो मंत्री जी कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई ऐसी बात नहीं है। पहला शब्द था वह उन्होंने वापस ले लिया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अच्छा, आप इसको हिन्दी कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइये।

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं यह कह रहा था कि मैंने दोनों पक्ष सदन के सामने रख दिये और सदन से यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह सारे देश का प्रश्न है और आज हम एक ऐसे संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं कि जनता का प्रतिनिधि होने के नाते हमको हर समय यह याद रखना चाहिये कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। (व्यवधान)

जनता के प्रतिनिधि होने के नाते एक संकटकालीन स्थिति में होने के नाते हमको यह चाहिये कि हम अपने हर एक शब्द को नाप और तौल कर के कहें। यह इस समय इतना आवश्यक है कि जितना शायद और कुछ हमारे देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक न हो। यह हमारा दुर्भाग्य है कि संकट की स्थिति में भी जब हम यह देखते हैं कि चीन और पाकिस्तान मिल सकते हैं और उस समय हम इस बात पर झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं चूंकि लिटरेचर हमको पहले ही नहीं मिल गया लिहाजा हम बहस नहीं करेंगे। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, अब इस बात को क्यों उठाते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जरा दोनों को तौलिये तो। पारसाल इमर्जेंसी थी कोई लिट्रेचर नहीं दिया गया, लेकिन किसी ने एतराज नहीं किया। तो आज ऐसा मालूम होता है कि इस विवाद से हम यह समझ

बैठें कि हमारे देश में कोई इमर्जेंसी नहीं है और शायद यह बहुत से माननीय सदस्यों का विचार भी हो, वह उनकी ऐसी धारणा भी हो और बहुत से अगर चाहते हों कि इमर्जेंसी न हो तो यह तो उनकी नीति ही है उनको तो मैं दोष नहीं दे सकता क्योंकि वह चाहते ही हैं कि अगर इमर्जेंसी न रही तो जरा ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा चीन को या रूस को बुलाने का। लेकिन दूसरे लोग जो दिन और रात कसम खाते हैं देश की और देश की संस्कृति की और देश की रक्षा की, उन लोगों से मैं यह पूछता हूं, हो सकता है आप को हमारी राजनीति से बड़ा मतभेद है, आपकी राजनीति से हमको भी मतभेद है, लेकिन अगर ईमानदारी हम में और आप में दोनों में है तो वह मतभेद केवल इतने तक ही केन्द्रित होना चाहिए कि इस देश का कल्याण किस प्रकार से होगा? इतना ही हमारे और आप में अन्तर हो सकता है। लेकिन उस अन्तर को इतना बड़ा देना कि आज प्रान्त की पुलिस का बजट है और पुलिस के ऊपर आप अपने देश और प्रान्त की, अपने जानमाल की सुरक्षा का भार समझते हैं, जब उसकी तनख्वाह का बजट आपके सामने लेकर हाजिर होता हूं तो आप यह कहते हैं। तो यह क्या आप सुरक्षा को बढ़ा रहे हैं? क्या जनता में यह भाव पैदा कर रहे हैं कि आप उसकी सुरक्षा के बड़े हामी हैं और आप चाहते हैं कि उसकी ठीक तरह से रक्षा होती रहे? इसलिए मैं फिर आपके द्वारा माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि इस बजट पर वादविवाद करते समय यदि आप हमको उचित सुझाव दें, अगर आप कहें तो मैं दरवाजे-दरवाजे घूमकर भी सुझाव इकट्ठा कर सकता हूं, लेकिन आप वह सुझाव दें जिससे कि एक तरफ तो हम सुरक्षा का प्रबन्ध कर सकें, हम शान्ति की स्थापना कर सकें और दूसरी ओर कम से कम उन बेचारों को जो हमेशा जिस रोज से नौकरी में आये अभियुक्त ही बने हैं और उनके मन्त्री होने के कारण मुझको भी अभियुक्त बनना पड़ता है आपके सामने, तो उनको भी सान्त्वना के दो शब्द दिये जायं ताकि उनमें भी हिम्मत बढ़े। मैंने बताया कि जहां हम आप जा नहीं सकते वहां वह अपनी जान हथेली पर रख कर खड़े हैं और वह चाहते हैं कि और अधिक आपसे कुछ न हो तो आप इतनी दूर से सहानुभूति के कुछ शब्द ही उनके पास भेज दीजिए जिससे उनकी हिम्मत बढ़े और देश की रक्षा में वह सुदृढ़ हो सकें। इतना ही मुझे इस सम्बन्ध में कहना था।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १०, १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्तल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१३ मार्च, १९६४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४० पर)

गाजीपुर जिले में ओले के कारण क्षति एवं सहायता का तहसीलवार विवरण

क्र संख्या	तहसील	नुकसान (रु० में०)	क्षेत्रफल (रु० में०)	अहेतुक सहायता (रु० में)	तकावी (रु० में०)	लगान में छूट की अनुमानित तथा प्रस्तावित धनराशि (रु० में)
१	२	३	४	५	६	७
						रु० न० पै०
१	जमानियां	५,१८,६००	१३,१९२	३,५००	३८,५००	२५,७८१.५७
२	सैदपुर	४,३०,०००	५,३४२	४,५००	५५,०००	२१,३०४.०२
३	गाजीपुर	४,८६,३८४	४,३१४	२,०००	२६,५००	१८,७९३.३०
४	मुहम्मदाबाद	..	..	..	..	..
	योग	१४,३४,९८४	२२,८४८	१०,०००	१,२०,०००	६१,८७८.८९

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे १४४ पृष्ठ पर)

१९६३

क्रम-संख्या	तहसील		कुल अमीनों की संख्या	परिगणित जाति की संख्या	कुल क्लर्क की संख्या	परिगणित जाति की संख्या	कुल चपरासियों की संख्या	परिगणित जाति की संख्या
१	सदर	..	३०	२	३	..	५२	५
२	मड़ियाहूं	..	२७	९	४	१	५१	१३
३	मछलीशहर	..	२५	१	३	..	४८	७
४	शाहगंज	..	३४	१	४	१	५९	५
५	केराकत	..	१७	१	२	..	३५	४
	योग	..	१३३	१४	१६	२	२४५	३४

जनवरी, १९६४

१	सदर	..	३७	२	५	..	५९	६
२	मड़ियाहूं	..	२०	२	३	१	४४	८
३	मछलीशहर	..	१७	..	३	..	४०	७
४	शाहगंज	..	२३	१	४	..	४८	६
५	केराकत	..	१३	१	१	..	३१	५
	योग	..	११०	६	१६	१	२२२	३२

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४४ पर)

गाजीपुर जिले में ओले से हुई क्षति एवं सहायता का तहसीलवार विवरण

क्रम-संख्या	तहसील		क्षति (एकड़ में)	क्षति का अनुमानित मूल्य (रु० में)	अहेतुक सहायता (रु० में)	तकावी (रु० में)
				रु०	रु०	रु०
१	सैदपुर भीतरी	..	१३,१९२	५,१८,६००	३,५००	३८,५००
२	सैदपुर	..	५,३४२	४,३०,०००	४,५००	५५,०००
३	गाजीपुर	..	४,३१४	४,८६,३८४	२,०००	२६,५००
४	मुहम्मदाबाद	..	..	..	..	..
	योग	..	२२,८४८	१४,३४,९८४	१०,०००	१,२०,०००

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५–६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५१ पर)

सूची

	संख्या	हरिजनों की संख्या	पिछड़े वर्ग की संख्या	स्थायी की संख्या	अस्थायी की संख्या
१—अधिकारी	३८	३	१	३३	५
२—तृतीय श्रेणी कर्मचारी ..	७८३	४८	५६	५६२	२२१
३—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ..	३३१	३२	३३	१९०	१४१

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५९ पर)

बेदखली की कार्यवाही के अनुसार प्राप्त ७१७.६०८ एकड़ भूमि का विवरण निम्न-प्रकार है---

(१) २३८.९७४ एकड़ भूमि घाघरा नदी के पेटे में चली गई ।

(२) ११०.६३४ एकड़ भूमि, इस समय मुरली और धन्नू के कब्जे में है । इस जमीन के बारे में इन लोगों ने जमींदारी विनाश कानून की धारा २२९-बी के अन्तर्गत वाद दायर कर दिया है जो कि अभी न्यायालय के विचाराधीन है । गांव सभा की ओर से भी इन लोगों के विरुद्ध जमींदारी विनाश कानून की धारा २०९ के अन्तर्गत बेदखल करने के लिये वाद दायर कर दिया गया जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

(३) शेष ३६८ एकड़ भूमि पर निम्न लोगों का अधिकार है---

(क) ११२ एकड़ भूमि पर कोदई चौबे

(ख) १९२ ,, कुंवर बहादुर वर्मा

(ग) ६४ ,, बल्ली नोनिया ।

इन लोगों ने न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सन् १९५८ में हाईकोर्ट में रिट प्रस्तुत किया था जो अभी फैसला नहीं हुआ ।

अवध पत्रिका प्रेस

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० २५७ एल० ए०--१९-४--८६० ।